यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन

(1 जनवरी, 2000 से प्रभावी)

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–1524 वि० (2), दिनांक 10-3-2000 की प्रतिलिपि ।]

विषय : फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य के सरकारी सेवकों को देय यात्रा-भत्ता की दरों में संशोधन ।

निदेशानुसार कहना है कि वर्तमान में वित्त विभाग के पत्रांक 4725 वि० (2) दिनांक 27-8-1991 के द्वारा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के संबंधित नियमों को संशोधित करते हुए निर्धारित दैनिक भत्ता, मील भत्ता, स्थानान्तरण अनुदान आदि की दरें प्रभावी हैं ।

2. राज्य के सेविवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप वेतनमान एवं अन्य भत्ते स्वीकृत करने संबंधी सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प सं० 660 वि० (2), दिनांक 8-2-1999 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों के वेतनमान में संशोधन किए जाने के साथ ही दैनिक भत्ता, मील भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि की दरों में संशोधन का विषय सरकार के विचाराधीन था ।

3. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर सम्यक् रूप से विचार कर राज्य सरकार ने उपर्युक्त दरों के संबंध में बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के संगत नियमों को अधोलिखित रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

(A) वेतन के आधार पर कर्मचारियों का वर्गीकरण (नियम–28) :

(i) 16,400 रु० एवं इससे अधिक

(ii) 8,000 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 16,400 रु० से कम

(iii) 6,500 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 8,000 रु० से कम

(iv) 4,100 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 6,500 रु० से कम

(v) 4,100 रु० से कम ।

(B) यात्रा हेतु श्रेणी/स्थान की अनुमान्यता :

(क) वायु से यात्रा (नियम–63) :

प्रतिमाह 16,400 रु० एवं इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले पदाधिकारी कर्त्तव्य पर यात्रा की स्थिति में वायुयान से यात्रा करने के हकदार होंगे । विशेष परिस्थिति में, 12,300 रु० से 16,399 रु० तक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी को विमान से यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी, बशर्त्ते कि यात्रा की दूरी 500 किमी० से अधिक हो तथा सीधी रेल सेवा से यह दूरी रात भर में (संध्या 6 बजे से सुबह 8 बजे तक) पूरी न की जा सके । प्रतिमाह 22,400 रु० एवं इससे अधिक के मूल वेतन में कार्यरत पदाधिकारी देश के अन्दर वायुयान से यात्रा के दौरान एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे ।

(ख) रेल द्वारा यात्रा [नियम–46 (1)] :

वेतन सीमा	अनुमान्य श्रेणी/स्थान		
	सभी ट्रेन	राजधानी एक्सप्रेस	शताब्दी एक्सप्रेस
1. 16,400 रु० एवं इससे अधिक	ए०सी० प्रथम श्रेणी	ए०सी० प्रथम श्रेणी	एक्जीक्यूटिव श्रेणी
2. 8,000 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 16,400 रु० से कम	ए०सी० 2 टीयर शयनयान	ए०सी० 2 टीयर शयनयान	ए०सी० कुर्सीयान

यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन

(1 जनवरी, 2000 से प्रभावी)

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–1524 वि० (2), दिनांक 10-3-2000 की प्रतिलिपि ।]

विषय : फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य के सरकारी सेवकों को देय यात्रा-भत्ता की दरों में संशोधन ।

निदेशानुसार कहना है कि वर्तमान में वित्त विभाग के पत्रांक 4725 वि० (2) दिनांक 27-8-1991 के द्वारा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के संबंधित नियमों को संशोधित करते हुए निर्धारित दैनिक भत्ता, मील भत्ता, स्थानान्तरण अनुदान आदि की दरें प्रभावी हैं ।

2. राज्य के सेविवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप वेतनमान एवं अन्य भत्ते स्वीकृत करने संबंधी सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प सं० 660 वि० (2), दिनांक 8-2-1999 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों के वेतनमान में संशोधन किए जाने के साथ ही दैनिक भत्ता, मील भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि की दरों में संशोधन का विषय सरकार के विचाराधीन था ।

3. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर सम्यक् रूप से विचार कर राज्य सरकार ने उपर्युक्त दरों के संबंध में बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के संगत नियमों को अधोलिखित रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

(A) वेतन के आधार पर कर्मचारियों का वर्गीकरण (नियम-28) :

(i) 16,400 रु० एवं इससे अधिक

(ii) 8,000 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 16,400 रु० से कम

(iii) 6,500 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 8,000 रु० से कम

(iv) 4,100 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 6,500 रु० से कम

(v) 4,100 रु० से कम ।

(B) यात्रा हेतु श्रेणी/स्थान की अनुमान्यता :

(क) वायु से यात्रा (नियम-63) :

प्रतिमाह 16,400 रु० एवं इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले पदाधिकारी कर्त्तव्य पर यात्रा की स्थिति में वायुयान से यात्रा करने के हकदार होंगे । विशेष परिस्थिति में, 12,300 रु० से 16,399 रु० तक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी को विमान से यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी, बशर्त्ते कि यात्रा की दूरी 500 किमी० से अधिक हो तथा सीधी रेल सेवा से यह दूरी रात भर में (संध्या 6 बजे से सुबह 8 बजे तक) पूरी न की जा सके । प्रतिमाह 22,400 रु० एवं इससे अधिक के मूल वेतन में कार्यरत पदाधिकारी देश के अन्दर वायुयान से यात्रा के दौरान एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे ।

(ख) रेल द्वारा यात्रा [नियम-46 (1)] :

वेतन सीमा	अनुमान्य श्रेणी/स्थान		
	सभी ट्रेन	राजधानी एक्सप्रेस	शताब्दी एक्सप्रेस
1. 16,400 रु० एवं इससे अधिक	ए०सी० प्रथम श्रेणी	ए०सी० प्रथम श्रेणी	एक्जीक्यूटिव श्रेणी
2. 8,000 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 16,400 रु० से कम	ए०सी० 2 टीयर शयनयान	ए०सी० 2 टीयर शयनयान	ए०सी० कुर्सीयान

3. 6,500 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 8,000 रु० से कम	प्रथम श्रेणी एसी० 3 टीयर शयनयान/ कुर्सीयान	ए०सी० कुर्सीयान	तदैव
4. 4,100 रु० एवं इससे अधिक किन्तु, 6,500 रु० से कम	तदैव	तदैव	तदैव
5. 4,100 रु० से कम	द्वितीय श्रेणी शयनयान	तदैव	तदैव

नोट : (i) यदि किसी ट्रेन में ए०सी० कुर्सीयान अनुपस्थित हो तो ए०सी० 3 टीयर में यात्रा अनुमान्य होगी ।

(ग) सड़क से यात्रा (नियम-57) :

वेतन सीमा	अनुमान्यता
1. 16,400 रु० एवं इससे अधिक	(i) वातानुकूलित बस/साधारण पब्लिक बस का वास्तविक भाड़ा, अथवा (ii) वातानुकूलित टैक्सी/अपनी कार/स्कूटर/ मोटर साईकिल/ऑटोरिक्शा के लिए निर्धारित दर पर ।
2. 8,000 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 16,400 रु० से कम	वातानुकूलित टैक्सी को छोड़कर यथा ऊपर (i) में वर्णित
3. 6,500 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 8,000 रु० से कम	वातानुकूलित बस एवं वातानुकूलित टैक्सी को छोड़कर यथा ऊपर (i) में वर्णित
4. 4,100 रु० एवं इससे अधिक किन्तु 6,500 रु० से कम	तदैव
5. 4,100 रु० से कम	साधारण पब्लिक बस का वास्तविक किराया अथवा ऑटोरिक्शा के लिए निर्धारित दर पर ।

नोट : (i) अपनी कार, टैक्सी अथवा ऑटोरिक्शा से यात्रा के लिए परिवहन विभाग के परामर्श से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर से भत्ता अनुमान्य होगा ।

(ii) अगर सरकारी सेवक मित्र के स्कूटर/मोटरसाईकिल से पिलन राइडर के रूप में यात्रा करता है तो उसे आधी दर पर, मील भत्ता देय होगी । जिन्हें टैक्सी से यात्रा अनुमान्य नहीं है वैसे सरकारी सेवक यदि शेयरिंग आधार पर टैक्सी से यात्रा करते हैं तो उन्हें वास्तविक किराया अनुमान्य होगा, परन्तु यह ऑटोरिक्शा के लिए निर्धारित दर से अधिक नहीं होगा । जिन शहरों में प्रि-पेड टैक्सी/ऑटोरिक्शा प्रणाली लागू है वहाँ तद्नुसार टैक्सी/ऑटोरिक्शा भाड़ा देय होगा ।

(घ) पैदल यात्रा के लिए – 60 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अनुमान्य होगा ।

(C) दैनिक भत्ता [नियम-69 (i)] :

वेतन सीमा	शहरों का वर्गीकरण और देय दैनिक भत्ता की दर (रुपये में)							
	ए-I श्रेणी		ए-श्रेणी		बी-I श्रेणी		अन्य	
	सामान्य	होटल	सामान्य	होटल	सामान्य	होटल	सामान्य	होटल
1. 16,400 रु० एवं इससे अधिक	260	650	210	525	170	425	135	335
2. 8,000 रु० से 16,399 रु० तक	230	505	185	405	150	330	120	225
3. 6,500 रु० से 7,999 रु० तक	200	380	160	305	130	250	105	200

4.	4,100 रु० से 6,499 रु० तक	170	245	135	195	110	160	90	130
5.	4,100 रु० से कम	105	125	85	100	70	85	55	65

नोट : (i) सरकारी सेवक द्वारा सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए सामान्य कॉलम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा।

(ii) 'होटल' का अर्थ निबंधित या लाइसेंस प्राप्त होटल या गेस्ट हाउस से है जहाँ बोर्डिंग और लॉजिंग की दर निर्धारित हो। अनिबंधित गेस्ट हाउस को 'स्वयं' की व्यवस्था मानकर सामान्य दर से दैनिक भत्ता देय होगा। वाई०एम०सी०ए०, वाई०डब्लू०सी०ए० छात्रावास भी होटल की श्रेणी में ही माने जाएँगे।

(iii) 'होटल' कॉलम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता तभी अनुमान्य होगा जब संबंधित सरकारी सेवक द्वारा सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन अथवा राज्य सरकार के लोक उपक्रमों में स्थान की अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा होटल में ठहरने संबंधी किराया का रसीद प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) शहरों का वर्गीकरण केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार होगा। इस उद्देश्य से महानगर/शहर में वे ही मुहल्ले शामिल किए जाएँगे जो जनगणना के दौरान उक्त नगर क्षेत्र में शामिल किए गए हों या जो नगर निगम/नगरपालिका की सीमा में हों। विशेष महँगे/महँगे स्थानों में भी तद्नुसार ही दैनिक भत्ता देय होगा।

(v) अगर सरकारी या लोक उपक्रम गेस्ट हाउस में ठहरने की दर (नाश्ता, भोजन शुल्क छोड़कर) अनुमान्य 'सामान्य' दैनिक भत्ता के 25 प्रतिशत से अधिक हो तो सरकारी सेवक को सामान्य दैनिक भत्ता का 75 प्रतिशत तथा गेस्ट हाउस का लॉजिंग चार्ज दोनों देय होगा। परन्तु, इस प्रकार देय कुल दैनिक भत्ता की दर 'होटल' दर से अधिक नहीं होगी। उदाहरणस्वरूप, ऐसे मामले में दैनिक भत्ते की देयता की गणना अनुलग्नक-1 पर दी गई है।

(vi) 'होटल' में रहने पर 'सामान्य' दैनिक भत्ता दस प्रतिशत काटकर देय होगा। इसके अतिरिक्त होटल में वास्तविक रूप से भुगतान किया गया लॉजिंग चार्ज भी देय होगा। परन्तु इस प्रकार देय दैनिक भत्ता और लॉजिंग चार्ज की कुल राशि या निर्धारित होटल दर दोनों में जो भी कम हो भुगतेय होगा। उदाहरण के तौर पर दैनिक भत्ते की गणना अनुलग्नक 2 पर दी गई है।

(vii) अगर यात्रा के दौरान सरकारी सेवक रेस्ट हाउस या डाक-बंगला से भिन्न सरकारी कार्यालय भवन के 'निरीक्षण कक्ष' आदि में ठहरता है तो उसे सामान्य दैनिक भत्ता का तीन-चौथाई देय होगा।

(viii) आठ किमी० की परिधि से बाहर की 'स्थानीय यात्रा' के लिए सामान्य से आधी दर पर दैनिक भत्ता देय होगा, महानगर/उपनगर या प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंदर की यात्रा 'स्थानीय' श्रेणी में ही आएगी।

(D) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता :

(क) अनुमान्यता : ऊपर कंडिका-2 में यथा उल्लिखित, वर्गीकरण के अनुसार अनुमान्य श्रेणी/स्थान संबंधित सरकारी सेवक को स्थानान्तरण यात्रा के लिए भी अनुमान्य होगा। स्थानान्तरण यात्रा की अनुमान्यता से संबंधित अन्य प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

नोट : केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्यकर्मियों के बीच सीमित परिवार की धारणा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि स्थानांतरण यात्रा भत्ता सरकारी सेवक के दो आश्रित बच्चों तक ही सीमित रखा जाये। यह बंधेज दिनांक 1-1-2000 से प्रभावी होगा, किन्तु यह निम्न अवस्थाओं में लागू नहीं होगा :

(i) सरकारी सेवक जिन्हें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व ही दो से अधिक बच्चे हों,

(ii) जब सरकारी सेवक के बच्चों की संख्या में वृद्धि दिनांक 1-1-2000 और इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के बीच हुई हो,

(iii) यदि इस आदेश के निर्गत होने तक सरकारी सेवक वर्तमान में निःसंतान हो अथवा उसे एक ही बच्चा हो, किन्तु बाद में एक साथ एक से अधिक जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में बच्चों की संख्या दो से अधिक हो जाए।

(ख) स्थानान्तरण अनुदान (नियम-88) : वित्त विभागीय पत्र संख्या 4725, दिनांक 27-8-1991 द्वारा सरकारी सेवकों मूल वेतन का एक-तिहाई स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य है । राज्य सरकार ने इसे यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

निजी सामग्रियों के परिवहन की अनुमान्यता :

(ग) रेल द्वारा [नियम-85 (iii)] :

वेतन सीमा	निजी सामग्री की ढुलाई की अनुमान्यता (वजन)
16,400 रु० एवं इससे ऊपर	एक चार चक्का वैगन अथवा मालगाड़ी से 6,000 कि०ग्रा० अथवा एक डबल कन्टेनर
8,00 रु० से 16,399 रु० तक	यथा उपर्युक्त किन्तु एक कन्टेनर
6,500 रु० से 7,999 रु० तक	3,000 कि०ग्रा० मालगाड़ी से
4,100 रु० से 6,499 रु० तक	1,500 कि०ग्रा० मालगाड़ी से
3,350 रु० से 4,099 रु० तक	1,500 कि०ग्रा० मालगाड़ी से
3,350 रु० से कम	1,000 कि०ग्रा० मालगाड़ी से

(घ) सड़क द्वारा

वेतन सीमा	निजी सामग्री की ढुलाई की अनुमान्य दरें – (रु०/प्रति किलोमीटर)
8,000 रु० एवं इससे ऊपर	18.00
6,500 रु० से 7,999 रु० तक	9.00
4,100 रु० से 6,499 रु० तक	4.60
3,350 रु० से 4,099 रु० तक	4.60
3,350 रु० से कम	4.00

नोट : (i) केवल सड़क मार्ग से जुड़े, स्थानों के बीच उपर्युक्त दर पर व्यक्तिगत सामग्री के परिवहन की सुविधा अनुमान्य होगी ।

(ii) यदि सरकारी सेवक द्वारा रेलमार्ग से जुड़े स्थानों के बीच व्यक्तिगत सामग्री की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती है तो ऐसी ढुलाई पर होने वाला वास्तविक व्यय अथवा मालगाड़ी से संबंधित सरकारी सेवक को अनुमान्य अधिकतम सामग्री की ढुलाई के लिए देय राशि का सवा गुणा, दोनों में जो कम हो, सरकारी सेवक को अनुमान्य होगा ।

(ङ) वाहन की ढुलाई [नियम-85 (iii) बी] : राज्य सरकार के कर्मचारी निम्न के अनुसार वाहन की ढुलाई के हकदार होंगे ।

वेतन सीमा	अनुमान्य
6,500 रु० एवं अधिक	एक मोटर कार या एक मोटर साईकिल/स्कूटर या एक घोड़ा ।
6,500 रु० से कम	एक मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड या एक साईकिल ।

(i) यात्री गाड़ी से – वास्तविक किराया ।

(ii) माल गाड़ी से – पार्सल लागत, बंधाई खर्च, बाँधी गयी कार/मोटर साईकिल की पार्सल घर लाने तथा ले जाने का व्यय, ट्रेन पर चढ़ाने-उतारने का खर्च आदि मिलाकर कंडिका (i) में अंकित राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत ।

(iii) कार के परिवहन के लिए निकटतम रेल मार्ग से एक कार चालक के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया ।

2. सड़क मार्ग से :

(अ) कार/स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड

यात्रा के साधन	रेलमार्ग से जुड़े स्थान के लिए	रेलमार्ग से नहीं जुड़े स्थानों के लिए
1. वाहन को ट्रेक पर लादकर भेजने पर	वास्तविक खर्च/निर्धारित दर पर अनुमान्य राशि/सवारी गाड़ी से भेजने का खर्च, जो कम हो ।	वास्तविक खर्च (निर्धारित दर पर अनुमान्य राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत)
2. जब वाहन चलाकर भेजा जाये	निर्धारित दर पर (सवारी गाड़ी से भेजने की लागत अधिसीमा के अन्तर्गत)	निर्धारित दर पर

नोट : (i) टैक्सी के लिए दर का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा परिवहन विभाग के परामर्श से किया जाएगा ।

(ii) जब वाहन चलाकर भेजा जाये और सरकारी सेवक/परिवार के सदस्य वाहन यात्रा कर रहे हों तो उन्हें वायु/रेल/सड़क अनुमान्य नहीं होगा । अलग यात्रा के लिए यथास्थिति, वायु/रेल/ सड़क यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा ।

(आ) साइकिल : रेल से जुड़े स्थानों के लिए सवारी गाड़ी से ढुलाई लागत की अधिसीमा के अन्तर्गत वास्तविक ढुलाई लागत तथा रेल से नहीं जुड़े स्थानों के लिए 60 पैसे प्रति किलोमीटर की दर पर ।

4. यह आदेश दिनांक 1-1-2000 से प्रभावी होगा ।

5. कंडिका 3 (ए) में किए गए वर्गीकरण के लिए वेतन में गत्यावरोध वेतनवृद्धि तथा नन- प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल होगा । अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के मामले में वेतन से तात्पर्य होगा – दिनांक 1-1-1996 के पूर्व अनुमान्य दर पर अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन + महँगाई भत्ता एवं अंतरिम सहायता ।

अनुलग्नक-1

सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के अतिथि-गृह (गेस्ट हाउस) में ठहरने पर दैनिक भत्ता की गणना

उदाहरण

1. कर्मचारी का वेतन – 2,900 रु० प्रतिमाह
2. दिल्ली स्थित बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के अतिथि-गृह (गेस्ट हाउस) में ठहरने की अवधि– दिनांक 20-11-1999 को 15.00 बजे से 22-11-1999 को 12.00 बजे दिन तक ।
3. ठहराव शुल्क का भुगतान – 100 रु० प्रतिदिन की दर से 2 दिन ।

गणना

दिनांक 20-11-1999 को 15.00 बजे से दिनांक 22-11-1999 को 12.00 बजे तक अनुमान्य दैनिक भत्ता के दिनों की संख्या	2 दिन
2 दिन सामान्य दर पर (2 × 105)	210.00 रु०
घटावें : 25 प्रतिशत	52.50 रु०
	157.50 रु०
जोड़ें : सरकारी सेवक द्वारा सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के विश्राम गृह प्राधिकार को प्रतिदिन के आधार पर भुगतान किए गए विश्राम शुल्क की राशि –	200.00 रु०
(अल्पाहार एवं भोजन की राशि को छोड़कर	योग – 357.00 रु०

तालिका के अनुसार संबंधित क्षेत्र/स्थान के लिए
अनुमान्य होटल की राशि 2 × 125 = 250 रु०
अत: दैनिक भत्ता की अनुमान्य राशि = 250.00 रु०

अनुलग्नक-2

होटल में ठहरने पर दैनिक भत्ता की गणना

उदाहरण-1

1. पदाधिकारी का वेतन – 9,500 रु० प्रतिमाह
2. बंगलोर में किसी होटल में ठहरने की अवधि
   दिनांक 19-11-1999 के 19.30 बजे से दिनांक 22-11-1999 के 23.00 बजे तक
3. ठहराव शुल्क का भुगतान – 200 रु० प्रतिदिन की दर से 4 दिनों के लिए

दैनिक भत्ता की गणना

दिनांक 19-11-1999 के 19.30 बजे से दिनांक 22-11-1999 के 23.00 बजे तक अनुमान्य दैनिक भत्ता के दिनों की संख्या	=	3 दिन
3 दिन × सामान्य दर 185 रु० प्रतिदिन	=	555.50 रु०
घटावें : 10%		55.50 रु०
		499.50 रु०
जोड़ें : भुगतान की गयी विश्राम शुल्क की वास्तविक राशि (200 × 4)	=	800.00 रु०
	योग –	1,299.50 रु०

405 रु० प्रतिदिन की दर पर 3 दैनिक भत्ता के दिनों तक सीमित (3 × 405) = 1,215.00 रु०
अत: दैनिक भत्ता 1,215 रु० ही अनुमान्य होगा ।

उदाहरण-2

1. पदाधिकारी का वेतन – 9,500 रु० प्रतिमाह
2. बंगलोर के किसी होटल में ठहरने की अवधि –
   दिनांक 19-11-1999 को 6.00 बजे से दिनांक 22-11-1999 को 11.30 बजे तक
3. ठहराव शुल्क का भुगतान – 200 रु० प्रतिदिन की दर से 4 दिनों के लिए

गणना

दिनांक 19-11-1999 को 6.00 बजे से दिनांक 22-11-1999 को 11.30 बजे तक अनुमान्य दैनिक भत्ता के दिनों की संख्या	=	3.7 दिन
3.7 दिन सामान्य दर पर (3.7 × 185)	=	684.50 रु०
घटावें : 10%		68.45 रु०
जोड़ें : भुगतान किए गए विश्राम शुल्क की वास्तविक राशि (200 × 4)	=	800.00 रु०
	योग –	1,416.05 रु०

405 रु० प्रतिदिन की दर पर 3.7 दैनिक भत्ता के दिनों तक सीमित (3.7 × 405 = 1,498.50)
अत:, दैनिक भत्ता की अनुमान्य राशि = 1,416.05 रु०

यात्रा-भत्ता के संशोधित परिपत्रों में की गई पृच्छा का स्पष्टीकरण

[बिहार सरकार, वित्त विभाग की पत्र संख्या 3 एम-2-3-12/9903 IX / 6168/वि० (2), दिनांक 28-8-2000 की प्रतिलिपि ।]

विषय : वित्त विभाग द्वारा निर्गत राज्य के सरकारी सेवकों को देय यात्रा भत्ता के संशोधित परिपत्र में की गई पृच्छा का स्पष्टीकरण ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आधार पर राज्य के सरकारी सेवकों को देय यात्रा का संशोधित दर वित्त विभाग के पत्र सं० 1524, दिनांक 10-3-2000 के द्वारा निर्गत किया है ।

उक्त परिपत्र की कई कंडिकाओं के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नांकित पृच्छा की गई है, जिसका क्रमवार निराकरण अधोलिखित है –

पृच्छा	निराकरण
1. परिपत्र की कंडिका-3 (बी) में यह प्रावधान किया है कि विशेष परिस्थिति में 12,300- 16,399 तक वेतनमान वाले पदाधिकारी को विमान से यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी बशर्ते कि इसकी दूरी 500 कि०मी० से अधिक हो और सीधी रेल सेवा से रात भर में तय नहीं की जा सके । इस संबंध में पृच्छा की गई है स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन होंगे ।	1. (क) वायुयान से सरकारी कार्य के लिए यात्रा की स्वीकृति देने के लिए सचिवालय स्तर पर विभागीय सचिव और क्षेत्रीय स्तर पर विभागाध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी होंगे परन्तु यदि विभागाध्यक्ष स्वयं उस वेतनमान के हों तो स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी उनके नियंत्री पदाधिकारी होंगे । कार्य की महत्ता और समय की उपलब्धता को ध्यान में रखकर इसकी स्वीकृति दी जाएगी । (ख) पूर्व में विभागाध्यक्ष को वायुयान से यात्रा की जो सुविधा उपलब्ध थी । वह नियमावली के संशोधन के पश्चात् स्वत: निष्प्रभावी हो गई है इनके मामले में भी वेतनमान ही स्वीकृति का मूल आधार होगा । प्राधिकार भी तद्नुसार अपने पदाधिकारियों के मामले में अपेक्षित संशोधन करेंगे ।
2. परिपत्र की कंडिका-3सी के नोट (II) में यह अंकित है कि होटल कॉलम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता तभी अनुमान्य होगा जब सर्किट हाउस निरीक्षण भवन या सरकारी लोक उपक्रमों के गेस्ट हाउस में स्थान की अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । पृच्छा है कि अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र किससे प्राप्त किया जायेगा ? सभी जगहों से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना यथा दिल्ली जैसे शहर के लिए अत्यन्त अव्यावहारिक है ।	2. पुनर्विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अनुपलब्धता के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी । बल्कि संबंधित पदाधिकारियों के मामले में उनके स्वयं द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर और निबंधित टोटल का भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर टोटल दर से दैनिक भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।
3. विभिन्न सेवाओं के द्वारा निर्मित लौजिंग भवन जहाँ ठहरने आदि की व्यवस्था है, उदाहरणार्थ आई०ए०एस० (भारतीय प्रशासनिक सेवा) भवन किस आवासीय श्रेणी में आयेंगे ?	3. दैनिक भत्ता की गणना के उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं के लॉजिंग स्थानों को सरकारी या लोक उपक्रम का गेस्ट हाउस माना जाएगा और भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर दैनिक भत्ता का भुगतान दिया जायेगा ।

चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को साइकिल भत्ता की स्वीकृति

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या–3 एम–2–9–21/2000/7993 वि० (2), दिनांक 17-11-2000 की प्रतिलिपि ।]

विषय : सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को साइकिल भत्ता की स्वीकृति ।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सेवीवर्ग को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8-2-1999 के द्वारा केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है इसके अतिरिक्त उक्त समिति की अनुशंसा को दृष्टिपथ में रखते हुए विभिन्न प्रकार के भत्तों की स्वीकृति विषयक आदेश भी निर्गत किए गए हैं ।

उक्त के क्रम में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को साइकिल भत्ता सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के कुछ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को नियमित तौर पर संचिकाओं को एक सचिवालय भवन/कार्यालय से दूसरे कार्यालय/सचिवालय भवन में ले जाने की आवश्यकता पड़ती है ऐसे कर्मियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 30 (तीस) रुपये प्रतिमाह साइकिल भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

(क) विभागीय सचिव के द्वारा संचिका एवं डाक की संख्या के आधार पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों में से आवश्यकतानुसार अधिकतम (2) दो कर्मचारियों को चयन कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये कर्मचारी डाक वितरण का काम नियमित रूप से सम्पादित करेंगे और तत्संबंधी आदेश उनके हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा ।

(ख) निलंबन या अवकाश की अवधि में यह भत्ता देय नहीं होगा ।

(ग) साइकिल भत्ता के अतिरिक्त और कोई व्यय की प्रतिपूर्ति या यात्रा भत्ता 8 कि०मी० की सीमा में अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) स्थापना के प्रभारी निबंधक द्वारा प्रत्येक माह इस आशय की सूचना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दी जाएगी कि संबंधित सरकारी सेवक नियमित रूप से डाक वितरण का कार्य सम्पादित करते हैं, तत्पश्चात ही साइकिल भत्ता को सम्मिलित करते हुए विपत्र तैयार किया जाएगा ।

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

स्थायी भत्ता एवं सवारी भत्ता बंद करने हेतु

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–3एम–2–5–म- 14/2000/688/वि० (2), दिनांक 2-2-2001 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्यकर्मियों को पूर्व से स्वीकृत स्थायी यात्रा-भत्ता एवं सवारी भत्ता को बंद करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में यह कहना है कि राज्य के कतिपय सेवीवर्ग को समय- समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में स्थायी यात्रा भत्ता एवं वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) का भुगतान किया जाता रहा है ।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8-2-1999 द्वारा केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है । राज्य के सेवीवर्ग को केन्द्रीय वेतनमान के साथ केन्द्र के अनुरूप विभिन्न भत्तों की स्वीकृति की सैद्धान्तिक सहमति तथा फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा को परिप्रेक्ष्य में रखकर विभिन्न भत्तों की स्वीकृति विषयक आदेश निर्गत किए गए हैं ।

3. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर विचार करके मंत्रिपरिषद् की आर्थिक समिति ने राज्यकर्मियों को पूर्व से अनुमान्य स्थायी यात्रा-भत्ता तथा वाहन भत्ता को समाप्त करने की सिफारिश की है । यह आदेश फरवरी, 2001 से प्रभावी होगा ।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सम्यक् रूप से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी सेवकों को स्थायी यात्रा/वाहन भत्ता को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए ।

5. इस प्रसंग में पूर्व से अन्यथा निर्गत सभी आदेश/अनुदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नेत्रहीन एवं विकलांग सेवकों को परिवहन भत्ता

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–3एम-2-5 भ० 13/99 खंड/वी/ 7663/वि० (2), दिनांक 30-10-2000 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य के नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

1. निदेशानुसार मुझे कहना है कि वित्त विभाग के ज्ञापांक सं० 3984, दिनांक 25-7-1991 के जरिये राज्य के नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को कार्यालय आने-जाने के लिए मूल वेतन का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) अधिकतम 150 रुपये प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था ।

2. फिटमेंट कमिटी ने राज्य के नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों के प्रसंग में यह अनुशंसा की है कि ऐसे कर्मियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञाप सं०– 2 (1) 97-11 वी-के आलोक में परिवहन भत्ता देय होगा ।

3. पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है –

(i) नेत्रहीन एवं शरीर के आधे निचले हिस्से की विकलांगता के चलते चलने-फिरने से मजबूर विकलांग सरकारी सेवकों को कार्यालय से आवास की दूरी 1 कि०मी० से अधिक रहने की स्थिति में अन्य निहित शर्त्तों के अधीन अन्य राज्यकर्मियों को स्वीकृत परिवहन भत्ता की दुगुनी दर से परिवहन भत्ता देय होगा ।

(ii) कार्यालय परिसर से 1 (एक) किलोमीटर के अन्दर सरकारी/निजी आवास में रहने वाले सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता देय नहीं है, परन्तु ऐसे विकलांग/नेत्रहीन कर्मी को परिवहन भत्ता सामान्य दर से (दुगुनी दर से नहीं) देय होगा ।

(iii) कार्यालय एवं आवास एक ही परिसर में रहने की स्थिति में परिवहन भत्ता देय नहीं होगा, भले ही पूर्व में सवारी भत्ता मिलता हो ।

4. (i) चलने-फिरने से मजबूर ऐसे विकलांग कर्मी को यह भत्ता सरकारी अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रमाण-पत्र पर अनुमान्य होगा ।

(ii) नेत्रहीन कर्मियों को यह भत्ता सरकारी अस्पताल के चक्षु रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा ।

5. सम्बन्धित कर्मी द्वारा कार्यालय/कार्यालय परिसर से आवास की दूरी से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र स्वयं दिया जाएगा, जिसकी जाँच करके नियंत्री पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा सवारी भत्ता की स्वीकृति दी जाएगी ।

6. सरकारी वाहन की सुविधा प्राप्त कर्मी को परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

7. यह भत्ता (i) 30 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश (ii) पारगमन काल एवं (iii) निलम्बन अवधि में अनुमान्य नहीं होगा ।

8. नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता की स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा दी जाएगी एवं सम्बन्धित सरकारी सेवकों से अलग-अलग आवेदन-पत्र प्राप्त कर आदेश निर्गत करेंगे ।

9. परिवहन भत्ता की स्वीकृति के साथ ही पूर्व से स्वीकृत वाहन भत्ता का भुगतान बन्द हो जाएगा । परन्तु, जिन स्थानों के लिए परिवहन भत्ता स्वीकृत नहीं किया है वहाँ परिपत्र सं० 398, दिनांक 25-7-1991 द्वारा स्वीकृत वाहन भत्ता का भुगतान उपर्युक्त 3 (iii) के मामले को छोड़कर जारी रहेगा । यह दिनांक 1-1-2000 से प्रभावी होगा ।

●

टैक्सी/निजी कार/ऑटो रिक्शा से की गई सरकारी यात्रा हेतु यात्रा-भत्ता में संशोधन

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या–3एम-2-5/2000-2859, दिनांक 5 अप्रैल, 2002 की प्रतिलिपि ।]

विषय : टैक्सी/निजी कार/ऑटो रिक्शा से की गई सरकारी यात्रा हेतु यात्रा-भत्ता दर में संशोधन ।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर यात्रा-भत्ता नियमावली के संगत प्रावधानों को संशोधित करते समय यह निर्णय लिया गया था कि निजी कार एवं टैक्सी से यात्रा करने पर अनुमान्य भत्ता का निर्धारण परिवहन विभाग के परामर्श से किया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की अनुशंसा सरकार के विचाराधीन थी ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के अंदर या बाहर ट्रेन/ वायुयान से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए अथवा अन्य बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान अनुमान्य होगा –

(i) टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर – 8 (आठ) रुपये प्रति किलोमीटर
(ii) ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर – 4 (चार) रुपये प्रति किलोमीटर

3. मितव्ययिता परिपत्र के अनुसार निजी कार से यात्रा पर प्रतिबंध है। अतः निजी कार से सरकारी दौरे पर यात्रा अनुमान्य नहीं होगी, किन्तु स्थानांतरण के बाद निजी कार से पदाधिकारी अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा यात्रा करने पर या कार का सड़क मार्ग से परिवहन कराने पर 5 (पाँच) रुपये प्रति किलोमीटर के दर से सड़क भत्ता देय होगा। रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के लिए रेल से कार ढुलाई का भाड़ा या उपर्युक्त सड़क भत्ता, जो भी कम हो, का भुगतान अनुमान्य होगा। बिहार यात्रा भत्ता नियमावली का नियम 85(viii) इस हद तक संशोधित समझा जाए।

4. प्रीपेड टैक्सी/ऑटो रिक्शा के उपयोग की स्थिति में पूरा भाड़ा अनुमान्य किए जाने के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 1524, दिनांक 10-3-2000 पूर्व से निर्गत है।

राज्य के पुलिसकर्मियों को परिधान भत्ता में वृद्धि

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या–3/एम 2-5-01/97/3849 वि० (2), दिनांक 8-7-1997 की प्रतिलिपि।]

विषय : राज्य के पुलिस कर्मियों को परिधान भत्ता के दरों में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6284, दिनांक 13-12-1990 के जरिए राज्य के पुलिस कर्मियों को निम्नलिखित दर से परिधान भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

1. परिधान भत्ता	स्वीकृत दर
निरीक्षक	रु० 400 वार्षिक
अवर निरीक्षक	रु० 350 वार्षिक

2. बिहार पुलिस एसोसिएशन की माँग पर उपर्युक्त पुलिस कर्मियों के अलावे अन्य पुलिस कर्मियों के परिधान भत्ते की दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए लागू वर्तमान परिधान भत्ते की दरों को निम्नलिखित रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है –

परिधान भत्ता	संशोधित दर
आरक्षी उपाधीक्षक/स्टेट फायर ऑफिसर/ निरीक्षक/ अवर निरीक्षक/ सहायक अवर निरीक्षक/सहायक स्टेट फायर ऑफिसर/ फायर स्टेशन ऑफिसर/फायर स्टेशन सब ऑफिसर एवं इनके समकक्ष।	रु० 1,000 वार्षिक नगद रूप में।

3. उपरोक्त संशोधित दर पुलिस सर्विस एवं फायर सर्विस के कर्मियों को आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

राज्य के सेविवर्ग को परिवहन भत्ता की स्वीकृति

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–3-एम०-2-5-12-99 (खंड-II) 8457/वि०, दिनांक 30-12-1999 की प्रतिलिपि।]

विषय : राज्य के सेवीवर्ग को परिवहन भत्ता (Transport Allowance) की स्वीकृति।

राज्यकर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प सं० 660/वि० (2), दिनांक 8-2-1999 के द्वारा केन्द्रीय वेतनमान के अतिरिक्त मकान किराया भत्ता तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. फिटमेंट कमिटी ने केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप राज्यकर्मियों को भी "परिवहन भत्ता" की सुविधा उपलब्ध करने की अनुशंसा की है। फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार ने राज्य के सेवीवर्ग को निम्न दर पर "परिवहन भत्ता" स्वीकृत करने का निर्णय लिया है –

सरकारी सेवक का वेतनमान	प्रतिमाह परिवहन भत्ता की दर
1. रु० 8,000-13,500 या इससे उच्च वेतनमान के कर्मी	रु० 400.00 (चार सौ रुपये)
2. रु० 6,500-10,500 या इससे अधिक किन्तु 8,000-13,500 से कम वेतनमान के कर्मी	रु० 200.00 (दो सौ रुपये)
3. रु० 5,500-9,000 या इससे कम वेतनमान वाले कर्मी	रु० 75.00 (पचहत्तर रुपये)

3. राज्य कर्मियों को "परिवहन भत्ता" की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी –

(1) यह भत्ता वित्त विभागीय संकल्प सं० 660 वि० (2), दिनांक 8-2-1999 के अनुलग्नक-II में नगर क्षतिपूर्ति भत्ता के लिए राज्य के वर्गीकृत शहरों यथा – पटना (यू०ए०), धनबाद (यू०ए०), राँची (यू०ए०) एवं जमशेदपुर (यू०ए०) में पदस्थापित राज्य कर्मियों को अनुमान्य होगा ।

(2) यह भत्ता कर्मियों को उनके कार्यस्थल/कार्यालय परिसर से एक किलोमीटर के अन्दर सरकार द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर अथवा सरकारी सेवकों के द्वारा इस सुविधा को इन्कार करने की स्थिति में अनुमान्य नहीं होगा ।

नोट : राज्यकर्मियों को नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें कार्यालय से 1 कि०मी० के अन्दर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है ।

(3) राज्य सरकार के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें सरकारी कार्य हेतु सरकारी वाहन उपलब्ध है, वे आवास से कार्यालय तक आने-जाने के लिए वाहन का उपयोग कर सकेंगे । ऐसे पदाधिकारी को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा ।

नोट : किन पदाधिकारियों को परिवहन भत्ता मिलेगा इसकी स्वीकृति सचिवालय स्तर पर विभागीय सचिव और क्षेत्रीय स्तर पर विभागाध्यक्ष/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आवास की दूरी और गाड़ी की उपलब्धता की जाँच करने के बाद दी जायेगी ।

स्वीकृति देने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पुल-व्यवस्था करके भी पदाधिकारी को आवास से कार्यालय तक सरकारी वाहन द्वारा आने-जाने की व्यवस्था संभव नहीं है ।

प्रत्येक मामले में एतद् विषयक आदेश निर्गत होने के पश्चात् ही सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जायेगा ।

4. यह भत्ता अवकाश, प्रशिक्षण, भ्रमण आदि के कारण लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में देय नहीं होगा ।

5. ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने का विकल्प दिया है, उनके प्रसंग में परिवहन भत्ता इस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा मानो उन्होंने भी पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार कर लिया है । अर्थात् ऐसे कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के पश्चात् जो परिवहन भत्ता अनुमान्य होता वही उन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने की स्थिति में भी अनुमान्य होगा ।

6. यह आदेश दिनांक 1-1-2000 से प्रभावी होगी ।

बिहार पुलिसकर्मियों को ड्राइविंग एलाउएन्स, वाहन भत्ता, धुलाई भत्ता एवं आउटफिट भत्ता

[बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्या 3एम-2-5-भत्ता-12/99/खंड/ 1861/वि० (2), दिनांक 25-3-2000 की प्रतिलिपि ।]

विषय : बिहार पुलिस के कर्मियों को ड्राइविंग एलाउएन्स, वाहन भत्ता, धुलाई भत्ता एवं आउटफिट भत्ता की स्वीकृति ।

राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवा शर्तों के साथ केन्द्रीय वेतनमान केन्द्र के अनुरूप भत्ता तथा अन्य सभी सुविधाएँ स्वीकृत करने की सैद्धांतिक सहमति के क्रम में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० (2), दिनांक 8-2-1999 के द्वारा वेतनमान, मकान भाड़ा भत्ता तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

2. फिटमेंट कमिटी ने राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए दिल्ली पुलिस के अनुरूप वेतनमान एवं अन्य भत्ते की अनुशंसा की है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० (2), दिनांक 8-2-1999 के द्वारा बिहार पुलिस के कर्मियों की दिल्ली पुलिस के अनुरूप वेतनमान, महँगाई भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्त्ति भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।

3. फिटमेंट कमिटी से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार पुलिस कर्मियों को निम्नांकित भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है –

(i) वाहन भत्ता : सिपाही के सहायक अवर निरीक्षक तक के पुलिस कर्मियों की पदस्थापना स्थान पर साइकिल रखने की स्थिति में 30 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता देय होगा।

अन्य कोटि के शेष पुलिस कर्मियों को कोई वाहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

नोट : जिन पुलिस कर्मियों को यह वाहन भत्ता दिया जायेगा उन्हें अलग से साइकिल भत्ता देय नहीं होगा। इसके अलावे 8 कि०मी० की परिधि में कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही 8 से 16 कि०मी० की यात्रा स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत पड़ने पर भी कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) धुलाई भत्ता : सिपाही से इन्सपेक्टर तक पुलिस कर्मियों को 20 रुपये (बीस रुपये) प्रतिमाह की दर से धुलाई भत्ता देय होगा।

4. ड्राईविंग एलाउएन्स : हवलदार/ड्राईवर/हेड ड्राईवर एवं मोटर ट्रांसपोर्ट जमादार जो गाड़ी चलाते हैं एवं जिन्हें अलग से विशेष वेतन एवं विशेष कर्त्तव्य भत्ता नहीं प्राप्त होता हो उन्हें सामान्यत: छुट्टी में या कार्यालय अवधि के बाद कार्य करने के एवज में 60 रुपये प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्त्ति भत्ता देय होगा।

5. कमाण्डो एलाउएन्स : राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक कोटि के कमाण्डो को अधोलिखित दर से कमाण्डो एलाउएन्स अनुमान्य होगा –

सिपाही – पचास रुपये प्रतिमाह।
हवलदार – पचहत्तर रुपये प्रतिमाह।
सहायक अवर निरीक्षक/अवर निरीक्षक – एक सौ रुपये प्रतिमाह।

6. प्रशिक्षण भत्ता : फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्रशिक्षण संस्थानों के स्थायी अधिकार्य (Permanent faculty) को छोड़कर अन्य कर्मियों को जो प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, उन्हें मूल वेतन का 15% प्रशिक्षण भत्ता देय होगा।

7. फिटमेंट एलाउएन्स/पोशाक भत्ता : दिल्ली पुलिस के जिन कर्मियों को नि:शुल्क पोशाक की आपूर्त्ति होती है, जिन्हें फिटमेंटेनेन्स भत्ता देय है और जिन्हें पोशाक भत्ता दिया जाता है, इसकी पूर्ण जानकारी अभी अनुपलब्ध है। अत: निर्णय लिया गया है कि राज्य के पुलिस कर्मियों को वर्तमान में ये पोशाक, भत्ता/पोशाक आपूर्त्ति की व्यवस्था पूर्ववत् जारी रहेगी।

8. आउटफिट भत्ता : मंत्री, सांसद एवं विधायकों के अंगरक्षकों (सिपाही से इंस्पेक्टर तक) को 30 रु० प्रतिमाह एवं अन्य सुरक्षा कर्मियों (सिपाही से लेकर इन्सपेक्टर तक) को 20 रु० प्रतिमाह की दर से आउटफिट भत्ता देय होगा।

9. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों से वर्तमान में प्राप्त हो रहे अन्य सभी भत्तों चाहे जिस नाम से स्वीकृत है, को बंद करने का निर्णय लिया है। उदाहरण के लिए कन्वेयेन्स एलाउएन्स, आर्म्स एलाउएन्स, टीयर गैस एलाउएन्स, ट्रैफिक एलाउएन्स, राजभवन के सिपाही/हवलदार को देय विधि भत्ते, वितंतु सिपाहियों के भत्ते वगलर सिपाही/टेलर सिपाही/कोबलर सिपाही/अडरली सिपाही/आर्डरली/सिग्नलर/राइटर हवलदार/सोअर कम्पाउण्डर/सोअर कैरियर/सोअर ड्रम्पेटर/सोअर सेडलर, हवलदार तथा सिपाही बैंड पार्टी, खुखरी एलाउएन्स, हिल एलाउएन्स, वायरलेस एलाउएन्स अब देय नहीं होगा।

10. ड्राइविंग एलाउएन्स/वाहन भत्ता/धुलाई भत्ता/कमाण्डो भत्ता एवं आउट फिट भत्ता मात्र उन पुलिस कर्मियों को ही अनुमान्य होगा जिनके संबंध में विशिष्ट रूप से ऊपरं चर्चा की गयी है। इनसे इतर पुलिस कर्मियों को भत्ते अनुमान्य नहीं होंगे।

11. यह आदेश दिनांक 1-4-2000 से प्रभावी होगा साथ ही इस प्रसंग में पूर्व के निर्गत तमाम आदेश इस अंश तक संशोधित समझे जायेंगे।

[बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, पत्र संख्या 3/सी०एस०-902/94-978, दिनांक 18 मार्च, 1994 की प्रतिलिपि। प्रेषक, अ०कु० बसाक, मुख्य सचिव, बिहार। सेवा में, सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव।]

विषय : पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण।

उपर्युक्त विषय के संबंध में मेरी जानकारी में यह आया है कि मुख्य सचिव द्वारा इस विषय के संबंध में निर्गत पत्रांक 1050, दिनांक 7-6-1990 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा उक्त पत्र में दिए गए निदेशों के विपरीत पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर यात्राएँ की जा रही हैं।

2. सरकार द्वारा यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि विभाग के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त तथा मुख्य सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जायेंगे। इसी प्रकार अन्य विभागीय पदाधिकारी विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जा सकेंगे। सभी पदाधिकारी यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व यात्रा कार्यक्रम परिचारित करेंगे जिसमें प्रस्थान/आगमन के स्थान/तिथि एवं भ्रमण पर सम्पर्क की सूचना उपलब्ध रहेगी। दिल्ली या राज्य के बाहर अन्य स्थान से लौटने पर प्रत्येक पदाधिकारी अपना यात्रा दैनन्दिनी यात्रा विपत्र के लिये तो तैयार करेंगे ही, साथ ही साथ टिप्पणी भी तैयार कर अपने नियंत्रण पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। विभागीय सचिव अपनी यात्रा टिप्पणी विभागीय मंत्री को एवं विकास आयुक्त-सह-योजना परामर्शी को परियोजनाओं से संबंधित यात्रा टिप्पणियाँ भेजेंगे जिसे यथा आवश्यक वे मुख्यमंत्री को अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. सरकार का यह भी निदेश था कि दिल्ली में आयोजित बैठकों में भाग लेने हेतु विभागीय सचिव यथासंभव अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भेजें एवं अनिवार्य परिस्थितियों में ही स्वयं बैठक में भाग लेने के लिए जायें।

4. उक्त परिपत्र के द्वारा बाहर यात्रा संबंधी प्रतिबंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आहूत सम्मेलन में भाग लेने या उच्च न्यायालय में उपस्थित होने की यात्राओं में लागू नहीं होने का निदेश है, लेकिन वैसे मामलों में भी विभागीय सचिव या आयुक्त एवं सचिव या प्रधान सचिव विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर यात्रा कार्यक्रम परिचारित करते हुए दौरा पर जायेंगे एवं यात्रा के बाद एक टिप्पणी कंडिका 2 के अनुरूप प्रसारित करेंगे।

5. आप सभी से अनुरोध है कि राज्य के बाहर परिभ्रमण करने के मामलों में इन निदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

[बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, पत्र संख्या 1050, दिनांक 7 जून, 1990 की प्रतिलिपि। प्रेषक, श्री कमला प्रसाद, सरकार के मुख्य सचिव। सेवा में, सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव।]

विषय : पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण।

उपरोक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार की यह धारणा बनी है कि विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के राज्य से बाहर विशेषत: दिल्ली की यात्रा में अपेक्षित नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है।

2. सरकार के वर्त्तमान निदेशों के अनुसार विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री के अनुमोदन से तथा अन्य विभागीय पदाधिकारी, विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर राज्य से बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं।

3. सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में विभाग के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त तथा मुख्य सचिव के पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जायेंगे। इसी प्रकार अन्य विभागीय पदाधिकारी विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन

प्राप्त कर ही राज्य के बाहर दौरे पर जा सकेंगे। सभी पदाधिकारी यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व यात्रा कार्यक्रम सभी सम्बद्ध के सूचनार्थ परिचारित करेंगे, जिसमें प्रस्थान/आगमन के स्थान/तिथि एवं भ्रमण पर सम्पर्क की सूचना उपलब्ध रहेगी।

4. दिल्ली अथवा राज्य के बाहर अन्य स्थान से लौटने पर प्रत्येक पदाधिकारी अपनी यात्रा दैनन्दिनी यात्रा विपत्र के लिए तो तैयार करेंगे ही, साथ ही साथ यात्रा टिप्पणी भी तैयार कर अपने नियंत्रण पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। विभागीय सचिव अपनी यात्रा टिप्पणी विभागीय मंत्री को एवं विकास आयुक्त-सह-योजना परामर्शी को परियोजनाओं से संबंधित यात्रा टिप्पणियाँ भेजेंगे, जिसे यथा आवश्यक वे मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. सरकार की यह अपेक्षा है कि दिल्ली में आयोजित बैठकों में भाग लेने हेतु विभागीय सचिव यथासंभव अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भेजें एवं अनिवार्य परिस्थितियों में ही स्वयं बैठक में भाग लेने के लिए जायें।

6. सरकार की मान्यता है कि जिला स्तर के प्रशासन को और अधिक सक्रिय बनाने के लिये राज्य स्तर से अधिकाधिक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। अतएव सरकार चाहती है कि विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह में 7-10 दिनों का राज्य के अन्दर गहनरूप से दौरा कर स्थानीय तौर पर विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा करें, ताकि जिला स्तरीय पदाधिकारियों को यथोचित मार्ग-दर्शन देने के साथ-साथ कार्यों का व्यक्गित रूप में मूल्यांकन भी कर सकें।

7. उपर्युक्त राज्य से बाहर यात्रा संबंधी प्रतिबंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आहूत सम्मेलन में भाग लेने अथवा न्यायालय में उपस्थित होने की यात्राओं पर लागू नहीं होगा, लेकिन वैसे दृष्टांतों में भी विभागीय सचिव अथवा आयुक्त एवं सचिव या प्रधान सचिव विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर यात्रा कार्यक्रम परिचारित करते हुए दौरे पर जायेंगे एवं यात्रा के बाद एक टिप्पणी खंड 4 के अनुरूप प्रसारित करेंगे। ●

[बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पत्र संख्या 13/टी-2052/92 (खंड)-1417, दिनांक 8 मार्च, 1995 की प्रतिलिपि। सेवा में, श्री एस०एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी विभाग के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष।]

विषय : भा०प्र०से० एवं बि०प्र०से० के पदाधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि उपर्युक्त विषयक् विभागीय पत्र संख्या 9832, दिनांक 28-8-1993 द्वारा भा०प्र०से०/बि०प्र०से० के पदाधिकारियों के विदेश प्रशिक्षण/सेमिनार आदि में भाग लेने के संबंध में मार्ग दर्शन निर्गत किया गया है, किन्तु कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें संबंधित विभाग भारत सरकार से विदेश प्रशिक्षण में मनोनयन संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अपने विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों का मनोनयन प्रस्ताव कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग को अनुशंसा तथा अनुमोदन हेतु भेज देते हैं।

अत: यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी विभाग को भा०प्र०से०/बि०प्र०से० के पदाधिकारियों का विदेश/सेमिनार आदि में मनोनयन हेतु भारत सरकार के पत्र प्राप्त होते हैं तो उसे वह विभाग कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग को स्थानान्तरित कर देगा। कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग अपने स्तर से मनोनयन प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

अनुरोध है कि इसका अनुपालन तत्परतापूर्वक किया जाय। ●

[बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पत्र संख्या 9832, दिनांक 28-8-1993 की प्रतिलिपि। प्रेषक, श्री एस०एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव। सेवा में, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।]

विषय : भा०प्र०से० एवं बि०प्र०से० के पदाधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने हेतु प्रतियुक्ति करने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि भा०प्र०से० के पदाधिकारियों के विदेश प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने से संबंधित कुछ मामलों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के मार्गदर्शन के बावजूद कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त किये बगैर ही संबंधित विभाग द्वारा ही त्रिसदस्यीय समिति/मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर पदाधिकारी को विदेश प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने हेतु विरमित कर दिया जाता है। या तो कार्मिक विभाग को इसकी सूचना नहीं मिलती है या पदाधिकारी के विदेश प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद कभी-कभी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को पता चलता है कि पदाधिकारी विदेश प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति पर है। इस प्रक्रिया से प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि भा०प्र०से० तथा बि०प्र०से० के पदाधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति के किसी भी मामले में कार्मिक विभाग को छोड़कर दूसरे किसी विभाग द्वारा त्रिसदस्यीय समिति/मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा जायगा। इन सारी औपचारिकताओं का अनुपालन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ही किया जायेगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई उपस्थित नहीं हो।

अनुरोध है कि इसका अनुपालन तत्परतापूर्वक किया जाय।

[बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संकल्प ज्ञाप संख्या 3/एम-1-1099/90-का० 9849, दिनांक 10-11-2004 की प्रतिलिपि।]

विषय : राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण।

राज्य में सेवाओं एवं पदों का वर्गीकरण पूर्व में जून, 1977 में और तत्पश्चात् चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त मार्च, 1986 में किया गया था। 31 मार्च, 1986 के संकल्प संख्या 3746 के अन्तर्गत सेवाओं पदों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया गया—

1. श्रेणी 1 — वैसी सभी सेवाएँ और पद जिनका अधिकतम वेतन 2,000/- रुपये या उससे अधिक हो।
2. श्रेणी 2 — वैसी सभी सेवाएँ और पद जिनका अधिकतम वेतन 2,000/- रुपये से नीचे हो परन्तु 1,510/- रुपये से ऊपर हो।
3. श्रेणी 3 — वैसी सभी सेवाएँ और पद जिनका अधिकतम वेतन 1,510/- रुपये या उससे नीचे हो पर 480/- रुपये से अधिक हो। इसमें अधिकतम वेतन 480/- रुपये या उससे कम के वैसे पदों को भी सम्मिलित किया जाय जो विशेष रूप से श्रेणी 3 में सम्मिलित किये गये हों।
4. श्रेणी 4 — वैसी सभी सेवाएँ और पद जिनका अधिकतम वेतन 480/- रुपये तक हो।

2. पंचम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त सेवाओं/पदों का पुनःवर्गीकरण नहीं हो पाया। छठे वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार के अधीन पदों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जाता है—

क्रम	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1.	कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 13,500 रुपये से कम नहीं हो	समूह 'क'
2.	कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 9,000 रुपये से कम नहीं हो, परन्तु 13,500 रुपये से कम हो	समूह 'ख'
3.	कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये अधिक परन्तु 9,000 रुपये से कम हो	समूह 'ग'

4. कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये अथवा उससे कम हो। — समूह 'घ'

टिप्पणी : (1) अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' में समझे जायेंगे।

(2) "वेतन" शब्द से अर्थ पद का मौलिक वेतन (Basic pay) है और उसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं भत्ते आदि सम्मिलित नहीं होंगे।

3. यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में वर्गीकरण संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तद्नुकूल संशोधित कर लेगा। नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में वर्गीकरण संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित नियमावली में ऐसा लागू समझा जायेगा।

4. यह तुरंत प्रवृत्त होगा। ●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र सं० 3 एम-2-5-भत्ता 12/99 खंड 9896/वि० (2), दिनांक 1-12-2003 की प्रतिलिपि।]

विषय : दिनांक 31-3-2004 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को एल०टी०सी० सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3708, दिनांक 20-6-2001 से अगले दो वर्ष तक के लिए स्थगित रखने का सरकारी निर्णय से सूचित किया गया था। उक्त परिपत्र द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि जिन कर्मियों की सेवा निवृत्ति दिनांक 1-4-2003 के पूर्व होनेवाली है उन्हें यह सुविधा अनुमान्य होगी।

2. राज्य कर्मियों के लिए एल०टी०सी० के अन्तर्गत यात्रा की सुविधा की पुन: बहाली के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। अत: वैसे कर्मी जो दिनांक 31-3-2004 तक सेवानिवृत्त होनेवाले हैं तथा वर्त्तमान ब्लॉक वर्ष में एल०टी०सी० की सुविधा का उपयोग नहीं किये हों को एल०टी०सी० के अन्तर्गत यात्रा की सुविधा अनुमान्य की जा सकती है। ●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्रांक 3एम-2-5-भत्ता-12/99-1776 वि० (2), दिनांक 2-4-2005 की प्रतिलिपि। प्रेषक, श्री सुनील प्रसाद श्रीवास्तव, सरकार के उप सचिव। सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।]

विषय : राज्यकर्मियों को अवकाश रियायती यात्रा की सुविधा के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 31011/3/2001 एस्ट (ए), दिनांक 2-3-2001 द्वारा रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा को दिनांक 2-3-2001 के प्रभाव से दो वर्षों के लिए स्थगित कर देने के निर्णय के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा भी पत्रांक 3708, दिनांक 20-6-2001 द्वारा दिनांक 1-4-2001 के प्रभाव से रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा दो वर्षों के लिए स्थगित कर दी गई थी।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं० 31011/3/2001 स्था० (ए), दिनांक 13-3-2003 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा पुन: बहाल कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्यकर्मियों को दिनांक 1-4-2005 के प्रभाव से रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सरकारी सेवकों को वित्त विभाग के पत्रांक 4252, दिनांक 22-6-2000 में निहित शर्त्तों के अधीन रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमान्य होगी। ●

भाग-2

परिशिष्ट 1

(देखिए नियम 5)

प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की तथा उन शक्तियों की सूची, जिनका प्रयोग वित्त-विभाग की सलाह लिये बिना अन्य विभाग कर सकते हैं।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किस प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है।	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की विस्तार सीमा।
1	2	3	4	5
1.	14	सरकार सेवक का मुख्यालय विहित करने की शक्ति।	1. सरकार के विभाग विभाग	पूर्ण शक्ति
			2. वन-संरक्षक	वन विभाग के सम्बद्ध राजपत्रित और अराजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में संपूर्ण शक्ति।
			3. मुख्य अभियन्ता	राजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्ण शक्ति
2.	31	अंशकालिक या पूर्ण-कालिक सरकारी सेवक की कोटि घोषित करने की शक्ति।	सरकार के विभाग	पूर्ण शक्ति।
3.	42. (2)	दो या अधिक रास्तों में सबसे नजदीक का रास्ता कौन सा है, यह निश्चय करने की शक्ति।	1. सरकार के विभाग विभाग	पूर्ण शक्ति।
			2. सभी विभागाध्यक्ष	सरकार के खास आदेश के अभाव में, अपने अधिक्षेत्रान्तर्गत रास्तों के लिए, पूर्ण शक्ति।
			3. राज्यपाल के सचिव	सरकार के खास आदेश के अभाव में, पूर्ण शक्ति।
			4. जिला पदाधिकारी	सरकार के खास आदेश के अभाव में अपने अधिक्षेत्रान्तर्गत रास्तों के लिए पूर्णशक्ति।
4.	43.	जिस रास्ते से वास्तव में यात्रा की गयी हो वह यदि निकटतम न भी हो तो भी उसी रास्ते के हिसाब से मील-भत्ता लेने की अनुमति देना।	1. सरकार के विभाग	कलकत्ता होकर की गयी यात्रा के सिवा सभी यात्रियों के लिए पूर्ण शक्ति।
			2. विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद के सभापति को छोड़कर सभी विभागाध्यक्ष।	अपने अधिक्षेत्रान्तर्गत यात्राओं के लिए पूर्ण शक्ति।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किसी प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की विस्तार सीमा
1	2	3	4	5
			3. विधान-सभा-अध्यक्ष तथा विधान-परिषद सभापति।	कलकत्ता होकर की गयी यात्रा के सिवा सभी यात्राओं के लिए पूर्ण शक्ति।
			4. जिला पदाधिकारी	अपने अधीनस्थ पुलिस-पदाधिकारियों राजपत्रित पदाधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों की अपने-अपने अधि-क्षेत्रान्तर्गत यात्राओं के लिए, पूर्ण शक्ति।
			5. राज्यपाल के सचिव।	पूर्ण शक्ति।
5	52(3)	यह घोषित करने की शक्ति की जिस सरकारी सेवक का वेतन 50 रु० से अधिक नहीं है वह स्टीमर यात्रा में निम्नतम श्रेणी का किराया लेने का हकदार है।	सभी कार्यालयाध्यक्ष।	पूर्ण शक्ति।
6.	67	लगातार दस रात से अधिक विराम के लिए [1][दैनिक-भत्ता] लेने की अनुमति देने की शक्ति।	1. सरकार के विभाग	तीस रात के लिए शक्ति। अपने मुख्यालय से किसी दूसरे अधिष्ठान में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्त किसी मुंसिफ के साथ के लिपिक-कर्मचारियों की सरकार का न्याय विभाग पहले महीने के लिए पूरा [1][दैनिक-भत्ता] और दूसरे तथा तीसरे महीने के लिए साधारण की आधी दरों पर [1][दैनिक-भत्ता] दे सकता है, यदि खुद मुंसिफ को भी सरकार ने उक्त प्रकार से भत्ता मंजूर किया हो।
			2. सभी विभागाध्यक्ष	30 रात तक के लिए शक्ति। पुलिस महानिरीक्षक अधीनस्थ पुलिस-पदाधिकारियों को पहले महीने के लिए पूरी दर से और दूसरे तथा तीसरे महीने के लिए आधी

1. जी० एस० आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किस प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की विस्तार सीमा
1	2	3	4	5
				दर से [1][दैनिक-भत्ता] दे सकता है। है, यदि उसके विचार में परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना उचित हो। लोक-स्वास्थ्य-निदेशक वस्तुत: महामारी कर्त्तव्यलग्न महामारी चिकित्सकों, स्वास्थ्य-निरीक्षकों और सहायक-स्वच्छता निरीक्षकों को पहले महीने के लिए आधी दर से [1][दैनिक-भत्ता] दे सकता है।
			3.जिला पदाधिकारी	पुलिस-पदाधिकारियों, राजपत्रित पदाधिकारियों और उनके अधीनस्थ अराजपत्रित पदाधिकारियों के संबंध में, 30 रात तक के लिए, पूर्ण शक्ति ।
			4. राज्यपाल के सचिव	तीस रात तक के लिए शक्ति।
7.	75.	कुछ परिस्थितियों में शिविर-उपकरणों के अनुरक्षण का वास्तविक खर्च वसूलने की अनुमति देने की शक्ति।	1. अपने अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों के सम्बन्ध में, जिला पदाधिकारीगण।	30 अक्टूबर और 1अप्रैल के बीच की अवधि में, पुलिस-पदाधिकारी को, मुख्यालय छोड़ने या पहुँचने और उसके शिविर उपकरण की रवानगी या पहुँच के बीच की अवधि (अन्तराल) में, शिविर-उपकरण के अनुरक्षण का वास्तविक खर्च वसूलने की अनुमति दी जा सकती है।
			2. पुलिस-उप-महानिरीक्षक के सम्बन्ध में, पुलिस महानिरीक्षक	मंजूरी देने वाला प्राधिकारी प्रमाणित करेगा कि उस केस की सभी परिस्थितियों में अन्तराल की अवधि ठीक और यथोचित है :
8.	76(2)	भारत के किसी भाग में या किसी विदेशी बस्ती में या नेपाल के राज्य-क्षेत्र में या पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र में	1. सरकार के विभाग।	पूर्ण शक्ति । लोक-निर्माण विभाग (जिसमें लोक-स्वास्थ्य इंजीनियर भी शामिल है) सिंचाई-विभाग और विद्युत-विभाग अधिक-से-अधिक 5 ऐसे इंजीनियर पदाधिकारियों को, जो इंस्टीच्यूट

1. जी० एस०आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किस प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की विस्तार सीमा
1	2	3	4	5
		कर्त्तव्य पर जाने के के लिए सरकारी सेवक को प्राधिकृत करने की शक्ति ।		ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के सदस्य हैं, उस संस्थान (इंस्टीच्यूट) के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने की अनुमति दे सकते हैं, और सड़क मील-भत्ता तथा विराम-भत्ता तो नहीं लेकिन, जिस श्रेणी के वे हकदार हों उस श्रेणी का आवक-जावक एक-एक किराया दे सकते हैं।
			2. पुलिस उप-महानिरीक्षक	पूर्ण शक्ति ।
		टिप्पणी-राज्य सरकार के राज्य-क्षेत्र के बाहर हो रहे किसी सभा सम्मेलन (जैसे भारतीय विज्ञान सम्मेलन, आदि में शरीक होने के लिए सरकारी सेवक की यात्रा नियम 76 (2) के अधीन सौंपी गई शक्तियों के भीतर नहीं आती।	3. असैनिक अस्पताल महानिरीक्षक	प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकों (प्रोफेसरों) को राज्य के बाहर के किसी विश्वविद्यालय में परीक्षा लेने के लिए यात्रा करने का प्राधिकार दे सकता है, बशर्त्ते कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय उसका यात्रा-भत्ता खर्च वहन करे ।
			4. कारा-महा-निरीक्षक	हेड वार्डरों और वार्डरों की यात्राओं के सम्बन्ध में, पूर्णशक्ति ।
			5. प्रमंडलों के आयुक्त।	रुपये के साथ जानेवाले पोतेदारों की यात्रा के सम्बन्ध में पूर्ण शक्ति।
			6. लोक-शिक्षा निदेशक।	अपने विद्यार्थियों का साथ लेकर आमोद-पर्यटन के सिलसिले में राज्य के बाहर की यात्रा के लिए, सरकारी सेवा-संलग्न शिक्षकों को प्राधिकृत कर सकता है।
			7. विधान-सभा का अध्यक्ष और विधान-परिषद् का सभापति।	भारत के भीतर की यात्रा के लिए, पूर्ण शक्ति।
			8. पुलिस-महा-निरीक्षक।	पूर्ण शक्ति।
			9. मुख्य इंजीनियर।	पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसी भाग में जाने के

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किस प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की विस्तार सीमा
1	2	3	4	5
				लिए अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों की यात्रा को प्राधिकृत और मंजूर कर सकता है, किन्तु हर केस की सूचना सरकार को देनी होगी।
			[1][10. आबकारी आयुक्त	अपने अधीनस्थ अराजपत्रित कर्मचारियों की यात्राओं के लिए पूर्ण शक्ति।]
			[2][11. राज्य परिवहन-आयुक्त	प्रवर्त्तन-शाखा के कर्मचारियों और मोटर-गाड़ी-निरीक्षकों को भारत के किसी भाग में या भारत के विदेशी निवेशों में कर्त्तव्य पर जाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मोटरगाड़ी-निरीक्षकों की दशा में, यह प्राधिकरण केवल साक्ष्य और मोटरगाड़ी के निरीक्षण के प्रयोजन तक ही सीमित रहेगा।]
9.	78(2)	स्थायी यात्रा-भत्ता पाने वाले सरकारी सेवक को सार्वजनिक सवारी रो की गई कुछ खास यात्राओं के लिए अतिरिक्त भत्ता लेने की अनुमति देने की शक्ति।	सरकार के विभाग	पूर्ण शक्ति।
10.	81(1)	सवारियों और शिविर सामग्री को रेल आदि से भेजने का वास्तविक खर्च वसूलने के लिए अनुमति देने की शक्ति।	1. आबकारी आयुक्त	उसके अधीनस्थ सरकारी सेवकों के लिए [3][373 किलोग्राम] शिविर सामग्री और या तो (1) एक घोड़ा तथा 1 साईकिल या (2) एक मोटर साईकिल।
			2. राजस्व बोर्ड	बन्दोबस्त पदाधिकारियों तथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए। [3][1307 किलोग्राम शिविर सामग्री और 3 घोड़े।

1. शुद्धि पत्र-संख्या 104 दिनांक 4-7-1961 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. शुद्धि पत्र-संख्या 106 दिनांक 25-9-1961 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. ज्ञाप संख्या 9394 दिनांक 22-7-1967 द्वारा प्रतिस्थापित।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किस प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की विस्तार सीमा	
1	2	3	4	5	
		टिप्पणी – इस नियम के अधीन शक्ति-प्रदत प्रत्येक प्राधिकारी सरकार के प्रशासी विभाग के पास, हर तिमाही की समाप्ति के अधिक-से-अधिक 15 दिन बाद तक इस परिशिष्ट के अंत में दिये गए फारम में एक विवरणी उपस्थापित करेगा।		भारत-सर्वेक्षण विभाग के अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय सेवाओं के सदस्यों के लिए। भारत सर्वेक्षण के उन सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के लिए जो पुनर्नियोजित हो गए हों। राज्य (कार्यपालक और अवर) असैनिक सेवाओं के सदस्यों के लिए। पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों) के लिए।	[1][746 किलोग्राम] शिविर सामग्री और 3 घोड़े।
			3. कृषि निदेशक	कृषि-रसायन शास्त्रियों (एग्रिकल्चरल केमिस्टों के लिए।	
				आर्थिक वनस्पति शास्त्रियों (एकोनोमिक बोटानिस्टों) के लिए। कृषि उप-निदेशकों डिप्टी डाइरेक्टर्स ऑफ एग्रिकल्चर) के लिए।	[1][746 किलोग्राम] शिविर सामग्री और 3 घोड़े।
				(उपर्युक्त से भिन्न) विभाग के उन सरकारी सेवकों की यात्राओं के लिए, जिनका वेतन 150 रु० से ऊपर हो	[1][746 किलोग्राम] शिविर सामग्री और 3 घोड़े।

1. ज्ञाप संख्या 9394 दिनांक 22-7-1967 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किस प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की विस्तार सीमा	
1	2	3	4	5	
				कृषि विभाग के उन सरकारी सेवकों की यात्राओं के लिए, जिनका वेतन 150 रु० से कम हो।	[1][187 किलोग्राम] शिविर सामग्री और 1 साईकिल
			4. पशु चिकित्सा सेवा-निदेशक	विभाग के सरकारी सेवकों की यात्राओं के लिए।	[1][75 कि०ग्रा०] शिविर सामग्री और 1 साईकिल।
			5. सहकारी समितियों का निबंधक	अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के लिए।	[1][373 कि०ग्रा०] शिविर सामग्री और 1 घोड़ा तथा 1 साईकिल।
			6. वन संरक्षक (कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट) के लिए।	उप-वन-संरक्षकों, सहायक संरक्षकों और बिहार-वन सेवा के सदस्यों के लिए, जबकि वे किसी वन-प्रमंडल के प्रभारी हों।	[1][746 कि०ग्रा०] शिविर सामग्री और 1 घोड़ा।
				सहायक संरक्षक, उप-संरक्षक और बिहार वन-सेवा के सदस्यों के लिए जबकि वे किसी वन-प्रमंडल के प्रभारी न हों।	[1][373 कि०ग्रा०] शिविर सामग्री और 1 घोड़ा।
				अपने अधीनस्थ अन्य सरकारी सेवकों के लिए।	1 साईकिल।
			1. लोक निर्माण-विभाग का अधीक्षण अभियन्ता (इंजीनियर)	अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के लिए।	2 घोड़े और/या तो बगली गाड़ी (साइडकार) सहित 1 मोटर साईकिल या 1 साईकिल ।

1. ज्ञाप संख्या 9394 दिनांक 22-7-1967 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किस प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की विस्तार सीमा	
1	2	3	4	5	
			7. (क) मुख्य अभियन्ता (इंजीनियर)	अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के लिए।	2 घोड़े और/या तो 1 मोटर साईकिल या 1 साईकिल।
			8. पुलिस महानिरीक्षक	अपने लिए	[1][1807 किलोग्राम] शिविर सामग्री और 3 घोड़े।
				पुलिस उप-महानिरीक्षक के लिए।	[1][[illegible]7 किलोग्राम] शिविर सामग्री और 2 घोड़े।
				पुलिस अधीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के लिए।	[1][933 किलोग्राम] शिविर सामग्री और 2 घोड़े।
				पुलिस सहायक अधीक्षक से नीचे की पंक्ति के पुलिस पदाधिकारियों के लिए।	[1][746 किलोग्राम] शिविर सामग्री।
			9. वाणिज्य-कर आयुक्त	वाणिज्य-कर निरीक्षकों के लिए।	एक साईकिल
11.	82 (1)	दिये जाने वाले सरकारी तम्बुओं का मान विहित करने की शक्ति।	सरकार के विभाग	पूर्ण शक्ति।	
11-क	86 (1)	छः महीने तथा एक महीने की समय-सीमा को बढ़ाने की शक्ति, इस समय के भीतर अगर सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों और निजी	सरकार के विभाग	पूर्ण शक्ति।	

1. ज्ञाप संख्या 9394 दिनांक 22-7-1967 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किस प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियोंकी विस्तार सीमा
1	2	3	4	5
		सामान का परिवहन हो तो वे उस सरकारी सेवक के साथ परिवहित माने जायेंगे।		
12.	100	प्रथम पद के ग्रहण के निमित्त की गई यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता मंजूर करने की शक्ति ।	1. सरकार के विभाग	अराजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में पूर्ण शक्ति।
			2.सभी विभागाध्यक्ष।	अराजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में पूर्ण शक्ति।
			3. जिला पदाधिकारी	अराजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में पूर्ण शक्ति।
13.	106 परन्तुक	जिस सरकारी सेवक ने राँची में दस रात्रिवास से अधिक विराम किया हो, उसके यात्रा-भत्ते के दावे को परिरक्षित करने की शक्ति।	1. सरकार के विभाग।	उन विरामों के सम्बन्ध में पूर्ण शक्ति, जो 30 रात से अधिक न हो।
			2. सभी विभागाध्यक्ष।	उन विरामों के सम्बन्ध में पूर्णशक्ति, जो 30 रात से अधिक न हो।
			3. राज्यपाल-सचिव।	उन विरामों के सम्बन्ध में पूर्णशक्ति, जो 30 रात से अधिक न हो।
14.	108 परन्तुक (2)	जिस सरकारी सेवक ने किसी बाध्यकारी परीक्षा की तैयारी की संदोष उपेक्षा की हो, उसके यात्रा-भत्ते को नामंजूर करने की शक्ति।	1. सरकार के विभाग।	पूर्ण शक्ति।
			2. सभी विभागाध्यक्ष।	पूर्ण शक्ति।
15.	110	ऐसी किसी परीक्षा में, जो नियम 108 और 109 में निर्दिष्ट नहीं है, सम्मिलित होने के लिए की गई यात्रा का यात्रा-भत्ता मंजूर करने की शक्ति ।	1. सरकार के विभाग।	पूर्ण शक्ति।
16.	134(3)	असमर्थता-पेंशन लेकर स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होने के विचार से किसी चिकित्सा-पर्षद (मेडिकल बोर्ड) के समक्ष उपस्थित होने के निमित्त	1. सरकार के विभाग	पूर्ण शक्ति।
			2. सभी विभागाध्यक्ष	पूर्ण शक्ति।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति का प्रकार	किस प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित (सौंपी गई) है	प्रत्यायोजित (सौंपी गई) शक्तियों की विस्तार सीमा
1	2	3	4	5
		की गई यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता मंजूर करने की शक्ति।	3. राज्यपाल के सचिव	पूर्ण शक्ति।
17.	137	किसी प्रशिक्षण-कोर्स के लिए चुने गये किसी सरकारी सेवक का यात्रा भत्ता विनियमित करने की शक्ति।	1. सरकार के विभाग	पूर्ण शक्ति, परन्तु वे निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रशिक्षण स्थान में विराम के लिए [1][दैनिक-भत्ता] मंजूर न करेंगे (1) उन राजपत्रित सरकारी सेवकों को जिनके प्रशिक्षण की अवधि एक महीने से अधिक हो; और (2) उन अराजपत्रित सरकारी सेवकों को जिनको प्रशिक्षण के खर्च के लिए कोई क्षतिपूरक-भत्ता मंजूर किया गया हो।
			2. लोक शिक्षा निदेशक	पूर्ण शक्ति, परन्तु वह प्रशिक्षण-स्थान में विराम के लिए [1][दैनिक भत्ता] मंजूर न करेगा –
18.	144(1)	जाँच आयोग (कमीशन ऑफ इन्क्वायरी) में उपस्थिति के निमित्त यात्रा के लिये सरकारी सेवा वाह्य व्यक्तियों को [1][दैनिक भत्ता] देने की तथा उनकी कोटि घोषित करने की शक्ति।	सरकार के विभाग	पूर्ण शक्ति, परन्तु जो व्यक्ति पहली कोटि का घोषित हो, उसे सरकार के विभाग प्रतिदिन 7 रुपये से अधिक [दैनिक भत्ता] मंजूर न करेंगे।
19	157	नियंत्रण-पदाधिकारी मनोनीत करने की शक्ति ।	सरकार के विभाग	पूर्ण शक्ति, परन्तु वे किसी सरकारी सेवक को आप अपना नियंत्रण-पदाधिकारी घोषित न करेंगे ।

1.जी०एस०आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(देखें परिशिष्ट 1 की मद 10.)

.... 19 .... तक की तिमाही में, बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली के नियम 81 (1) अधीन .... द्वारा दी गई मंजूरियों का विवरण ।

	किन अधिष्ठानों के बीच यात्रा की गई ।			की गई यात्रा की तारीख	मंजूर रकम				किस आधार पर खर्च मंजूर किया गया ?
सं०	खर्च उठाने वाले पदाधिकारी का नाम और पदनाम	किस अधिष्ठान से ।	किस अधिष्ठान तक ।		शिविर-सामग्री ले जाने के लिए ।	घोड़े ले जाने के लिए ।	साईकिल या मोटरगाड़ी ले जाने के लिए	कुल	संक्षिप्त स्पष्टीकरण ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

तारीख ....

परिशिष्ट 2

(देखें नियम 33)

स्थायी यात्रा-भत्ता पाने वाले सरकारी सेवकों की सूची

[प्रकाशकीय टिप्पणी – पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति के अपनी अनुशंसा पर (राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) में यात्रा भत्ता में वृद्धि की गयी है (देखें यात्रा भत्ता नियमावली में ज्ञाप संख्या 4725 वि०(2) दिनांक 27-8-1991 की प्रतिलिपि। अत: पाठकों की सुविधा हेतु वृद्धित दरें एवं पुरानी दरें दोनों ही नीचे दी जा रही है:

1. प्रतिमाह 1,000/-रु० तक वेतन पाने वाले।	50/-रु० प्रतिमाह।
2. प्रतिमाह 1,000/- रु० से अधिक किन्तु 1,250/- रु० तक वेतन पाने वाले।	75/-रु० प्रतिमाह।
3. प्रतिमाह 1,250/- रु० से अधिक किन्तु 1,500 रू० वेतन पाने वाले को।	100/-रु० प्रतिमाह।
4. प्रतिमाह 1,500 रू०/- से अधिक वेतन पाने वाले को	125/-रु० प्रतिमाह।

परन्तु जहाँ किसी पद के लिए पहले से ही इससे भी अधिक राशि स्थायी यात्रा-भत्ता के रूप में अनुमान्य है वैसी दशा में ऐसी अधिक राशि ही अनुमान्य होगी।

प्रविष्टि संख्या।	सरकारी सेवक का पदनाम	स्थायी यात्रा-भत्ते की दर	
		रु०	पै०
	भू-राजस्व		
1.	पलामू जिले में सरकारी जायदाद में सुधार-कार्य के लिये अवर-अधिदर्शक (सब-ओवरसियर)।	18	75
2.	मुजफ्फरपुर जिले में खासमहाल में तहसीलदार।	10	00
	आबकारी		
3.	आबकारी के सहायक अवर निरीक्षक (असिस्टेन्ट सब -इंसपेक्टर ऑफ एक्साइज)।	20	00
		एक महीने से 20 दिन तक की दौरा-यात्रा के लिए, परन्तु जहाँ दौरा वास्तव में 20 दिन से कम हुआ हो और कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हो वहाँ नियन्त्रण पदाधिकारी को रकम घटा देने की पूरी शक्ति होगी। 20 दिन से अधिक का दौरा करने पर उस महीने के स्थायी यात्रा-भत्ते में जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिमास 25 रु० है, दिन पीछे [1][94 पैसे] तक जोड़ दिये जायेंगे। इसके प्रयोजनार्थ जिस दिन मुख्यालय के [2][8 किलोमीटर] के घेरे से बाहर यात्रा की जाय या विराम किया जाय, उस दिन को दौरे पर बीता दिन गिना जायगा। इसके अतिरिक्त विशेष-गुप्तचर-कर्त्तव्य के सिलसिले में रेलवे-स्टेशनों पर पदस्थापित सहायक अवर-निरीक्षक (असिस्टेन्ट सब-इंसपेक्टर) उस श्रेणी का वास्तविक रेल-किराया ले सकेंगे, जिसके वे हकदार हो।	
3-क	आबकारी-पिउन	15	00
		एक महीने में 20 दिन तक का दौरा-यात्रा के लिये, परन्तु जहाँ	

1. आना से पैसे में परिवर्तित।
2. मील से किलोमीटर में परिवर्तित।

प्रविष्टि सं०	सरकारी सेवक का पदनाम	स्थायी यात्रा-भत्ते की दर
		वास्तविक दौरा 20 दिन से कम हुआ हो और कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हो वहाँ, नियंत्रण-पदाधिकारी को रकम घटा देने की पूरी शक्ति होगी। 20 दिन से अधिक का दौरा करने पर उस महीने के स्थायी यात्रा-भत्ते में जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिमास [1][17 रु० 50] पैसे है, दिन पीछे [1][62 पैसे] जोड़ दिये जाएँगे। इसके प्रयोजनार्थ जिस दिन मुख्यालय के [2][8 किलोमीटर] के घेरे से बाहर यात्रा की जाय, या विराम किया जाय, उस दिन को दौरे पर बीता दिन गिना जायगा। इसके अतिरिक्त, विशेष गुप्तचर-कर्त्तव्य के सिलसिले में रेलवे स्टेशनों पर पद-स्थापित आबकारी पिउन उस श्रेणी का वास्तविक रेल-किराया ले सकेंगे, जिसके वे हकदार हों।

टिप्पणी– निश्चित यात्रा-भत्ते की उपर्युक्त नियमावली उन सहायक अवर निरीक्षकों और पिउनों पर लागू नहीं होगी, जो किसी माल-गोदाम, भट्ठों या चीनी-मिलों में पदस्थापित हैं या जिन्हें अर्दली-पिउन के रूप में पदाधिकारियों के साथ दौरे पर जाना पड़ता है। ऐसे केस में साधारण यात्रा-भत्ता नियमावली लागू होगी।

			रु०	पै०
	वन		रु०	पै०
3-ख	वन-राजिक (फॉरेस्ट रेंजर)		50	00
3-ग	उप - राजिक या वनपाल (डिप्टी रेंजर या फॉरेस्टर)		30	00
		बशर्ते कि यह भत्ता पा सकने के लिए वे क्रिया-काल में, अर्थात् 15 अक्टूबर से 30 जून तक, हर दौरा महीने में कम-से-कम 20 दिन तथा 15 रात और वर्षा-काल में, अर्थात् 1 जुलाई से 14 अक्टूबर तक, कम-से-कम 15 दिन और 10 रात शिविर में बितावें, यदि ये मानक आचरित न हों तो नियंत्रण पदाधिकारी स्वविवेक से उस रकम में समुचित कमी कर दे सकता है, बशर्ते कि यात्रा भत्ता में कमी करने के पहले उन्हें स्पष्टीकरण के लिए एक अवसर दिया जाय। दौरावाले दिनों की संख्या जोड़ने के प्रयोजनार्थ, जिस किसी दिन मुख्यालय के [2][8 किलोमीटर] के घेरे से बाहर यात्रा की गई हो या विराम किया गया हो उस दिन को दौरे पर बीता एक दिन गिना जायगा।		
	शिक्षा		रु०	पै०
4.	विद्यालय - अवर निरीक्षक उन्हें छोड़कर जो नगरपालिका क्षेत्र में नियोजित हैं और जो नीचे प्रविष्टि संख्या 5-7 में उल्लिखित हैं।		31	95][1]
5.	संथाल परगना के (संथाल अवर-निरीक्षकों से भिन्न) अवर-निरीक्षक।*		40	00
6.	संथाल-परगना के संथाल अवर-निरीक्षक।		35	00

1. आना से पैसे में परिवर्तित।

2. मील से किलोमीटर में परिवर्तित।

प्रविष्ट सं०	सरकारी सेवक का पदनाम	स्थायी यात्रा-भत्ते की दर	
7.	राँची जिले के आदिवासी अवर निरीक्षक।	25	00
8.	विद्यालय-सहायक-अवर-निरीक्षक।	25	00
9.	संथाल परगना से भिन्न जिलों के निरीक्षण-मौलवी।	28	12][1]
10.	संथाल परगना के निरीक्षण मौलवी लोक-स्वास्थ्य।	37	50][1]
	लोक स्वास्थ्य		
10.क.	स्वास्थ्य सहायक(हेल्थ असिस्टेंट)	30	00
		एक महीने में 15 दिन तक की दौरा-यात्रा के लिए, परन्तु जहाँ वास्तविक दौरा 15 दिन से कम हुआ हो और कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हो वहाँ नियंत्रण पदाधिकारी को रकम घटा देने की पूरी शक्ति होगी।	

*अवर-शिक्षा-सेवा के उच्चवर्गीय अवर-निरीक्षकों को, जो 150 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाते हैं, प्रतिमास 28 रु० 12 पै०][1] की दर से स्थायी यात्रा भत्ता मिलता है।

		किसी महीने में 15 दिन से अधिक की दौरा-यात्रा के लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जायगा। बदली-यात्रा को छोड़ कर नियत यात्रा-भत्ते में रेल-यात्राओं का रेल किराया भी शामिल है।		
			रु०	पै०
11.	पर्यटन पशु-चिकित्सक (टूरिंग-वेटेरिनरी सर्जन) ●		22	50
	उद्योग			
12.	बुनाई-प्रदर्शक (वीभिग डिमोन्स्ट्रेटर)-			
	(1) संथाल परगना में	...	45	00
	(2) अन्यत्र ...	...	34	37][1]
13.	बुनाई-मिस्त्री और रंगाई-मिस्त्री-			
	(1) संथाल परगना में	...	8	75][1]
	(2) अन्यत्र	...	4	25][1]
14.	(1) बुनाई-प्रदर्शन दल से सम्बद्ध पिउन-			
	(1) संथाल परगना में	...	5	00
	(2) अन्यत्र	...	3	75][1]

टिप्पणी :- [2][X X X X]

***विषय :- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि सुधार कर्मचारियों एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सेवकों को नियत यात्रा भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहसील कर्मचारियों को अभी 15/-रु० प्रतिमाह की दर से नियत यात्रा भत्ता स्वीकृत है। भत्ता की दर 10 वर्ष पूर्व निर्धारित की गयी थी। इस बीच इस भत्ते की दर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गयी। वर्त्तमान महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि सुधार कर्मचारियों को देय नियत यात्रा भत्ता की वर्त्तमान दर को बढ़ाकर 25/-रु० प्रतिमाह किया जाय।

●. पन्द्रह दिन से अधिक का दौरा करने पर [1][22 रु० 50 पै०] के मासिक भत्ते में दिन पीछे [1][1 रु० 50 पै०] जोड़ दिया जायगा, किन्तु यह रकम 35 रुपये से अधिक न होगी।

1. आना से पैसे में परिवर्तित।

2. ज्ञाप संख्या 5293 दिनांक 3-7-1979 द्वारा लुप्त।

2. ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सेवकों को भूमि सुधार कर्मचारियों की तरह अपने कर्त्तव्य के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन उन्हें अभी नियत यात्रा-भत्ता के रूप में कुछ भी देय नहीं है। इससे उन्हें अपने कार्यो के सम्पादन में कठिनाई होती है। अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सेवकों को भी 25/-रु० प्रतिमाह की दर से नियत यात्रा-भत्ता स्वीकृत किया जाय।

3. इस आदेश का प्रभाव 1ली मई, 1981 से होगा।

4. इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व आदेश को यथा संशोधित समझा जाए।

[* Vide F.D. memo No. 3/A — 3-2-81— 6480 dated 14-5-1981]

परिशिष्ट 3

(देखें नियम 35)

सवारी-भत्ता पाने वाले सरकारी सेवकों की सूची।

टिप्पणी – ये सब भत्ते तभी दिये जायँगे जबकि हर महीने इस आशय का एक प्रमाण-पत्र पेश किया जाय कि जो सवारी रखने के लिए भत्ता स्वीकृत था, वह निर्दिष्ट सवारी, उस महीने में वस्तुतः रखी गई है।

प्रविष्ट संख्या	सरकारी सेवक का पदनाम	सवारी-भत्ते की दर	सवारी जिसे रखने के लिए भत्ता दिया जाय।	
1	2	3	4	5
	वाणिज्य-कर* **पटना नगर अंचल**			
[1][1.	सहायक वाणिज्य-कर आयुक्त	70.00 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 25 निरीक्षण किये जायें।	
2.	वाणिज्य-कर अधीक्षक	50.00 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 30 निरीक्षण किये जाये।	
3.	अवर वाणिज्य-कर अधीक्षक	40.00 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 30 निरीक्षण किये जायें।	
4.	सहायक वाणिज्य-कर अधीक्षक	40.00 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 50 निरीक्षण किये जायें।	
5.	वाणिज्य कर निरीक्षक	7.50 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 50 निरीक्षण किये जायँ।	

***टिप्पणी 1** –सवारी भत्ते की राशि उस अनुपात में कम कर दी जायगी जहाँ महीने में विहित पूरे निरीक्षण या महीने की टूटी अवधि की दशा में उसकी अनुपातिक संख्या, आठ किलोमीटर के घेरे के बाहर न की गई हो जिसके लिए कोई भी यात्रा-भत्ता भारित नहीं है।

टिप्पणी 2– पदाधिकारी जितने दिन अपने मुख्यालय के आठ किलोमीटर के घेरे से बाहर यात्रा करेंगे और यात्रा-भत्ता लेगें, उतने दिन का सवारी भत्ता काट लिया जायगा।

1. शुद्धि पत्र संख्या 100 दिनांक 9-5-1960 द्वारा प्रतिस्थापित ।

टिप्पणी 3– प्रत्येक पदाधिकारी सवारी भत्ता लेने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र देंगे, "प्रमाणित किया जाता है कि मैंने ....(निरीक्षण की संख्या) निरीक्षण महीने के दौरान किया है और मैंने सवारी भत्ता वित्त विभाग के पत्र संख्या-वि० एफ० एस/बी०-602/58 सी०टी०-6135 दिनांक 4-5-1969 में निहित आदेश के अनुसार लिया है।

प्रविष्टि संख्या	सरकारी सेवक का पदनाम	सवारी भत्ते की दर	सवारी जिसे रखने के लिये भत्ता दिया जाय	
1	2	3	4	5
	पटना सिटी अनुअंचल			
5क.	अपर वाणिज्य-कर अधीक्षक	40.00 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 30 निरीक्षण किये जायें।	
5.ख.	सहायक वाणिज्य-कर अधीक्षक	40.00 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 30 निरीक्षण किये जायें।	
5.ग.	वाणिज्य-कर निरीक्षक	7.50 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 50 निरीक्षण किये जायें।	
	जमशेदपुर अंचल			
5.घ.	सहायक वाणिज्य-कर आयुक्त	70.00 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 25 निरीक्षण किये जायें।	
5.ङ.	अपर वाणिज्य-कर अधीक्षक	40.00 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 30 निरीक्षण किये जायें।	
5.च.	सहायक वाणिज्य-कर अधीक्षक	40.00 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 40 निरीक्षण किये जायें।	
5.छ.	वाणिज्य-कर निरीक्षक	7.50 प्रतिमाह	इस शर्त्त के साथ कि महीने में 50 निरीक्षण किये जायें।	
	भू-राजस्व			
6.	रजौली, कटरा, कुच्छिल, उनवास, दखिनवारा, गंगा दियारा, सालिमपुर, मधेपुरा, सुपौल, शौनपुर और खरगडीहा (घोड़ा या टट्टू) अंचलों के तहसीलदार।	7.50 प्रतिमाह	साईकिल	
7.	विलुप्त			
8.	नासरीगंज, भलुनी, बक्सर, आरा शहर, मुंगेर (सदर) कोडरमा,	7.50 प्रतिमाह	साईकिल	

प्रविष्टि सं०	सरकारी सेवक का पदनाम	सवारी भत्ते की दर	सवारी जिसे रखने के लिये भत्ता दिया जाय	
1	2	3	4	5
	हाटा, पोरा-हाट, चाईबासा शहर और सारण के तहसीलदार।			
8.क.	मुंगेर (सदर) के तहसीलदार	25.00	टट्टू	
9.	पाकुड़ दामिन के निवासी दण्डाधिकारी (रेजिडेन्ट मजिस्ट्रेट) और पशु-बाजार, हिरनपुर के अधीक्षक के रूप में नियोजित-उप दण्डाधिकारी और उस-समाहर्त्ता।	35.00	घोड़ा या टट्टू।	
9.क.	कुटलूपुर, बिन्दा दियारा, बेगूसराय, धानापोरा, लखीसराय, रोहतास, टिटंगा, सहदेवखाप और परैया अंचलों के तहसीलदार तथा पलामू के तहसीलदार।	25.00	घोड़ा या टट्टू	
9.ख.	भू-माप और बन्दोबस्त-कार्य के सम्बन्ध में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी और प्रभार-पदाधिकारी (चार्ज अफसर)।	50.00	घोड़ा	
	वन			
10.	राजमहल राजिका के राजिकाधिकारी	7.50	साईकिल	
	सिंचाई			
11.	सिंचाई प्रशाखा के अधिदर्शक (ओवरसियर) तथा सिंचाई विभाग के सभी प्रशाखा-पदाधिकारी।	7.50	साईकिल	
11.क.	अधिदर्शक (ओवरसियर) के मंजूर पद पर नियुक्त और सेक्शन-प्रभारी के रूप में पदस्थापित इंजीनियर-सहायक।	7.50		
	सामान्य प्रशासन			
11.ख.	जिला-दण्डाधिकारी, पटना 75.00		मोटरगाड़ी	
11.ग.	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर	20.00	मोटरगाड़ी	
	पुलिस			
12.	पटना सिटी के प्रभारी पुलिस उप-अधीक्षक या सहायक अधीक्षक।	50.00 या 40.00	मोटरगाड़ी या दो टट्टू या मोटर साईकिल	वह जितने दिन अपने मुख्यालय के 8 किलोमीटर के घेरे से बाहर यात्रा करेगा और यात्रा-भत्ता लेगा, उतने दिन का सवारी-भत्ता काट लिया जायगा।
13.	पुलिस अधीक्षक, पटना जिला।	75.00	मोटरगाड़ी या कोई ऐसी सवारी जिसमें दो घोड़े जुतें।	
14.	पुलिस अपर-अधीक्षक, जमशेदपुर	75.00	मोटरगाड़ी	

प्रविष्टि सं०	सरकारी सेवक का पदनाम	सवारी भत्ते की दर	सवारी जिसे रखने के लिये भत्ता दिया जाय	
1	2	3	4	5
15.	जिला-पुलिस से सम्बद्ध सार्जेन्ट	7.00	साईकिल	
15.क.	नगर-निरीक्षक, राँची के रूप में पदस्थापित पुलिस-निरीक्षक ।	40.00	मोटर साईकिल	
16.	आशुलिपिक अवर-निरीक्षक (स्टेनो-सब-इन्सपेक्टर), रेलवे से सम्बद्ध को छोड़कर ।	7.50	साईकिल	
17.	अपराध-अनुसंधान-विभाग से सम्बद्ध रिपोर्ट।	7.50	साईकिल	
18.	हवलदार (पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से सम्बद्ध एक हवलदार और याता-यात-विनियमन-प्रभारी शहर-हवलदार)।	7.50	साईकिल	
19*	थानों से सम्बद्ध निरीक्षक	50.00		अधोलिखित वाद टिप्पणी देखें।
20.*	थानों से सम्बद्ध सहायक अवर-निरीक्षक	20.00		
20.क.	जिला सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों के प्रभारी जमादार।	5.00	साईकिल।	
	शिक्षा			
21*	पटना में छात्र-निवासों का निरीक्षक	35.00	टमटम और टट्टू ।	
	चिकित्सा			
22.	बसावन सिंचाई औषधालय के प्रभारी अवर-सहायक शल्य-चिकित्सक।	7.50	साईकिल	
23.	कुष्ठ रोग उपचार-गृह, चम्पारण, के प्रभारी अवर सहायक शल्य चिकित्सक	7.00	साईकिल	
24.	मनियारी सिंचाई औषधालय के प्रभारी अवर-सहायक शल्य-चिकित्सक।	7.00	साईकिल	
	लोक स्वास्थ्य			
25.	जिलों के टीका-निरीक्षण-कर्मचारी	7.50	साईकिल	
	उद्योग			
26.	सहायक खान - व्याख्याता, धनबाद	7.50	साईकिल	
	विविध विभाग			
26.क.	श्रम कल्याण पदाधिकारी, जमशेदपुर असैनिक निर्माण (लोक-निर्माण विभाग)	7.50	मोटर-साईकिल या साईकिल	
27.	केन्द्रीय, गया, पटना, विद्युत निर्माण, लोक-स्वास्थ्य-इंजीनियरी जल विकास, सिंहभूम, पूर्णिया, भागलपुर, हजारीबाग, और रांची प्रमण्डलों के प्रशाखा पदाधिकारी तथा अधिदर्शक (ओवरसियर)	7.50	साईकिल	
28.	भंडारपाल (पटना प्रमण्डल)...	7.50	साईकिल	
29.	अधिदर्शक, एन० बी० सर्किल, तथा अवर अधिदर्शक (सब-ओवरसियर)।	7.50	साईकिल	

* थानों से सम्बद्ध अवर-निरीक्षक और सहायक-अवर-निरीक्षक क्रमशः 50 रु० और 20 रु० सवारी-भत्ता ले सकते हैं, किन्तु शर्त्त है कि-

(1) अवर-निरीक्षक या सहायक अवर-निरीक्षक जिस थाने से सम्बद्ध हो उसके अधिक्षेत्र के भीतर कोई यात्रा-भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । हाँ, थाने से [1][8 किलोमीटर] के बाहर हर रात्रि-विराम के लिए [2][दैनिक-भत्ता] लिया जा सकेगा, और ।

(2) अवर-निरीक्षक को या सहायक अवर-निरीक्षक को वह सवारी रखनी होगी जो पुलिस-अधीक्षक के विचार में उपर्युक्त हो ।

* यदि कोई सवारी नहीं रखी जाय, तो प्रतिमास 25 रु० तक सवारी-भाड़े का वास्तविक खर्च लिया जा सकता है।

राज्य सरकार के निर्णय –

1 *विषय- कार्य विभागों के अवर अभियन्ताओं के वर्त्तमान वाहन भत्ता (कन्वेयेन्स एलाउएन्स) की दर में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक 3/ए०-1-3/81-6294 वि०, दिनांक 11 मई, 1981 की ओर ध्यान आकृष्ट करना है, जिसमें कार्य विभागों के कनीय अभियन्ताओं को 40/-रु० की दर से वाहन भत्ता के भुगतान की बात है।

आरम्भ में केवल सिंचाई/लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अवर (कनीय) अभियन्ताओं को 7.50 रु० प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता देय था । किन्तु अब कार्य विभागों में कई नये विभाग आ गये हैं जैसे ग्रामीण अभियन्त्रण संगठन जन स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग आदि। साथ ही कई विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि के अपने निर्माण कोषांग हैं जिनमें कार्यरत अवर (कनीय) अभियन्ताओं को अपने कार्य क्षेत्र में दौरा करने की आवश्यकता होती है। निर्माण कार्य में संलग्न सभी विभाग के कनीय अभियन्ताओं को वाहन भत्ता दिया जाय अथवा नहीं यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था। इस विषय पर पूर्णरूप से विचार के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग के अवर (कनीय) अभियन्ता जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र में दौरा करना पड़ता है उन्हें 40/- रु० प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ते का भुगतान किया जाय।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-6294 वि०, दिनांक 11-5-1981 को इस अंश तक संशोधित समझा जाए। **[*वित्त विभाग पत्र संख्या 3/ए-3/81/10596 वि०, दिनांक 10-12-1981]**

2 *विषय – कार्य विभागों के अवर अभियन्ताओं के वर्त्तमान वाहन भत्ता (कन्वेयेन्स एलाउएन्स) की दर में संशोधन।

कार्य विभागों के कनीय अभियन्ताओं को उनके कार्य क्षेत्र में दौरा करने के लिए रु० 7.50 प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत है। वर्त्तमान बढ़ती हुई महँगाई को देखते हुए बिहार अवर अभियन्ता संघ द्वारा यह माँग की गयी कि उनके वर्त्तमान वाहन भत्ता की दर में वृद्धि की जाय। उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर पूर्ण विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन कनीय अभियन्ताओं को जिन्हें रु० 7.50 प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत है, उन्हें 40/- रु० प्रतिमाह की दर से अन्तरिम वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाय।

2. इस आदेश का प्रभाव दिनांक 1 मई, 1981 से होगा।

3. इस सम्बन्ध में बिहार यात्रा भत्ता नियमावली को यथा संशोधित समझा जाए।

[*वित्त विभाग संकल्प सं० 3/एI-3/81/6294 वि०, दिनांक 11-5-1981 ।]

3 *विषय – कार्य विभागों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के वाहन भत्ता (Conveyance allowance) की वर्त्तमान दरों को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कनीय अभियन्ताओं को अपने कार्य-क्षेत्र में दौरा करने के निमित 40/-रु० प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता 1 ली मई, 1981 से स्वीकृत था।

---

1. मील से किलोमीटर में परिवर्तित ।

2. जी० एस० आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अवर अभियन्ता संघ की माँग थी कि वर्त्तमान में 40/- रुपये प्रतिमाह की दर से जो वाहन भत्ता उन्हें स्वीकृत किया गया है, वह अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत है, अतएव आरक्षी निरीक्षकों की तरह उन्हें भी अन्तरिम व्यवस्था से हटाकर वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाय। अवर अभियंता संघ की माँग पर उच्चस्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के अन्य सम्वर्ग में निरीक्षण आदि कार्यों के लिए मिलनेवाली राशि की तरह ही कनीय अभियन्ताओं को भी 150/- रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता दिया जाय।

उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विभिन्न कार्य विभागों में अवर अभियन्ताओं को उनके कार्य क्षेत्र में दौरा करने के लिए स्वीकृत वर्त्तमान वाहन भत्ता रुपये 40/- प्रतिमाह के स्थान पर दिनांक 1ली अक्टूबर, 1986 से रुपये 150/- प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाय। वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 6294 वि० दिनांक 1 मई, 1981 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

[*वित्त विभाग संकल्प संख्या 3 पी० ए० आर० -01/86-8232 वि० (2), दिनांक 26-11-1986]

4 *विषय – राज्य के नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को सवारी भत्ता की देय दर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 3/ए I-30-05/79-12499 1 वि० दिनांक 15-10-1979 के जरिए राज्य के नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को कार्यालय आने एवं जाने के लिए मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम रुपये 50/- प्रतिमाह सवारी भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था।

सवारी भत्ता की वर्त्तमान दर में वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को भारत सरकार के समान कार्यालय आने एवं जाने के लिए सवारी भत्ता की सिर्फ अधिकतम दर जो वर्त्तमान में 50/-रुपये प्रतिमाह है, उसको बढ़ाकर 75/- रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। पूर्व की भाँति सवारी भत्ता की राशि की स्वीकृति की दर मूल वेतन का 10% रहेगी और इस शर्त्त की राशि का भुगतान केन्द्र सरकार के आधार पर निम्नांकित शर्तों पर किया जायगा:-

2. (क) सरकारी सेवक जिनके शरीर का निचला हिस्सा एवं ऊपरी हिस्सा दोनों में कम-से-कम 40% स्थायी/आंशिक असमर्थता हो। यानी चलने-फिरने से मजबूर हो।

(ख) यह सवारी भत्ता सरकारी अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर अनुमान्य होगा।

(ग) ऐसे सरकारी सेवक जो नेत्रहीन हों उनको यह भत्ता राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के आँख विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र देने पर अनुमान्य होगी।

(घ) यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) उपार्जित छुट्टी/पदभार ग्रहण एवं निलंबन की अवधि में अनुमान्य नहीं होगा।

3. नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को सवारी भत्ता की स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा की जायेगी। वे सम्बन्धित सरकारी सेवकों से अलग-अलग आवेदन पत्र प्राप्त कर आदेश निर्गत करेंगे।

4. इस भत्ते का भुगतान उसी बजट शीर्ष से विकलनीय होगा जिस शीर्ष से ऐसे सम्बन्धित सरकारी सेवकों का वेतन एवं अन्य भत्ते का भुगतान किया जाता है।

5. सवारी भत्ता की वर्त्तमान दर में की गई वृद्धि आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

***[F. D. Memo no 3/ए I-4/86-4522 वि०, दिनांक 27-7-1987]**

5 *विषय – राज्य के नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को सवारी भत्ता की देय दर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि वित्त विभाग ज्ञाप सं०-4522 वि०, दिनांक 27-7-1987 के जरिये राज्य के नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को कार्यालय आने एवं जाने लिए मूल वेतन का 10% (दस प्रतिशत) अधिकतम रु० (75/ पचहत्तर रुपये) प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था।

2. फिटमेंट-सह-वेतन-पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर उक्त कोटि के कर्मचारियों के देय सवारी भत्ता की वर्त्तमान दर में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

3. पूर्ण विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को कार्यालय आने एवं जाने के लिए मूल वेतन का 10% (दस प्रतिशत) अधिकतम रु० 150/-(एक सौ पचास रुपये) का भुगतान प्रतिमाह किया जाय।

4. सवारी भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य शर्त्ते वही रहेगी जो वित्त विभाग के ज्ञाप सं०-4522/वि०, दिनांक 27-7-1987 में निहित है।

5. पुनरीक्षित दर आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

[* पत्र संख्या 3/ए1-33/91/3984/वि० (2) दिनांक 25-7-1991]

6 ***विषय– विद्यालयां के नेत्रहीन शिक्षकों को वाचक भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने विद्यालयों के नेत्रहीन शिक्षकों को 150/- (एक सौ पचास रुपये) प्रतिमाह की दर से वाचक भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

2. यह निर्णय आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

[* पत्र सं० 3/ए 3-2/91/3985 वि० (2) दिनांक 25-7-1991]

परिशिष्ट 4

(नियम 67 देखें)

दस रात्रि-वास वाले नियम से सामान्य विमुक्तियों की सूची

मद संख्या	विभाग	वे सरकारी सेवक जिन्हें छूट मिली है।	शर्त्तें
1.	सभी	चाकर सेवक	
2.	सभी	किसी मेले, दरबार या कृषि-प्रदर्शनी में जाने वाले सभी सरकारी सेवक।	बशर्त्ते कि वे शिविर-उपकरण का अनुरक्षण करें और नियंत्रण-पदाधिकारी का यह प्रमाण-पत्र दें कि मेले, दरबार या प्रदर्शनी में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी।
2.क.	वाणिज्य-कर	वाणिज्य-कर आयुक्त के कार्यालय से सम्बद्ध अंकेक्षण सहायक।	पहले महीने के लिए पूरी दर से और दूसरे महीने के लिए आधी दर से [1][दैनिक-भत्ता]।
3.	वन	वन विभाग के सभी सरकारी सेवक।	बशर्त्ते कि वे शिविर-उपकरण का अनुरक्षण करे।
4.	सिंचाई	सर्वेक्षण के काम में नियोजित सिंचाई विभाग के सभी सरकारी सेवक।	बशर्ते कि वे शिविर-उपकरण का अनुरक्षण करें और नियंत्रण-पदधिकारी का यह प्रमाण-पत्र दे कि दस रात से अधिक पत्र दें कि दस रात से अधिक विराम के कारण अतिरिक्त खर्च करना पड़ा।
[2][4.क.	राजस्व (भू-अर्जन प्रशाखा) विभाग	भू-अर्जन पदाधिकारियों के कार्यालय के क्षेत्र-कर्मचारी-वृन्द चेनमैन, अमीन, भू-मापक और कानूनगी।	30 रात्रि-वास की सीमा तक पूरी दर से [1][दैनिक-भत्ता] दिया जा सकता है।
5.	सामान्य प्रशासन	प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ दौरे पर जाने वाले सभी लिपिक।	
6.	सामान्य प्रशासन	विप्रेषण के प्रभारी लिपिक और पोतदार।	बशर्ते कि एक महीने तक के विराम के लिए उस चलमुद्रा-पदाधिकारी (करेंसी अफसर) का जिसके अधिक्षेत्र के भीतर प्रापण-कोषागार पड़ता हो, और एक

1. जी० एस० आर० 48 दिनांक 9-5-1794 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. सी०एस०संख्या 102 दिनांक 9-6-1960 द्वारा अन्तः स्थापित।

मद संख्या	विभाग	वे सरकारी रोकड़ जिन्हें छूट मिली है।	शर्तें
			महीने से अधिक विराम के लिए रिजर्व बैंक के मुख्य लेखापाल (चीफ एकाउन्टेंट) का यह प्रमाण-पत्र ही कि रोक रखना अनिवार्य था।
7.	सामान्य प्रशासन	राज्यपाल के दौरे पर उनके साथ चलने वाले विशेष गारद से सम्बद्ध कर्मचारी।	
8.	सामान्य प्रशासन	राज्यपाल के दौरे पर उनके साथ चलनेवाले उनके कर्मचारी वृन्द से सम्बद्ध अवर-सहायक शल्य चिकित्सक।	
9.	न्याय प्रशासन	भागलपुर के सत्र-न्यायाधीश जब वे दुमका में इजलास करें।	
10.	न्याय प्रशासन	मुजफ्फरपुर के सत्र-न्यायाधीश, जब वे मोतिहारी में इजलास करें।	
11.	न्याय प्रशासन	मानभूम-सिंहभूम के सत्र न्यायाधीश, जब वे चाईबासा, जमशेदपुर और धनबाद में इजलास करें।	
12.	न्याय प्रशासन	छोटानागपुर-के-न्याय- आयुक्त, जब वे हजारीबाग और पलामू में इजलास करें।	
13.	न्याय प्रशासन	दीवानी न्यायालय के अमीन	बशर्त्ते कि जिला-न्यायाधीश का यह प्रमाण-पत्र पेश किया जाय कि सरकारी कर्त्तव्यों के पालन के लिए दीर्घित विराम आवश्यक था।
14.	न्याय प्रशासन	मानभूम और सिंहभूम के पदेन अवर न्यायधीश, जब वे चाईबासा में इजलास करें।	पहले महीने के लिए पूरी दर पर और दूसरे-तीसरे महीने के लिए आधी दर पर [1][दैनिक-भत्ते]।
14.क.	न्याय प्रशासन	चाईबासा के अवर-न्यायधीश और उनके साथ के कर्मचारी, जब वे दालभूम अवर प्रमंडल में उठने वाले मामलों को निबटाने के लिए जमशेदपुर में इजलास करें।	वही
15.	न्याय प्रशासन	राँची, हजारीबाग और पलामू के और डालटेनगंज में इजलास करते समय हजारीबाग तथा पलामू के अवर-न्यायधीश।	

1. जी० एस० आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

मद संख्या	विभाग	वे सरकारी सेवक जिन्हें छूट मिली है।	शर्त्त
16.	न्याय प्रशासन	चाईबासा, जमशेदपुर और धनबाद में दौरा-इजलास करते समय मानभूम सिंहभूम के सत्र-न्यायधीश के साथ के कर्मचारी वर्ग।	....
17.	न्याय प्रशासन	दुमका में दौरा - इजलास करते समय भागलपुर के सत्र-न्यायाधीश के साथ के कर्मचारी वर्ग।	....
18.	न्याय प्रशासन	मोतिहारी में इजलास करते समय मुजफ्फरपुर के सत्र-न्यायाधीश के साथ के कर्मचारीवर्ग।	...
19.	न्याय प्रशासन	हजारीबाग और पलामू में इजलास करते समय छोटानागपुर के न्याय आयुक्त के साथ के कर्मचारीवर्ग।	...
20.	न्याय प्रशासन	उपर्युक्त मद 14 और 15 में निर्दिष्ट अवर - न्यायाधीशों के साथ कर्मचारी - वर्ग।	पहले महीने के लिए पूरी दर पर और दूसरे-तीसरे महीने के लिए आधी दर पर [1][दैनिक भत्ता]।
21.	पुलिस	अपराध - अनुसंधान विभाग से सम्बद्ध अवर - पुलिस पदाधिकारी।	दस रात्रि-वासों के बाद आधा [1][दैनिक-भत्ता] और 60 रात्रि-वासों के बाद कोई भत्ता नहीं, परन्तु यदि पुलिस-महानिरीक्षक परिस्थितिगों को देखते हुए न्यायोचित समझें तो पहले महीने के लिए पूरी दर से और दूसरे-तीसरे महीने के लिए आधी दर से [1][दैनिक भत्ता] मंजूर कर सकते हैं।
21.क.	पुलिस	होम - गार्ड से सम्बद्ध अवर पदाधिकारी।	यदि होम-गार्ड के महानिरीक्षक परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित समझें तो पहले महीने के लिए पूरी दर से और दूसरे-तीसरे महीने के लिए आधी दर से [1][दैनिक भत्ता]मंजूर कर सकते हैं।
21.ख.	शिक्षा	राष्ट्रीय छात्र-सैनिक-गुल्म (एन० सी० सी०) के असैनिक कर्मचारी जो एन० सी० सी० में शरीक हों।	यदि लोक-शिक्षा-निदेशक परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित समझें तो पहले महीने के लिए पूरी दर से और दूसरे-तीसरे महीने के लिए आधी दर से [1][दैनिक-भत्ता] मंजूर कर सकते हैं।

1. जी० एस० आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मद संख्या	विभाग	वे सरकारी सेवक जिन्हें छूट मिली है ।	शर्त्त
21.ग		के० पी० जायसवाल शोध-संस्थान, पटना की खुदाई-युनिट का स्टाफ ।	जब कभी संस्थान निदेशक न्यायोचित समझें, खुदाई के संबंध में प्रथम 30 दिनों के लिए पूरी दर से और बाद वाले 60 दिनों के लिए आधी दर से [1][दैनिक-भत्ता]
22.	उद्योग	बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सरकारी सेवक जब वे सर्वेक्षण-छात्रों के शिक्षण में नियोजित हों ।	30 रात्रि-वास तक पूरा [1][दैनिक-भत्ता] दिया जा सकता है ।
23.	असैनिक निर्माण	लोक-निर्माण-विभाग के सभी सरकारी सेवक, जब वे सर्वेक्षण-कर्त्तव्यों में नियोजित हों ।	बशर्ते कि वे शिविर-उपकरण का अनुरक्षण करें अथवा नियंत्रण-पदाधिकारी का यह प्रमाण-पत्र पेश करें कि दस रात से अधिक विराम के कारण अतिरिक्त खर्च करना पड़ा ।
24.	प्रकीर्ण	वित्त-विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन केन्द्रीय अंकेक्षण-कर्मचारीवर्ग ।	पहले महीने के लिए पूरी दर से और दूसरे महीने के लिए आधी दर से [1][दैनिक-भत्ता]

परिशिष्ट 5

(नियम 105 देखें)

(राँची नियमावली)

1. जब राज्य सरकार का मुख्यालय राँची में हो, तब अपेक्षा की जायगी कि सरकार के सचिव, उप-सचिव और अवर सचिव, नीचे नियम 2 (क) में नामित के सिवा वे विभागाध्यक्ष, जिनके कार्यालय सचिवालय के विभागों से आमेलित हों, विधि-कार्यों के अधीक्षक एवं विधि-परामर्शी, जो न्याय विभाग के सचिव भी हैं, और मुख्य-सचिव-विभाग के निबंधक राँची में रहें ।

टिप्पणी (1) – मुख्य-मंत्री के सचिव/मंत्रियों के निजी सचिवों का मुख्यालय वही होगा, जहाँ राज्य-सरकार का मुख्यालय हो । पटना और राँची के बीच सरकार के स्थान-परिवर्त्तन के साथ ही, इन्हें भी, यात्रा-भत्ता के मामले में, इस नियम में उल्लिखित पदाधिकारियों के समान ही माना जाएगा ।

टिप्पणी (2) – जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, लिपिक तथा अन्य उत्कृष्ट स्थापनाओं के सदस्य, महामहिम राज्यपाल के साथ जाने वाले राजभवन-मुद्रणालय, पटना के चाकर-वर्गीय सदस्य, सचिवालय कैंटीन के कर्मचारी, आमेलित विभागों के लिपिक-कर्मचारी और केन्द्रीय डुप्लिकेटिंग सेक्शन के कर्मचारी उन सभी सुविधाओं के हकदार हैं जो सरकार के सचिव की वैसी ही स्थापना के लिए राँची नियमावली के अधीन अनुमान्य हो ।

2. (क) जब सरकार का मुख्यालय राँची में रहे तब निम्नलिखित पदाधिकारियों की अनुमति प्राप्त है कि वे कुल मिलाकर हद-से-हद साढ़े तीन महीने तक वहाँ ठहरें किन्तु शर्त्त यह है कि कोई भी सरकारी सेवक वहाँ लगातार दो महीने से अधिक नहीं ठहर सकता और, यदि सरकारी सेवक को राज्य-सरकार द्वारा विशेष रूप से राँची बुलाया न जाए, तो दो यात्राओं के बीच कम-से-कम 6 सप्ताहों का अन्तर होना आवश्यक है

1. जी० एम० आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सरकारी सेवकों के पदनाम	राँची ले जाए जाने वाले सहायकों और टंककों (एकट्ठे दोनों) की अधिकतम संख्या।	अर्दली सहित चपरासी की अधिकतम संख्या।
(1) राजस्व-पर्षद के सदस्य	3	3
(2) पुलिस-महानिरीक्षक	4	3

(ख) अपराध-अनुसंधान विभाग के पुलिस-उप-महानिरीक्षक, जून के महीने में तथा दशहरा अवकाश के पूर्ववर्त्ती पखवारे में राँची में रहने के लिए अनुमत हैं। उनके साथ जाने वाले सहायकों और टंककों (इकट्ठे दोनों) की संख्या तीन और चपरासियों की संख्या दो से अधिक न होगी।

(ग) यदि राजस्व-पर्षद के सदस्य निदेशित करें तो, राजस्व-पर्षद के सचिव, उक्त सदस्य के राँची-निवास-काल में वहाँ कुल छः सप्ताह बिता सकते हैं। उसके साथ जाने वाले कर्मचारियों में सहायकों और टंककों (इकट्ठे दोनों) की संख्या तीन और चपरासियों की संख्या दो से अधिक न होगी।

(घ) बालिका-शिक्षा की उप-निदेशिका को अनुमति प्राप्त है कि वे गर्मी या बरसात में अधिक-से-अधिक छः सप्ताह राँची में ठहर सकती हैं और अगर चाहें तो उक्त अवधि के अन्त में पूजावकाश को जोड़ सकती है। उनके साथ जाने वाले कर्मचारियों में अधिक-से-अधिक एक सहायक और दो चपरासी होंगे।

टिप्पणी – इस नियम के अधीन जो अधिकतम अवधि विहित की गयी है, उसमें दशहरा-अवकाश शामिल नहीं है, किन्तु, जो सरकारी सेवक यह अवकाश राँची में बिताएँगे, उन्हें पूजावकाश के बाद प्रथम दिन को पटना में पद-भार ग्रहण करना होगा।

3. (क)नियम (1) में उल्लिखित सरकारी सेवक, प्रतिवर्ष, पटना से राँची तक की आरम्भिक यात्रा और जब शीतकाल के आरम्भ में सरकार का मुख्यालय पटना स्थानान्तरित किया जाए तब राँची से पटना तक की यात्रा के लिए, अर्थात्, प्रतिवर्ष केवल एकबार आती और जाती, बदली-यात्रा-भत्ते के समान यात्रा-भत्ता लेने के हकदार हैं, परन्तु जिन राजपत्रित सरकारी सेवकों को राँची में सुसज्जित निवास दिया गया हो, उनके निजी सामानों का सरकारी खर्च पर परिवहन निम्नलिखित अधिकतम (वजन) तक सीमित रहेगा–

		[1][किलोग्राम]
पहली कोटि के सरकारी सेवकों की दशा में	...	[1][2797]
दूसरी कोटि के सरकारी सेवकों की दशा में	...	[1][1400]

इस दरमियान राँची और पटना के बीच की गई यात्राओं के लिए दौरा यात्रा की दर से यात्रा-भत्ता मिलेगा।

टिप्पणी – सरकारी सेवक को उसकी यात्रा के पहले या पीछे, एक महीने के भीतर जाने वाले उसके परिवार के सदस्यों के लिए, बिना कैफियत, इस नियम के अधीन यात्रा-भत्ता दिया जा सकता है; सरकारी सेवक के समुचित कारण देने पर राज्य सरकार स्वविवेक से यह समय सीमा और आगे बढ़ा दे सकती है। बिहार-यात्रा-भत्ता-नियमावली के नियम 5 के अधीन यह मान लिया जायगा कि राज्य-सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी गई ऐसी मंजूरियों पर वित्त-विभाग की अनुमति मिल चुकी है।

यदि सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य, जिसके लिए इस टिप्पणी के उपबन्धों के अधीन यात्रा-भत्ता लिया जाय, पटना या राँची से भिन्न किसी स्थान से यात्रा करे, तो वह सरकारी सेवक हर ऐसे सदस्य के लिए, जहाँ से उस (सदस्य) ने यात्रा शुरू की हो वहाँ से, जिस श्रेणी में वह यात्रा करने का हकदार हो उस श्रेणी का, यथास्थिति, पूरा या आधा रेल-भाड़ा लेने का हकदार होगा, परन्तु, यह रकम पटना और राँची के बीच की यात्रा के लिए अनुमान्य रकम से किसी भी हालत में अधिक न होगी।

(ख) सरकार का मुख्यालय राँची में रहने पर, नियम 1 में उल्लिखित सरकारी सेवकों से भिन्न जिस सचिवालय-विभागीय राजपत्रित सरकारी सेवक को पूरे या अधिकांश शिविर काल के लिए राँची गमन करने को विशेष रूप से कहा जाय, वह राँची-नियमावली के अधीन अनुमान्य यात्रा-भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के प्रयोजनार्थ, नियम 1 में उल्लिखित दूसरे सरकारी सेवकों के समान ही माना जायगा। किन्तु, अगर उसे सरकार का मुख्यालय राँची में रहने की अवधि के आधे से कम समय तक राँची में रहना पड़े तो उसे दौरा-यात्रा-भत्ते की दर से यात्रा-भत्ता दिया जाय, और [2][दैनिक-भत्ता], पहले महीने के लिए पूरी दर से तथा दूसरे महीने के लिए आधी दर से, और उसके बाद कुछ नहीं दिया जाय।

1. मन से किलोग्राम में परिवर्तित।

2. जी० एस० आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) नियम 1 में उल्लिखित सरकारी सेवकों की, और मंत्रियों की, लिपिक तथा अन्य अराजपत्रित उत्कृष्ट स्थापना के कर्मचारी, पटना से राँची की आरम्भिक यात्रा के लिए तथा, सरकार का मुख्यालय पटना स्थानान्तरित किया जाय तब, राँची से पटना तक की यात्रा के लिए, अर्थात प्रतिवर्ष केवल एक बार आती और जाती–

(1) बदली-यात्रा-भत्ते की निर्धारित दर से अपने लिए यात्रा-भत्ता लेंगे, और

(2) निम्नलिखित अधिकतम (वजन) तक निजी सामान के मालगाड़ी या अन्य यान द्वारा परिवहन का वास्तविक खर्च लेंगे :–

		[1][किलोग्राम]
1.	दूसरी कोटि के सरकारी सेवकों के लिए	[1][1400]
2.	तीसरी कोटि के सरकारी सेवकों के लिए	[1][653]

इस अवधि के दरमियान राँची और पटना के बीच की यात्रा के लिए दौरा-यात्रा भत्ते की दर से यात्रा-भत्ता लिया जायगा।

(घ) सचिवालय के, मंत्रियों के तथा राज्यपाल-सैन्य-सचिव-कार्यालय के चाकर राँची जाने-आने के लिए दौरा-यात्रा-दर से यात्रा-भत्ता लेंगे। राँची की आरम्भिक यात्रा के मौके पर और राँची से पटना तक की अन्तिम यात्रा के समय अर्थात् प्रतिवर्ष केवल एक बार आती और जाती, उन्हें प्रासंगिक खर्च के लिए भी आठ रुपये मिलेंगे।

टिप्पणी (1)– नियम 1 में उल्लिखित सरकारी सेवक अथवा उन सरकारी सेवकों या मंत्रियों की लिपिकवर्गीय या अन्य अराजपत्रित स्थापना का कोई कर्मचारी पटना और राँची के बीच अपने निजी सामान का परिवहन, यात्री-गाड़ी (पैसेंजर ट्रेन) से, सड़क से या अंशत: रेलगाड़ी और अंशत: सड़क से करे तो वह उतने [1][किलोग्राम] तक का वास्तविक ढुलाई-खर्च ले सकेगा जितने [1][किलोग्राम] उसे आद्योपान्त मालगाड़ी से जाने के लिए साधारणत: अनुमान्य होते।

टिप्पणी (2)– बिहार यात्रा-भत्ता-नियमावली के नियम 86 (क) के नीचे की "टिप्पणी 2" के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ, इस नियम के अधीन निजी सामानों के परिवहन की दशा में लागू होंगे।

टिप्पणी (3) – राज्यपाल-सैन्य-सचिव-कार्यालय के सहायक, राज्यपाल के विशेष गारद के सार्जेन्ट मेजर, राज्यपाल के कर्मचारीवर्ग से सम्बद्ध अवर सहायक शल्य-चिकित्सक और राजभवन मुद्रणालय से सम्बद्ध कर्मचारी, जब सामान्य रेलगाड़ी से यात्रा करें (राज्यपाल की विशेष रेलगाड़ी से नहीं) तब वे इस नियम के खंड (ग) के अधीन यात्रा-भत्ता के हकदार होंगे। राजभवन-मुद्रणालय का स्याहीसाज का भी, वैसी परिस्थितियों में, इस नियम खण्ड (घ) के अधीन प्रासंगिक खर्च के लिए अनुमत आठ रुपये पाने का हकदार होगा।

टिप्पणी (4) – राँची और पटना के बीच की यात्रा के लिए महामहिम राज्यपाल के भारतीय परिसहाय का यात्रा-भत्ता निम्न प्रकार से विनियमित होगा –

भारतीय परिसहाय –सरकार का मुख्यालय पटना से राँची जाते और आते समय, महामहिम राज्यपाल के भारतीय परिसहाय बदली पर यात्रा की दर से यात्रा-भत्ता लेंगे, परन्तु जब वे राज्यपाल की विशेष रेलगाड़ी (स्पेशल ट्रेन) से यात्रा करें तब नहीं। यदि वे राज्यपाल की विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करें तो वे प्रथम श्रेणी का एक किराया लेंगे।

टिप्पणी (5) – यदि कोई सरकारी सेवक पटना या राँची में रहते हुए अधिक-से-अधिक चार महीने तक की छुट्टी समाप्त होते ही इन दोनों में से एक जगह-पद-ग्रहण करना पड़े, तो इस नियम के अधीन इसका यात्रा-भत्ता उसी स्थान से जोड़ा जायगा जहाँ से वह छुट्टी की समाप्ति पर कर्त्तव्य-भार ग्रहण करने के लिए वास्तव में प्रस्थान करे, परन्तु यह भत्ता किसी भी हालत में, पटना और राँची के बीच की यात्रा के लिए अनुमान्य यात्रा-भत्ते से अधिक न होगा।

टिप्पणी (6) – जो चाकर (इसमें राज्यपाल-सैन्य-सचिव-कार्यालय के चाकर भी शामिल है) सरदार के मुख्यालय के स्थान परिवर्तन पर्यन्त वास्तव में अपने परिवार को राँची ले जाते और पटना वापस लाते हैं, उन्हें प्रतिवर्ष केवल एक बार आती और जाती तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त रेल-किराया अनुमत किया जाता है। यह सुविधा अस्थायी तौर पर गई है।

1. मन से किलोग्राम में परिवर्तित ।

टिप्पणी (7)–बिहार विधान-मंडल विभाग के सचिव, उप-सचिव, और सहायक-सचिव पटना से राँची तक की आरंभिक यात्रा तथा राँची से पटना तक की वापसी यात्रा के लिए, इस नियम के खण्ड (क) के अधीन, बदली-यात्रा की दर से यात्रा-भत्ता लेने के हकदार हैं, बशर्ते कि राँची में उनका ठहराव कम-से-कम साठ दिन का हो।

4.(क) नियम 2 में उल्लिखित प्रत्येक सरकारी सेवक राँची की आती -जाती यात्राओं के लिए वर्ष में अधिक-से-अधिक दो बार, विशेष आदेश लिये बिना ही, बिहार-यात्रा-भत्ता नियमावली के अधीन दौरा-यात्रा का भत्ता ले सकता है। ऐसा ही भत्ता वह किसी विशेष प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा राँची बुलाए जाने पर भी ले सकता है।

(ख) ऐसा प्रत्येक सरकारी सेवक साल भर में अधिक-से-अधिक बीस रात और एक बार में अधिक-से-अधिक दस रात, राँची में विराम के लिए बिहार यात्रा-भत्ता-नियमावली में दी गई दरों में [1][दैनिक-भत्ता] ले सकता है। स्त्री-शिक्षा की उप-निदेशिका सिर्फ दस रातों के लिए राँची –[1][दैनिक-भत्ता] लेगी।

(ग) नियम 2 की सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी पदाधिकारी की स्थापना का कोई कर्मचारी –

(1) जब उसे अपने अफसर के आदेशानुसार उसके साथ राँची जाना पड़े, राँची की जाती-आती यात्राओं के लिए बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली के अधीन दौरा-यात्रा-भत्ता ले सकता है;

(2) जब उसे राँची में दस रात या इससे कम ठहरना पड़े, तब वह बिहार यात्रा-भत्ता-नियमावली में दी गई दरों से [1][दैनिक-भत्ता] ले सकता है।

5. (1) पटना छोड़ने की तारीख से लौटने की तारीख तक –

(क) मंत्रियों की तथा नियम 1 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की लिपिक-वर्गीय एवं अन्य अराजपत्रित उत्कृष्ट स्थापना के कर्मचारियों को बिहार उड़ीसा सेवा-संहिता के नियम 38 (क) में यथापारिभाषित उनके वेतन 33½ प्रतिशत की दर से स्थानीय भत्ता मिलेगा। किन्तु इसमें विशेष वेतन सम्मिलित नहीं है जिसकी अधिकतम दर 2 रु० प्रतिदिन और न्यूनतम 30 रु० प्रतिमास।

(ख) नियम 2 में निर्दिष्ट लिपिक-स्थापना के कर्मचारियों को और पुलिस-महा-निरीक्षक के जमादार के रूप में काम करनेवाले प्रधान कान्सटेबुल को अपने मौलिक वेतन के 33 2/3 प्रतिशत की दर से स्थानिक भत्ता मिलेगा, जो अधिक-से-अधिक 1 रु० 50 पैसे रोज होगा, परन्तु जिस दिन रात्रि-वास के लिए नियम 4 (ग) (2) के अधीन [1][दैनिक-भत्ता] लिया जाय, उस दिन के लिए वह (स्थानिक) भत्ता नहीं लिया जाएगा।

(ग) चाकरों को (जिनमें राज्यपाल-सैन्य-सचिव-कार्यालय के चाकर भी शामिल हैं) उस अवधि के लिए 31 पैसे रोज की दर से स्थानिक भत्ता मिलेगा, परन्तु वे, इस नियम के अधीन अनुमान्य स्थानिक भत्ते के अतिरिक्त, पटना और राँची के बीच की यात्राओं के दिनों के लिए भी बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली में दी हुई दर से एक दिन का [1][दैनिक-भत्ता] ले सकते हैं:

(2) सभी लिपिकवर्गीय और अन्य अराजपत्रित उत्कृष्ट स्थापनाओं के कर्मचारियों को राँची में बिना किराये का क्वार्टर दिया जायगा, किन्तु राँची में रहते हुए भी उन्हें पटना में मिले क्वार्टरों का विहित सीमाधीन किराया देते रहना होगा (देखें, बिहार सेवा-संहिता, नियम 117 (दूसरा परन्तुक)):

परन्तु यदि उन्होंने राँची जाने के तीन महीने के भीतर, पटना में मिले अपने क्वार्टर को अपने कार्यालय-प्रधान के समाधान के अनुरूप उचित और पर्याप्त कारण दिये बिना ही वापस या खाली कर दिया हो, तो अपने राँची-प्रवास की अवधि में उन्हें राँची में मिले क्वार्टर का किराया देना होगा।

टिप्पणी (1)– यदि कोई लिपिकवर्गीय या अन्य अराजपत्रित उत्कृष्ट सरकारी सेवक अपने राँची-प्रवा-काल में अल्प अवधि के लिए कर्त्तव्यवश पटना वापस आवे, तो भी उसे इस नियम के अधीन अनुमान्य-भत्ता मिलता ही रहेगा, बशर्त्ते कि राँची से उसकी अनुपस्थिति दस दिन से अधिक की न हो, किन्तु ऐसी अवधि में उसे बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली के अधीन कोई [1][दैनिक भत्ता] नहीं मिलेगा । यदि राँची से उसकी अनुपस्थिति दस दिन से अधिक हो जाय तो उसे न तो राँची-भत्ता मिलेगा न [1][दैनिक-भत्ता] ही।

यदि ऐसा सरकारी सेवक अपने राँची-प्रवास की अवधि में पटना से भिन्न किसी स्थान की

---

1. जी० एस० आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कर्त्तव्यस्थ-यात्रा करे तो यह उसकी इच्छा पर है कि वह चाहे तो राँची से अपनी अनुपस्थिति की पूरी अवधि का इस नियम के अधीन अनुमान्य भत्ता ले, चाहे बिहार यात्रा-भत्ता-नियमावली के अधीन अनुमान्य [1][दैनिक-भत्ता] किन्तु दोनों भत्ते कदापि नहीं।

टिप्पणी (2) - उपर्युक्त टिप्पणी 1 में उल्लिखित आदेश को शिथिल करते हुये, मानवीय मंत्रियों के तथा सरकार के सचिव के निजी-सहायकों, आशुलिपिकों तथा अन्य कर्मचारियों को, जो सरकार के शिविर-कार्यालय के साथ ही राँची जाते हैं, अनुमति दी गई है कि वे, दौरे के दरमियान अपने मुख्यालय (राँची) से बाहर ठहरने की अवधि का नियमों के अनुसार [1][दैनिक-भत्ता] ले सकते हैं। इस अवधि के लिए उनके अनुमान्य राँची-भत्ते में से कोई कटौती नहीं की जाती।

टिप्पणी (3) - औसत वेतन पर या आधे औसत वेतन पर मिली अधिक-से-अधिक चार महीने तक की उपार्जित छुट्टी अथवा आधे वेतन पर मिली अधिक-से-अधिक 120 दिन तक की छुट्टी की अवधि में भी सरकारी सेवक को राँची-भत्ता मिलता ही रहेगा, बशर्ते कि छुट्टी की अवधि में भी वह राँची में ही टिका रह जाय।

6. सचिवालय के जिस सहायक को राँची में किसी सचिव के शिविर-कार्यालय का प्रभारी बनाया जाय, उसे 30 रु० प्रतिमास प्रभार-भत्ता दिया जायगा। यह प्रभार-भत्ता, विशेष वेतन (कर्त्तव्य-भत्ता) माना जायगा और पेंशन तथा छुट्टी वेतन, दोनों के लिए इसकी गणना की जायगी।

परन्तु जहाँ शिविर-कार्यालय के कर्मचारी की संख्या सामान्य से बहुत कम हो वहाँ राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह चाहे तो इस भत्ते को कम कर दे या बिल्कुल ही रोक दे। यह प्रभार-भत्ता पदाधिकारी को उसे अधिव्यय किसी अन्य भत्ते के अतिरिक्त प्राप्त होगा।

टिप्पणी (1) – यदि कोई प्रधान सहायक राँची में किसी सचिव के शिविर-कार्यालय का प्रभारी बनाया जाय तो 30 रु० मासिक प्रभार-भत्ता उसे दिया जायगा जब कि निम्नवर्गीय तथा उच्चवर्गीय सहायकों और टंककों की संख्या 10 से कम न हो और वह एक पखवारे से अधिक समय तक प्रभारी बना रहे।

टिप्पणी (2) – यह प्रभार-भत्ता सरकार के आदेशानुसार राँची में शिविर-कार्यालय खोलने और बन्द करने की निश्चित तारीखों के बीच की अवधि के लिए ही लिया जाय अन्य अवधि के लिए नहीं।

7. मन्त्रियों की, सचिवालय की और विधि-परामर्शी की लिपिकवर्गीय तथा अन्य अराजपत्रित उत्कृष्ट स्थापनाओं के कर्मचारी राँची की आती-जाती यात्राओं के लिए, नियम 3 (ग) के अधीन खुद अपना यात्रा-भत्ता और अपने निजी सामान के परिवहन का खर्च लेने के अलावा, बिहार यात्रा-भत्ता नियम 12 में यथा-परिभाषित अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी नीचे लिखे अनुसार यात्रा-भत्ता लेने के हकदार होंगे, किन्तु यह अधिक-से-अधिक तीन वयस्कों के लिए ही चार्ज किया जा सकेगा। (वयस्कों के लिए पूरी दर से और बालकों के लिए आधी दर से) :–

दूसरी या तीसरी कोटि के सरकारी सेवक।	सरकारी सेवक जिस श्रेणी का हकदार हो उसी श्रेणी का, हर सदस्य के लिए एक ओर का किराया।

टिप्पणी – इस नियम में आये "परिवार" शब्द में आश्रित माता-पिता, बहनें या नावालिग भाई भी शामिल हैं।

सरकारी सेवक को यह भत्ता तभी अनुमान्य होगा जबकि, उसके विभाग के सचिव की राय में, राँची में उसके आठ सप्ताह से अधिक ठहरने की संभावना हो, अन्यथा नहीं।

इस नियम के अधीन यात्रा-भत्ता लेने के लिए बनाये गये बिल के साथ सरकारी सेवक को इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा कि बिल में उक्त व्यक्तियों से मेरा अमुक रिश्ता है और उन्होंने वास्तव में यात्रा की है। इस प्रमाण-पत्र पर शिविर कार्यालय के प्रभारी प्रधान सहायक या अन्य सहायक का प्रतिहस्ताक्षर होना चाहिए। किन्तु प्रभारी सहायक के केस में नहीं।

टिप्पणी (1) – सरकारी सेवक के परिवार के जो सदस्य उसकी यात्रा के एक महीना पहले या बाद यात्रा करें उनका भी यात्रा-भत्ता उसे, बिना किसी कैफियत के इस नियम के अधीन दिया जायगा। सरकारी

1. जी० एस० आर० 48 दिनांक 9-5-1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

सेवक यदि पर्याप्त कारण प्रस्तुत करे तो सरकार स्वविवेक से इस समय-सीमा को और आगे भी बढ़ा सकती हैं। बिहार-यात्रा-भत्ता नियमावली के नियम 5 के अधीन यह मान लिया जायगा कि राज्य-सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी गई ऐसी सभी मंजूरियों पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी ।

यदि किसी सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य पटना या राँची से भिन्न किसी स्थान से यात्रा करे और जिसके लिए इस टिप्पणी के उपबंधों के अधीन यात्रा-भत्ता लिया जाय, तो वह सरकारी सेवक, ऐसे प्रत्येक सदस्य के लिए, किन्तु तीन वयस्कों से अधिक के लिए नहीं उस स्थान से, जहाँ से वह सदस्य यात्रा-आरम्भ करे, उस श्रेणी का, जो उस सरकारी सेवक को यात्रा के लिए अधिलभ्य हो, एक ओर का या आधा रेल-भाड़ा लेने का हकदार होगा परन्तु यह रकम, किसी दशा में, पटना और राँची के बीच की यात्रा के लिए अनुमान्य रकम से अधिक न होगी ।

टिप्पणी (2) राज्यपाल के सैन्य-सचिव के कार्यालय में काम करने वाले सहायक, महामहिम के विशेष गारद से सम्बद्ध सार्जेन्ट-मेजर, महामहिम के कर्मचारिवृन्द से सम्बद्ध अवर-सहायक, शल्य-चिकित्सक और राजभवन-मुद्रणालय से सम्बद्ध कम्पोजीटर, जिल्दसाज तथा प्रेस-मैन, यदि वे महामहिम की विशेष रेलगाड़ी (स्पेशल ट्रेन) से न जाकर सामान्य रेलगाड़ियों से राँची और पटना के बीच यात्रा करें तो, इस नियम के अधीन अनुमान्य यात्रा-भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

टिप्पणी (3)- जब किसी सरकारी सेवक को नियम 3 की टिप्पणी 4 में उल्लिखित परिस्थितियों में यात्रा-भत्ता लेने की अनुमति दी जाय, तब वह अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए, किन्तु तीन व्यस्कों तक के लिए ही, उस श्रेणी का, जो सरकारी सेवक को यात्रा के लिए अधिलभ्य हो, उस स्थान से जहाँ से वह अपने कर्त्तव्यों के पुनर्ग्रहणार्थ यात्रा भत्ता ले, एक ओर का या आधा रेल-भाड़ा लेने का हकदार होगा, परन्तु यह रकम किसी भी हालत में, पटना और राँची के बीच की यात्रा के लिए अनुमान्य रकम से अधिक न होगी।

टिप्पणी (4)- इस नियम में जिस भाड़े का हवाला दिया गया है वह पटना जंक्शन और राँची शहर के बीच की संयुक्त रेल-बस सर्विस का एकतरफा भाड़ा होगा।

8. मंत्रियों की तथा सचिवालय और विधि-परामर्शी के कार्यालय की अराजपत्रित स्थापनाओं के सभी कर्मचारियों को एक महीने का मौलिक वेतन अग्रिम के रूप में दिया जा सकता है जो तीन बराबर-बराबर और लगातार मासिक किस्तों में वसूल किया जायगा।

टिप्पणी – नियम 1 में उल्लिखित सरकारी सेवक को यात्रा-भत्ता-बदली पर के जैसा अनुमान्य होते हुये भी राजपत्रित सरकारी सेवकों को पटना-राँची गमनागमन सम्बन्धी कोई वेतन-अग्रिम या यात्रा-भत्ता-अग्रिम अनुमान्य नहीं है।

9. नियम 2 में उल्लिखित सरकारी सेवक, राँची-प्रवासकाल में की गई दौरा-यात्रा के लिए, बिहार यात्रा-भत्ता-नियमावली के अनुसार दौरा-यात्रा-भत्ता ले सकता है, परन्तु ऐसे दौरों के लिए लिया गया यात्रा-भत्ता उस रकम से अधिक न होगा जो सरकारी सेवक के मुख्यालय से शुरू होकर वहीं समाप्त होनेवाले दौरे के लिए ली गयी होती।

10. बिहार विधान-सभा और बिहार विधान-परिषद के लिपिकवर्गीय और भृत्यवर्गीय कर्मचारियों को वही सुविधाएँ प्राप्त होगी जो राँची नियमावली के अधीन विभागाध्यक्षों के साथ जाने वाली स्थापना के कर्मचारियों को उपलभ्य हैं किन्तु, जिन लोगों को बिहार विधान-सभा-सचिव और बिहार विधान-परिषद्-सचिव के साथ जाना और राँची में आठ सप्ताह से अधिक ठहरना पड़े, वे उन सभी सुविधाओं के पात्र होंगे जो सरकार के सचिव की वैसी ही स्थापनाओं के लिए राँची-नियमावली के अधीन अनुमान्य हैं।

टिप्पणी - बिहार विधान-परिषद और बिहार विधान सभा का सत्र शुरू होने के एक पख पहले से लेकर सत्र समाप्त होने के एक पख बाद तक की अवधि के लिए बिहार विधान-सभा और विधान-परिषद सचिवालय के प्रधान सहायक को 30 रु० मासिक विशेष वेतन मिलेगा बशर्ते कि वह राँची में वस्तुत: शिविर-कार्यालय-प्रभारी हो। इस स्थिति में, उपर्युक्त नियम द्वारा आरोपित न्यूनतम आठ सप्ताह का समय-प्रतिबन्ध लागू न होगा।

11. (11) उपर्युक्त नियम 3, 5, 9 और 8 केवल स्थायी सरकारी सेवकों पर लागू होंगे।

(ख) मंत्रियों के और नियम 1 में निर्दिष्ट सरकारी सेवकों के लिपिकवर्गीय और भृत्यवर्गीय अस्थायी कर्मचारियों के यात्रा-भत्ते और राँची-भत्ते का विनियमन निम्न रूप से होगा :–

(1) पटना में नियोजित जिस अस्थायी सरकारी सेवक को राँची के शिविर-कार्यालय में ले जाया जाय, उसे वही यात्रा-भत्ता और राँची भत्ता मिलेगा जो स्थायी सरकारी सेवक को मिलता है, किन्तु अगर वह राँची में ही उन्मुक्त कर दिया जाय तो उन्मुक्त के बाद उसे नियम 3 के अधीन पटना तक का यात्रा-भत्ता मिलेगा।

टिप्पणी –पटना में नियोजित कोई अस्थायी चपरासी अगर राँची में पूरी शिविर-अवधि नहीं, बल्कि, कुछ दिनों के लिए ही अपेक्षित हो, और जिसके बाद वह उन्मुक्त कर दिया जाने वाला हो, तो ऐसे चपरासी को राँची नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि, पटना में ही उन्मुक्त कर देना चाहिए और उस पद की मंजूर-अवधि के अवशेष के लिए राँची में ही कोई अन्य अस्थायी चपरासी भर्त्ती कर लेना चाहिए। यही प्रक्रिया अन्य अस्थायी सरकारी सेवकों के विषय में भी अपनाई जानी चाहिए बशर्ते कि कार्यालय प्रधान यह न समझे कि ऐसा करने से भारी असुविधा हो जायगी।

(2) राँची में एक ही शिविर अवधि में नियोजित और उन्मुक्त होनेवाले अस्थायी सरकारी सेवक को राँची-नियमावली के अनुसार प्राप्य कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी।

(3) राँची में बहाल किये गये अस्थायी सरकारी सेवक को, जिसको (स्थायी या अस्थायी रूप से) सेवा में बने रहने दिया जाय, और शिविर-कार्यालय उखड़ने के बाद जिसको पटना जाना पड़े, वही यात्रा-भत्ता मिलेगा जो पटना की दौरा-यात्रा के लिए मिलता है, किन्तु उस शिविर अवधि के लिए कोई राँची-भत्ता अधिलभ्य न होगा, जिसमें उसकी नियुक्ति हुई हो।

(4) किसी अस्थायी सरकारी सेवक को नियम ४ के अधीन कोई अग्रिम तभी दिया जायगा जबकि उसकी वसूली उसकी अस्थायी सेवा-अवधि के भीतर ही सम्भव हो।

राज्य सरकार का निर्णय :–

[संकल्प संख्या 3/आर०-405/82 का० 3746 दिनांक 31-3-86 की प्रतिलिपि]

विषय – राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण ।

चतुर्थ वेतन-पुनरीक्षण के उपरांत सेवाओं/पदों के वर्गीकरण की पुन: आवश्यकता हो गयी है। अत: पुनरीक्षित वेतन के आधार पर अब सेवाओं/पदों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1. वैसी सभी सेवाओं और पद जिनका अधिकतम वेतन 2,000 रु० या उससे अधिक हो, श्रेणी 1 में होंगे ।
2. वैसी सभी सेवायें और पद जिनका अधिकतम वेतन 2,000 रु० से नीचे हो परन्तु 1,510 रु० से ऊपर हो, श्रेणी 2 में होंगे ।
3. वैसी सभी सेवायें और पद जिसका अधिकतम वेतन 1,510 रु० या उससे नीचे हो, पर 480 रु० से अधिक हो, श्रेणी 3 में होंगे ।

   (इसमें अधिकतम वेतन 480 रु० या उससे कम के वैसे पदों को भी सम्मिलित किया जाय जो विशेष रूप से श्रेणी 3 में सम्मिलित किये गये हों ।)
4. वैसी सभी सेवायें और पद जिनका अधिकतम वेतन 480 रु० तक हो, श्रेणी 4 में होंगे ।

टिप्पणी–(1) उपर्युक्त पदों के वर्गीकरण का प्रभाव बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 28 पर नहीं पड़ेगा, जिसका संशोधन चतुर्थ-वेतन-पुनरीक्षण के उपरान्त वित्त विभाग के आदेश सं० 10771 वि०, दिनांक 20-12-1981 द्वारा किया जा चुका है।

टिप्पणी-(2) ''वेतन'' शब्द से अर्थ पद का मौलिक वेतन है और उसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं भत्ते आदि सम्मिलित नहीं होंगे ।

❋✤❋

परिशिष्ट–6

लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986

[संकल्प संख्या 601/वि०, दिनांक 5-3-1987 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य के सरकारी सेवकों को लीव ट्रेवल कन्सेशन (Leave Travel Concession) की सुविधा देने के सम्बन्ध में ।

राज्य के सरकारी सेवकों को राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों को देखने के लिए वित्त विभाग के संकल्प संख्या 182, दिनांक 14-1-1987 के जरिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन कैलेंडर वर्ष 1986 से सेवाकाल में अधिक-से-अधिक चार बार लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा प्रदान की गई थी :–

(क) सरकारी सेवक नियमित स्थापना पर हों,

(ख) सरकारी सेवक के रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो,

(ग) प्रत्येक बार अधिक-से-अधिक निम्नलिखित दर के अनुसार दावा की प्रतिपूर्त्ति की जायेगी :–

श्रेणी–1 एवं 2	1,000 रुपये
श्रेणी–3	750 रुपये
श्रेणी–4	500 रुपये

2. लीव ट्रेवल कन्सेशन की उपर्युक्त राशि की दर एवं भुगतान की प्रक्रिया के संशोधन का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । राज्य सरकार ने इस विषय पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि लीव ट्रेवल कन्सेशन सेवाकाल में अधिक-से-अधिक चार बार निम्नलिखित संशोधित दर पर दिया जाये :–

कर्मचारी की श्रेणी	अधिकतम प्रतिपूर्त्ति की दर
चतुर्थ वर्ग	750 रुपये
तृतीय वर्ग	1,000 रुपये
द्वितीय एवं प्रथम वर्ग	1,500 रुपये

साथ ही सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि लीव ट्रेवल कन्सेशन की यह सुविधा बिहार राज्य में या बिहार राज्य के बाहर कहीं भी यात्रा करने के लिए दी जाये । यह सुविधा वैसे सरकारी सेवकों को ही अनुमान्य होगी जो नियमित स्थापना में हों तथा सरकारी सेवक के रूप में 10 (दस) वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों ।

3. उपर्युक्त सुविधा से सम्बन्धित व्यय बजट-शीर्ष "252–सचिवालय सामान्य सेवाएँ– सचिवालय-वित्त विभाग" से बहन किये जायेंगे ।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा शर्त्तों से सम्बन्धित अनुदेश एवं नियमावली (जिनके अनुरूप ही यात्रा अनुमान्य होगी) अलग से बनाकर निर्गत किया जायेगा ।

लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली

[संकल्प संख्या 6857 वि०, दिनांक 13-11-1987 की प्रतिलिपि ।]

विषय : लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 ।

राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प संख्या 601 वि०, दिनांक 5-3-1987 के जरिए राज्य के सरकारी सेवकों को बिहार राज्य में या बिहार राज्य के बाहर देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए कुछ शर्त्तों के अधीन कैलेंडर वर्ष-1986 से लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा देने का निर्णय लिया है । लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा विभिन्न शर्त्तों के अधीन किस हद तक सरकारी सेवकों को देय हो, इस आशय का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

2. पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने संलग्न परिशिष्ट में तथा उल्लिखित नियमों एवं शर्त्तों के अधीन लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा का विनियमन करने का निर्णय लिया है ।

3. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा ।

परिशिष्ट

लीव ट्रेवल कन्सेशन का विनियमन करने वाले नियम एवं शर्त्तें :–

1. यह नियम **"बिहार राज्य सरकारी सेवक लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986"** कहीं जायेगी।
2. यह नियमावली कैलेंडर वर्ष 1986 से लागू समझी जायेगी।
3. राज्य सरकार इस नियमावली का निर्वाचन करने और स्वविवेक से इसमें समय-समय पर संशोधन करने की शक्ति सुरक्षित रखती है।
4. यह नियमावली राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वैसे सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जो इस नियम के अधीन यात्रा प्रारंभ करने की तिथि को दस वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हों।

   (क) अनाधिकृत अनुपस्थित की अवधि लगातार सेवा की न्यूनतम अवधि में गणना करते समय सेवा में टूट मानी जायेगी, जबतक कि इस टूट (Break) को सक्षम पदाधिकारी द्वारा माफ नहीं कर दिया जाये।

   (ख) सरकारी सेवक के निलम्बन की स्थिति में यह सुविधा सरकारी सेवक के परिवार को अनुमान्य होगी।
5. इस नियम के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक के परिवार का अर्थ वही होगा जो बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली के नियम 12 में परिभाषित हैं।

   (1) जहाँ पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक हों और दोनों एक साथ रहते हों तो पति अथवा पत्नी दोनों में से एक इस नियम के अन्तर्गत इस सुविधा का उपयोग दूसरे को परिवार का सदस्य मानकर करेंगे।

   (2) जहाँ पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक हों, लेकिन अलग-अलग रहते हों तो दोनों स्वतंत्र सरकारी सेवक की भाँति अलग-अलग इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
6. लीव ट्रेवल कन्सेशन की यह सुविधा उन लोगों को अनुमान्य नहीं होगी –

   (क) जो पूर्ण कालिक सरकारी सेवक नहीं हैं; या

   (ख) जिन्हें वेतन आदि का भुगतान आकस्मिकता मद से किया जाता है।
7. इस नियम के अन्तर्गत सरकारी सेवक को बिहार राज्य या राज्य के बाहर परन्तु देश में कहीं भी स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा करने की सुविधा 4 कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक (Block) में एक बार देय होगी जो सेवाकाल में चार बार तक सीमित रहेगी। ब्लॉक (Block) वर्ष की गणना कैलेन्डर वर्ष 1986 से प्रारम्भ समझी जायेगी। इस प्रकार प्रथम सुविधा ब्लॉक (Block) वर्ष 1986-1989 में उपयोग करने के उपरान्त शेष तीन सुविधा का उपयोग ब्लॉक (Block) वर्ष 1990-1993, 1994- 1997 एवं 1998-2001 में सरकारी सेवक अपनी सेवाकाल में कर सकते हैं।
8. पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों को भी लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी बशर्त्ते कि सक्षम पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि पुनर्नियोजित सेवक राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष तक सेवा में बने रहेंगे। लेकिन सेवानिवृत्त होने के तुरन्त बाद पुनर्नियोजन के मामले में पुनर्नियोजित सेवा लीव ट्रेवल कन्सेशन के लिए पिछली सेवा के साथ लगातार मानी जायेगी – बशर्त्ते कि यदि वे सेवानिवृत्त नहीं होते और लगातार कार्यरत् रहते तो उन्हें लीव ट्रेवल कन्सेशन अनुमान्य हो गया होता।

   स्पष्टीकरण : यदि कोई सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने के पूर्व के ब्लॉक वर्ष में L.T.C. की सुविधा का उपयोग कर लिया है और बिना टूट के पुनर्नियोजित हुआ है तो वे उक्त ब्लॉक की समाप्ति के पूर्व इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
9. राज्य सरकार के निगमों/निकायों आदि में बाह्य सेवा शर्त्तों पर प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के सेवकों को लीव ट्रेवल कन्सेशन की यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस सुविधा पर होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्त्ति सम्बन्धित नियमों द्वारा की जायेगी।
10. राज्य या देश के किसी स्थान पर केवल निकटतम मार्ग (Shortest Route) से हो आने और जाने का यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा, परन्तु प्रत्येक बार यात्रा करने के लिए निम्नलिखित अधिकतम दर से ही दावा प्रतिपूर्त्ति देय होगी –

कर्मचारी की श्रेणी	अधिकतम प्रतिपूर्त्ति की दर
(क) चतुर्थ वर्ग	750 रुपये
(ख) तृतीय वर्ग	1,000 रुपये
(ग) द्वितीय एवं प्रथम वर्ग	1,500 रुपये

11. राज्य के सरकारी सेवकों की श्रेणी का वर्गीकरण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा किये गये वर्गीकरण के अनुसार माना जायेगा ।

12. वेतन की परिभाषा वही होगी जो बिहार सेवा संहिता के नियम–34 (क) (1) में परिभाषित है । वेतन में वैयक्तिक वेतन भी सम्मिलित हैं । विशेष वेतन सम्मिलित नहीं होगा ।

13. (1) **रेल यात्रा :** इस सुविधा के लिए सरकारी सेवक यात्रा के लिए बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 46 (1) के अनुसार जिस श्रेणी में यात्रा करने के हकदार हैं, यात्रा कर सकते हैं, किन्तु यदि वे जिस श्रेणी में यात्रा करने के हकदार हैं, उससे निम्न श्रेणी में, यात्रा करें तो दोनों में जो कम हो उसी श्रेणी के किराये की प्रतिपूर्त्ति देय होगी ।

(2) **सड़क यात्रा :** सड़क से यात्रा करने की सुविधा पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम एवं सरकार या स्थानीय निकायों के बसों से देय होगी ।

(3) अपनी गाड़ी से यात्रा करने की सुविधा अनुमान्य होगी । परन्तु, यह सुविधा लीव ट्रेवल कन्सेशन के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्दर देय होगी । अपनी गाड़ी से यात्रा करने पर बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 52 (iii) में उल्लिखित दर से निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्दर मील भत्ता देय होगा । उधार या किराये की गाड़ी या निजी मालिकों द्वारा सम्पोषित बसों, मान या किराये की अन्य गाड़ियों से यात्रा करने की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी ।

14. इस नियम के अन्तर्गत सरकारी सेवकक चुने गये स्थानों को अग्रिम सूचना अपने नियंत्रण पदाधिकारी को देंगे । घोषित स्थानों में परिवर्त्तन किये जाने की भी सूचना नियंत्रण पदाधिकारी को यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व ही देनी होगी । फिर भी यदि यह सुनिश्चित हो जाये कि यात्रा प्रारम्भ करने के पहले किसी सरकारी सेवक द्वारा स्थान–परिवर्त्तन की सूचना नहीं देने के कुछ ऐसे कारण मौजूद हैं जो सरकारी सेवक के नियंत्रण के बाहर हैं तो उस स्थिति में विभागाध्यक्ष/प्रशासी विभाग स्थान–परिवर्त्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं ।

15. **अवकाश :** यह सुविधा सरकारी सेवकों द्वारा नियमित रूप से स्वीकृत अवकाश के दौरान ही उपयोग की जायेगी । नियमित अवकाश में उपार्जित आधे वेतन पर छुट्टी, असाधारण छुट्टी एवं आकस्मिक छुट्टी सम्मिलित है ।

विश्रामावकाशी (Vacation) विभागों में कार्यरत सरकारी सेवकों के मामले में विश्रामावकाश (Vacation) की गणना लीव ट्रेवल कन्सेशन के लिए नियमित छुट्टी में की जायेगी परन्तु यह सुविधा वैसे सरकारी सेवक को अनुमान्य नहीं होगी जो नियमित छुट्टी में प्रस्थान करने के उपरान्त अपने कर्त्तव्य पर वापस आने के पूर्व ही अपना पद–त्याग देते हैं ।

16. यात्रा से लौटने के छः महीने की अवधि के अन्दर यात्रा बिल उप–स्थापित नहीं करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक के लीव ट्रेवल कन्सेशन के दावे की प्रतिपूर्त्ति के अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेंगे । यह वैसी यात्रा पर लागू होगा, जिसके लिए अग्रिम नहीं लिया गया हो ।

17. (1) अग्रिम–लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रत्येक बार सरकारी सेवकों को कंडिका 10 में उल्लिखित दावा की प्रतिपूर्त्ति देय दर का 80% (अस्सी प्रतिशत) अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जायेगा ।

(2) अस्थायी सरकारी सेवकों को किसी स्थायी सरकारी सेवक की प्रतिभूति (Surety) लेने पर अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा ।

(3) ऐसे सरकारी सेवक, जो यात्रा भत्ता के लिए स्वयं नियंत्रण पदाधिकारी हों, वे स्वयं अपना अग्रिम स्वीकृत करेंगे ।

(4) इस योजना के अधीन लिये गये अग्रिम का समायोजन यात्रा–समाप्ति के पश्चात् उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सरकारी यात्रा के लिए यात्रा अग्रिम लिया जाता है ।

(5) अग्रिम स्वीकृति होने के 30 दिनों के अन्दर यात्रा भत्ता प्रारम्भ नहीं किये जाने पर अग्रिम की पूरी राशि वापस कर देनी होगी ।

(6) यात्रा प्रारम्भ करने के लिए 30 दिन पूर्व अग्रिम की निकासी की जा सकती है ।

(7) अग्रिम के समायोजन हेतु यात्रा से वापस होने पर एक महीने के अन्दर लीव ट्रेवल कन्सेशन सम्बन्धी भुगतान के दावे किये जायेंगे ।

(8) अग्रिम की वसूली//समायोजन की देख–रेख सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे ।

(9) सभी कार्यालयों में लीव ट्रेवल कन्सेशन सम्बन्धी दावे के लिए एक अलग रजिस्टर का संधारण किया जायेगा । प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में रजिस्टर बन्द किये जायेंगे एवं कार्यालय प्रधान के समक्ष समायोजन हेतु अग्रिम की वसूली के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थापित किये जायेंगे ।

(10) अग्रिम की स्वीकृति हेतु निहित शर्त्तों का अनुपालन नहीं करने पर या लीव ट्रेवल कन्सेशन के लिए स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम सम्बन्धित नियमों की अवहेलना किये जाने पर नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा मोटरकार को छोड़कर अन्य वाहन अग्रिम के लिए निर्धारित सूद दर के ऊपर 2½% दण्ड सूद (Penal Interest) लिया जायेगा ।

18. लीव ट्रेवल कन्सेशन के लिए, लिए गये अग्रिम या इससे सम्बन्धित व्यय का विकलन बजट शीर्ष "2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ–090–सचिवालय–23 लीव ट्रेवल कन्सेशन" से किया जायेगा ।

19. यात्रा व्यय की प्रतिपूर्त्ति के दावे यात्रा–भत्ता के विहित प्रपत्र में किये जायेंगे । विपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण–पत्र देना होगा कि यात्रा वास्तव में की गयी थी एवं जिस श्रेणी से यात्रा की गयी थी वे पूर्त्ति के लिये किये गये दावे से नीचे की श्रेणी की नहीं हैं ।

20. लीव ट्रेवल कन्सेशन दावे के भुगतान के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु की इसकी स्वीकृति के लिए सभी शर्त्तें पूरी कर ली गई हैं, यात्रा–भत्ता विपत्र के साथ फार्म एक एवं दो में नियंत्रण पदाधिकारी एवं सरकारी सेवक के प्रमाण–पत्र दिये जायेंगे ।

21. इन नियमों के अधीन दी गयी सुविधा के अभिलेख का समुचित रूप से संधारण किया जायेगा । स्वयं निकासी किया जायेगा । स्वयं निकासी पदाधिकारी के अभिलेख का संधारण महालेखाकार करेंगे । अन्य सरकारी सेवकों के अभिलेख का संधारण उनकी सेवा–पुस्ती में किया जायेगा । सेवा–पुस्ती संधारण करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अवसर पर सरकारी सेवक द्वारा नियमित अवकाश में प्रस्थान करने पर यह तथ्य कि उन्होंने लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा का उपयोग किया है या नहीं, इसकी प्रविष्टि इनकी सेवा–पुस्ती में कर दी जाये ।

प्रपत्र–1

नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है :–

(1) कि श्री/श्रीमती/कुमारी (सरकारी सेवक का नाम) .... लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा उपयोग करने की तिथि को लगातार 10 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर लिये हैं ।

(2) कि लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली के नियम–19 के अनुसार (श्री/श्रीमती/कुमारी .... की सेवा–पुस्त में आवश्यक प्रविष्टि कर दी गई है (कंडिका–II केवल अराजपत्रित सरकारी सेवकों के लिए) ।

नियंत्रण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम

प्रपत्र–2

सरकारी सेवक द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र

मैंने अपने लिए लीव ट्रेवल कन्सेशन का कोई दावा ब्लॉक वर्ष के लिए पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया है ।

2. मैंने अपने द्वारा की गई छुट्टी रियायत यात्रा के लिए यात्रा अग्रिम की निकासी की है । यह दावा मेरे द्वारा की गई यात्रा के लिए है ।

3. मैंने छुट्टी रियायत यात्रा के लिए की गई यात्रा हेतु यात्रा अग्रिम की निकासी नहीं की है ।

4. मैंने वास्तव में घोषित स्थानों की यात्रा की है ।

5. मैंने लीव ट्रेवल कन्सेशन विपत्र में अंकित रेलवे यात्रा एवं अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस श्रेणी में यात्रा की है जिसके लिए दावे प्रस्तुत किए गए हैं ।

6. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत् नहीं हैं एवं इस सुविधा का उपयोग अलग से मेरी (पत्नी)/मेरे (पति) द्वारा या अलग-अलग किसी परिवार के सदस्य के लिए सम्बन्धित ब्लॉक वर्ष में नहीं किया गया है ।

7. प्रमाणित करता/करती हूँ क मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिए मैंने लीव ट्रेवल कन्सेशन का दावा प्रस्तुत किया है .... (सरकारी निगम/निकाय/स्वैच्छिक संस्थानों आदि का नाम) में कार्यरत् हैं, जहाँ लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा उपलब्ध है लेकिन उन्होंने अपने इम्पलायर से इस प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है और न कोई दावा प्रस्तुत करेंगे ।

8. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिए मैने लीव ट्रेवल कन्सेशन का दावा प्रस्तुत किया है, राज्य सरकार द्वारा या पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त संपोषित निगम/ निकाय स्वैच्छिक संस्थानों जहाँ लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा उपलब्ध है, में कार्यरत् नहीं हैं ।

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

प्रपत्र-3

लीव ट्रेवल कन्सेशन अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. सरकारी सेवक का नाम ....
2. पदनाम ....
3. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि ....
4. वर्तमान वेतन ....
5. स्थायी या अस्थायी ....
6. क्या पति-पत्नी नौकरी में हैं यदि हों तो क्या लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा देय है ?
7. (क) दर्शनीय स्थानों के नाम – (ख) किस वर्ष ब्लॉक के लिए
8. उन व्यक्तियों का नाम जिनके लिए लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा ली जा रही है ।

क्रम संख्या	नाम और उम्र	सम्बन्ध

9. अग्रिम की रकम – मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जानकारी में उपर्युक्त विवरण सही है । यात्रा के रद्द होने पर अग्रिम की राशि को एक मुस्त वापस कर दूँगा ।

दिनांक

हस्ताक्षर

चेक लिस्ट

(कार्यालय में व्यवहार के लिए)

1. कॉलम 1 से 5 तक जाँचा
2. प्रतिपूर्त्ति की राशि
3. अनुमान्य अग्रिम की राशि (कॉलम-2 का 80% .... रुपये ।

अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है अग्रिम अनुमान्य नहीं है, क्योंकि (1) सरकारी सेवक के न्यूनतम सेवा पूरी नहीं की है । (2) सरकारी सेवक ने पूर्व में लीव ट्रेवल कन्सेशन के लिए स्वीकृत अग्रिम का उपयोग नहीं किया है, जिसे बाद में दंड सूद दिया । दंड सूद के साथ वसूल किया गया था ।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

क्रम संख्या	अग्रिम/अंकित बिल संख्या एवं तिथि	सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम	ब्लॉक वर्ष	दर्शनीय स्थान	किसे के लिए दावे प्रस्तुत किये गये हैं
1	2	3	4	5	6

अग्रिम की राशि अंकित दावे	समंजन की बिल संख्या एवं तिथि	दावे की प्राप्ति की तिथि	बिल की रकम स्केल	भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

लीव ट्रेवल कन्सेशन में वृद्धि

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या 3/पी०ए०आर०–01/92–1336 वि०, दिनांक 28-3-1992 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य के सरकारी सेवकों के लीव ट्रेवल कन्सेशन की दरों का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 601, दिनांक 5 मार्च, 1987 एवं संकल्प संख्या 6875, दिनांक 13-11-1987 के जरियें निर्गत लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 के नियम 10 के अधीन कैलेन्डर वर्ष, 1986 से सेवाकाल में चार निम्नलिखित दरों से लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा दी गई है –

चतुर्थ श्रेणी –	750 रुपये
तृतीय श्रेणी –	1,000 रुपये
द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी	1,500 रुपये

2. उक्त दर को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था । पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लीव ट्रेवल कन्सेशन श्रेणी के सरकारी सेवकों के लिए वर्तमान दर को 1992-1995 ब्लॉक वर्ष में निम्नलिखित प्रकार संशोधित किया जाये :–

श्रेणी 1 एवं 2	2,000 रुपये
श्रेणी 3	1,500 रुपये
श्रेणी 4	1,000 रुपये

3. लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा के सम्बन्ध में अन्य नियम एवं शर्तें वही रहेंगे जो लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 में अंकित है ।

4. लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 को इस हद तक संशोधित समझा जाये ।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप सं०–3ए/01-3-391/952, दिनांक 7-3-1991 की प्रतिलिपि ।]

विषय : चार वर्षों के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को प्राथमिकता के आधार पर एल०टी०सी० की सुविधा स्वीकृत करने के संबंध में ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प सं० 601, दिनांक 5 मार्च, 1987 के जरिए अपने सरकारी सेवकों को कुछ शर्त्तों के अधीन लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा दन का निर्णय लिया है । लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा विभिन्न शर्त्तों के अधीन किन्तु हद तक मरकारी सेवकों को

देय होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञाप सं० 6857, दिनांक 13 नवम्बर, 1987 के जरिए निर्देश भी जारी किये गये हैं । लीव ट्रेवल कन्सेशन के उक्त सुविधा निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने का विषय सरकार के विचाराधीन था । पूर्ण विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि चार वर्षों के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को प्राथमिकता के आधार पर एल०टी०सी० की सुविधा स्वीकृत की जाये ।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–3 एम-2-भत्ता-12/99-खंड-8/4252 वि० (2), दिनांक 22-6-2000 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य के सरकारी सेवकों, को देय छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा में संशोधन के संबंध में ।

निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प सं० 601, दिनांक 5-3-1987 एवं संकल्प संख्या 6875, दिनांक 13-11-1987 के जरिये निर्गत लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 की कंडिका 10 के अधीन कैलेन्डर वर्ष 1986 के सेवाकाल में चार बार राज्य कर्मियों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान की गई है –

वित्त विभाग के संकल्प सं० 1336, दिनांक 28-3-1992 के द्वारा पूर्व की दरों को पुनरीक्षित कर निम्नलिखित दर निर्धारित की गई है –

श्रेणी	दर
श्रेणी-1 एवं 2	रुपये 2,000
श्रेणी-3	रुपये 1,500
श्रेणी-4	रुपये 1,000

राज्य सरकार अपने सेविवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों की अनुशंसा के अनुरूप वेतनमान एवं अन्य भत्ते स्वीकृत करने में सैद्धांतिक रूप से सहमत है ।

उक्त के आलोक में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प सं० 660 वि० (2), दिनांक 8-12-1999 द्वारा सरकारी सेवकों को संशोधित वेतनमान एवं अन्य भत्ते स्वीकृत किये जाने के साथ ही छुट्टी यात्रा रियायत संशोधन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

4. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर सम्पूर्ण रूप में विचारोपरान्त राज्य सरकार ने लीव ट्रेवल कन्सेशन यात्रा के संबंध में चिह्नित शर्त्तों के अधीन अधोलिखित निर्णय लिया है –

केन्द्रीय कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र यानी पूरे देश की क्षेत्रीय सीमा में लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा अनुमान्य है तद्नुरूप राज्य के कर्मियों को राज्य की सीमा क्षेत्र के अन्दर एल०टी०सी० की सुविधा अनुमान्य होगी ।

(ii) जो राज्य कर्मी बिहार राज्य के बाहर रियायती अवकाश यात्रा पर जायेंगे उन्हें उनके मार्ग में बिहार राज्य में अवस्थित अंतिम रेलवे स्टेशन तक रेलभाड़ा अनुमान्य होगा ।

5. लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वैसे सभी सरकारी सेवकों को अनुमान्य होगी जो यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को 1 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं । यदि अनधिकृत गैर हाजिरी या अन्य कारण से सेवा भंग हुई हो और मगर उसे माफ न किया गया हो तब उसे एक साल की लगातार सेवा में भी भंग होना माना जायेगा ।

6. चार वर्ष के ब्लॉक में लीव ट्रेवल कन्सेशन की लाभ कर्मचारी राज्य में कहीं भी जाने के लिए ले सकता है ।

7. दो वर्ष के ब्लॉक में एक बार राज्य के अन्दर अपने घर जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य होगी ।

8. एल०टी०सी० से सम्बन्धित दावा की क्षतिपूर्त्ति संशोधित यात्रा भत्ता नियमावली में निर्धारित अनुमान्यता के अनुसार होगी ।

वेतन सीमा	अनुमान्य श्रेणी
(i) रु० 18,400 एवं इससे अधिक	राष्ट्रीय वायुयान परिवहन में इकोनोमी श्रेणी की यात्रा
(ii) 16,400 रु० और अधिक किन्तु 18,400 रु० से कम	ट्रेन से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
(iii) 8,000 रु० और अधिक किन्तु 16,400 रु० से कम	ट्रेन से वातानुकूलित II टीयर
(iv) 4,100 रु० और अधिक किन्तु 8,000 रु० से कम	ट्रेन से प्रथम श्रेणी / वातानुकूलित
(v) 4,100 रु० से कम	III टीयर / वातानुकूलित चेयरकार ट्रेन से – II स्लीपर श्रेणी

(क) राजधानी और शताब्दी ट्रेनों की पात्रता वही है जैसी स्थानान्तरण यात्रायें पर है – यह सुविधा तभी मिलेगी जब यात्रा इन ट्रेनों से ही की जाए और यात्रा शुरू करने के गंतव्य स्टेशन इन ट्रेनों से जुड़े हैं।

(ख) रेल में आरक्षण के लिए अतिरिक्त व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्त्ति संबंधित सरकारी सेवकों को की जायेगी।

(ग) सार्वजनिक बस से यात्रा की पात्रता वही होगी जो यात्रा भत्ता नियमों में दी गई है –

(घ) प्राईवेट ऑपरेटरों की कार या बस या अन्य वाहन जो उनके अपने हों या उन्होंने किराये या उधार लिये हों उनसे यात्रा करने पर रियायत नहीं मिलेगी।

(ङ) निर्धारित दर पर प्राईवेट बस से यात्रा की जा सकती है।

9. छुट्टी यात्रा रियायत के तहत सरकारी कर्मचारी प्रस्तावित यात्रा के लिए पैंतीस दिन पहले अपने लिए या अपने परिवार से सदस्यों के लिए अग्रिम ले सकता है।

10. रियायत स्वयं और परिवार के लिए देय होगी।

11. कर्मचारी निलम्बित हो तो रियायत सेवा परिवार को मिलेगी खुद कर्मचारी को नहीं।

12. पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आलोक में "परिवार" के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति जो उसके साथ रहते हैं और दो जीवित बच्चे या सौतेले बच्चे जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूरी तरह आश्रित हों, शामिल है। इनके अलावा परिवार में माता-पिता, सौतेली माता, अविवाहित बहन-भाई और विवाहित पुत्रियों जो तलाक-शुदा या परित्यक्ता हों, और जो कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हो, विधवा बहनें भी शामिल होगी बशर्ते या तो माता-पिता जीवित न हों या वे (माता-पिता) स्वयं ही कर्मचारी पर आश्रित हों, आते हैं। आश्रित होने के लिए उनकी सभी माध्यमों से कुल आय 1,500 रु० मासिक से अधिक न हो।

13. (क) दो जीवित बच्चों का प्रतिबंध कर्मचारी के वर्तमान बच्चों या इस प्रतिबंध के लागू होने के एक वर्ष के अंदर पैदा हुए बच्चों या जुड़वा बच्चा पैदा होने पर लागू नहीं होगा।

(ख) परिवार में एक से अधिक पत्नी शामिल नहीं, परन्तु वैधता प्राप्त दूसरी पत्नी शामिल हो सकती है।

14. अविवाहित कर्मचारी, यदि उसका परिवार मुख्यालय से बाहर रहता हो, केवल अपने लिए प्रत्येक वर्ष रियायत ले सकेगा। परिवार के साथ यह रियायत दो वर्ष में एक बार मिलेगी।

15. जब पति और पत्नी दोनों राज्य के कर्मचारी हों –

(क) अगर वे अलग रहते हैं तो अपना गृह नगर स्वतंत्र रूप से घोषित कर सकते हैं।

(ख) दोनों अपने-अपने परिवार के लिए रियायत ले सकते हैं वैसे पति अपने माता- पिता अथवा अवयस्क भाई-बहनों के लिए और पत्नी अपने माता-पिता अथवा अवयस्क भाई-बहनों के लिए।

(ग) एक शिष्ट ब्लॉक में बच्चे माता-पिता में से किसी एक ही परिवार में शामिल होकर रियायत पा सकेंगे।

(घ) पति या पत्नी जब अपने विवाहित के परिवार में शामिल होकर रियायत ले तो, वह केवल खुद के लिए स्वतंत्र रूप से रियायत नहीं ले सकेंगे।

(ङ) यदि कर्मचारी या पत्नी//पति या बच्चे आदि उसके मुख्यालय के अलावा किसी अन्य जगह रहते हों तो उनका गृह नगर का दावा उस रकम तक ही सीमित रहेगा जो कर्मचारी के मुख्यालय से गृह नगर तक यात्रा के लिए देय हो ।

(च) एक ही ब्लॉक वर्ष में स्वयं और परिवार के लिए रियायत अलग अवसरों पर ली जा सकती है ।

(छ) परिवार के सदस्य एक या अधिक जगहों में यात्रा कर सकते हैं, किन्तु प्रत्येक ग्रूप अपनी बाहर जाने की यात्रा की तिथि के छः माह के भीतर यात्रा पूरी कर दें ।

16. अविवाहित विकलांग कर्मचारी के साथ अनुरक्षक की अनुमति विभागाध्यक्ष की स्वीकृति से दी जा सकती है, बशर्त्ते उसकी जरूरत हो और कर्मचारी के परिवार में कोई वयस्क न हो या वह (अनुरक्षक) स्वयं इस सुविधा का हकदार न हो ।

17. सेवापुस्त/सेवा-इतिहास में दर्ज गृह जिला को ही गृह जिला माना जायेगा, विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर विभागाध्यक्ष गृह जिला परिवर्त्तन कर सकता है ।

18. गृह नगर रियायत के लिए ब्लॉक वर्ष की शुरुआत कैलेन्डर वर्ष 2000 से की जा रही है – दो वर्षों का ब्लॉक होगा यथा 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 आदि ।

19. एल०टी०सी० की सुविधा 4 (चार) कैलेन्डर वर्ष में एक बार मिलेगी । ब्लॉक वर्ष की गणना कैलेन्डर वर्ष, 1986 से प्रारम्भ की जायेगी । यथा 1986-1989, 1990-1993, 1994-1997, 1998-2001, 2003-2005 ।

20. **रियायत अग्रणीत करना** – एक ब्लॉक की रियायत अगले ब्लॉक के पहले वर्ष के आखिर तक ली जा सकती है जैसे – 2000-2001 की रियायत बाहर जाने की यात्रा 31-12-2002 तक शुरू की जा सकती है । वापसी यात्रा इस सीमा के बाहर होगी ।

21. **प्रतिपूर्त्ति की सीमा** – बिहार राज्य की सीमा के स्टेशन/शहर तक अनुमान्य श्रेणी का किराया अथवा वास्तव में जिस श्रेणी से यात्रा की गयी हो, दोनों में से जो कम हो, की प्रतिपूर्त्ति की जायेगी । रेल/सड़क से आने-जाने के किराये का 80 प्रतिशत अग्रिम के रूप में दिया जा सकेगा, बोर्ड प्रासंगिक खर्च दैनिक भत्ते की रकम में नहीं लिए जायेंगे ।

22. **छुट्टी यात्रा रियायत का दावा** – यदि अग्रिम लिया जाये तो वापसी यात्रा की तिथि के एक माह के अंदर दावा प्रस्तुत कर देना होगा । यदि ऐसा न किया गया तो बकाया अग्रिम एक मुस्त वसूल कर लिया जायेगा और यह माना जायेगा कि अग्रिम की स्वीकृति नहीं की गयी । उसके अलावा भविष्य निधि के निर्धारित सूद की दर से 2 प्रतिशत अधिक सूद पूरे अग्रिम लेने की तारीख से वसूली की तारीख तक की अवधि पर लिया जायेगा । रियायत का दावा वापसी यात्रा पूरी होने पर तीन माह के अन्दर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर वह निरस्त हो जायेगा ।

23. **रियायत के दुरुपयोग के लिए दंड** – छुट्टी यात्रा रियायत के दुरुपयोग और जालसाजी के दावे प्रस्तुत करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

(क) कार्यवाही के दौरान (i) दावा रोक लिया जायेगा (ii) आगे छुट्टी यात्रा रियायती दावे की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(ख) दोषी पाये जाने पर (i) रोके गये रियायत से दावे की अनुमति नहीं दी जायेगी, (ii) आगे की रियायतों के दो सेट एक गृह नगर के लिए और दूसरे अन्य जगह के लिए निरस्त कर दिये जायेंगे ।

24. किसी कर्मचारी के लिए इन प्रावधानों में कोई शिथिलीकरण नहीं किया जा सकेगा ।

25. यह आदेश पहली जनवरी, 2000 से प्रभावी होगी ।

26. लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 की कंडिका 4, 5, 10, 12 एवं 17 की उप कंडिका 5, 6, 10 को इस हद तक संशोधित समझा जाये ।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्रांक–3 एम-2-5-भत्ता-12/99 (खण्ड-8)- 3708, दिनांक 20-6-2001 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्यकर्मियों को केन्द्र के अनुरूप रियायती अवकाश (एल०टी०सी०) की दी गयी सुविधा का अगले दो वर्षों के लिए स्थगन के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 4252, दिनांक 22-6-2000 द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक 1-1-2000 के प्रभाव से संशोधित रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी थी।

2. केन्द्र सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं० 31011/3/2001 ऐस्ट (ए), दिनांक 2-3-2001 द्वारा रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा को 2-3-2001 के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए स्थगित करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

3. केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में राज्य कर्मियों को देय रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है –

(i) दिनांक 1-4-2001 के प्रभाव से अगले 2 वर्षों के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 4252, दिनांक 22-6-2000 के अधीन देय रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा स्थगित रहेगी। परन्तु, जिन कर्मियों की सेवानिवृत्ति दिनांक 1-4-2003 के पूर्व होने वाली है, उन्हें यह सुविधा अनुमान्य होगी यदि वर्तमान ब्लॉक वर्ष की सुविधा का उन्होंने उपभोग नहीं किया हो।

(ii) जिन कर्मियों को रियायती अवकाश यात्रा अग्रिम की स्वीकृति हो चुकी है, किन्तु उनके द्वारा इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व यात्रा नहीं की गयी है, तो उनके द्वारा निकासी की गई अग्रिम राशि की तुरत वापसी की जाएगी। इसके लिए उन्हें कोई दंडात्मक सूद की राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी।

(iii) जो कर्मी रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा की स्वीकृति होने के उपरान्त यात्रा में अभी नहीं गये हों, परन्तु इस यात्रा के लिए टिकट इत्यादि खरीद लिया हो तो वे तुरत इसकी वापसी करेंगे। टिकटों की वापसी चार्ज के बतौर कटौती की गई राशि की प्रतिपूर्ति उन्हें संबंधित विभाग/ कार्यालय द्वारा की जायेगी।

(iv) जो कर्मी राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्णयों के निर्गत होने की तिथि के पूर्व ही यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वे रियायती अवकाश यात्रा के लागू नियमों और प्रावधानों के अधीन अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे।

4. उपर्युक्त निर्णय राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः अनुदानित/नियंत्रित सभी स्वशासी/ वैधिक संस्थाओं पर लागू होंगे। उपर्युक्त आदेश राज्य सरकार के अधीन पदस्थापित/कार्यरत्/राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों पर भी लागू होगा।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–6400/वि० (2), दिनांक 9 अगस्त, 2002 की प्रतिलिपि।]

विषय : राज्य के सरकारी सेवकों की छुट्टी-यात्रा रियायत सुविधा में संशोधन के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं० 4252, दिनांक 22-6-2000 द्वारा अवकाश यात्रा रियायती सुविधा में संशोधन किया गया था तथा इसे 1-1-2000 से प्रभावी किया गया था।

राज्य सरकार के समक्ष ऐसे मामले लाए गए हैं कि कतिपय सरकारी कर्मियों द्वारा उपर्युक्त परिपत्र निर्गत होने के पूर्व ही पुराने नियम के अधीन यात्रा की स्वीकृति प्राप्त की गई थी तथा यात्रा सम्पन्न कर लिया गया था। नये नियम को दिनांक 1-1-2000 से प्रभावी होने के फलस्वरूप पुराने नियम के अधीन किए गए यात्रा के यात्रा भत्ता विपत्र में सामंजन में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है।

उपर्युक्त कठिनाई के निराकरण हेतु पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र सं० 4252, दिनांक 22-6-2000 की प्रभावी होने की तिथि 1-1-2000 ही मानी जाए। यदि किसी कर्मचारी//पदाधिकारी द्वारा 1-1-2000 से 22-6-2000 के बीच सक्षम पदाधिकारी की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर यात्रा कर ली गई हो, तो उन्हें पूर्व के नियमों के आलोक में स्वीकृत दर पर यात्रा की राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाए तथा ऐसे यात्रा को ब्लॉक वर्ष 2000-2003 की यात्रा मानी जाये।

शब्दावली

अ

अंकेक्षण Audit.
अंकेक्षण-कार्यालय Audit Office.
अंकेक्षण-पदाधिकारी Audit Officer
आवासन Aceomodation.
अधिक विराम Prolonged halt.
अधिकार Right
अधिकार-क्षेत्र Jurisdiction.
अधिचारिका Matron.
अधिसूचना Notification
अधिसूचित अवकाश Notified Holiday
अधीक्षण-अभियन्ता Superintending Engineer
अधीनस्थ Subordinate
अनायुक्त पदाधिकारी Non-commissioned Officer.
अनुमति Assent.
अनुमंडल-पदाधिकारी Sub-divisional Officer.
अनुमान्य Admissible.
अनुसांगिक Incidental.
अनुसचिवी कर्मचारी Ministerial Staff.
अन्तरिम अवधि Interim period.
अपराध-अनुसंधान-विभाग Criminal Invertigation Department.
अर्थना-पत्र Requisition Notes
अभियन्ता Engineer.
अभिव्यक्ति Expression
अधिष्ठान Station.
अन्तराल Interval
अन्तरावधि Interval
अनुरक्षण Maintenance.
अभिलेख Record.
अव्यवहृत Unutilised,
अवकाश Holiday
अवकाँत करना Supersede.
अवर Subordinate.
अवेक्षित Contemplated.
अवैतनिक रूप से In Honorary Capacity.
असंयत आदत Intemperate habit.
असमर्थता पेंशन Invalid pension.
असैनिक अस्पताल महानिरीक्षक Inspector- General of Civil Hospitals.

आ

आकस्मिक छुट्टी Casual Leave.
आकस्मिक मृत्यु Contingent Menial.
अपराधिक मामला Criminal case.
आबकारी आयुक्त Commissioner of Excise.
आमेलित Amalgamated.
आमोद-पर्यटन Excursion.,
आयुक्त भारतीय सैनिक पदाधिकारी Commissioned Indian Military Officer.
आर्थिक वनस्पतिविद् Economic Botanial.
आवागमन के साधन Means of locomotion.

इ

इंग्लिस्तान United Kingdom.
इजलास Bench.

उ

उतरना Disembark.
उत्कृष्ट सेवा Superior Service.
उन्मुक्त Discharged.
उपचार चिकित्सा-पदाधिकारी Medical officer in attendance.
उपरिस्थ प्राधिकारी Superior authority
उप-प्रकरण Sub-section
उप-राजिक Deputy Ranger.
उप-समुद्र Arm of the sea.
उपस्थिति-प्रमाण -पत्र Certificate of attendance.

ए

एकरूप भत्ता Uniform allowance.

औ

औसत वेतन पर छुट्टी Leave on average pay

क

कदाचार Misconduct.
कमांडेंट Commandant.
करार Agreement.
कर्त्तव्य-भत्ता Duty allowance.
कर्त्तव्यस्थ On duty.
कर्मचारीवर्ग Establishment.
कार्यभारित कर्मचारी Work-charged men.
कारा-महानिरीक्षक Inspector General of Prison.

कार्यपालक Executive.
कार्य-क्षेत्र Sphere of duty
क्रिया-काल Working season.
क्रीत Purchased.
कृषि-निदेशक Director of Agriculture.
कृषि-रसायनशास्त्री Agricultural Chemist.
कोटि Grade.
कोटिच्युत Reduced in grade.

ख

खास उपबन्ध Specific provision.
खुदाई-युनिट Excavation Unit-
सेवा Ferry.

ग

गन्तव्य स्थान Destination.
गिनना Reckon.
गैर-सरकारी सदस्य Non-official member.

च

चलमुद्रा पदाधिकारी Currency Officer.
चारिका Staff Nurse.

छ

छुट्टी वेतन Leave salary.

ज

जाँच-आयोग Commission of Enquiry.
जायदाद Estate.
जारी किया गया Issued.
जावक-आवक यात्रा Outward and return journey; Journey to and from.
जिला-दण्डाधिकारी District Magistrate.
जिला-पदाधिकारी District officer.
जिल्दसाज Binder
जुड़ा हुआ Attached.

ट

टीका-निरीक्षण-कर्मचारी Vaccination inspection staff.

ढ

ढुलाई Carriage.

त

तत्स्थानी Corresponding.
तांत्रिक Occulist.

द

दंत-चिकित्सक Dentist.
दीवानी मामला Civil case.
देशी बेड़ा Country craft.
दैनिक भत्ता Daily allowance.
दौरा-यात्रा Journy on tour.
द्रुत पथक्रमण सेवा Quick transit Service.

न

नागरिक सेना Militia.
निःशुल्क भोजन और निवास Free boarding and lodging.
निःशुल्क समुन्द्र यात्रा Free passage by Sea.
निचली सेवा Interior Service
निजी समान Personal effects.
निदेश Direction.
निर्दिष्ट Indicated
नियंत्रण-पदाधिकारी Controlling Officer.
नियमावली Rules
नियम-विधायी नियन्त्रण Rule making control.
नियमित सेना Regular force.
नियोजित Employed.
निर्देश तालिका Reference Table
निवेश Settlement.
निर्वचन Interpretation.
निर्वाह-भत्ता Subsistence Allowace.
न्याय आयुक्त Judicial Commissioner

प

पंचांग Calendar.
पंचांग-दिन Calendar day
पंचांग-मास Calendar Month
पक्षकार Party
पथकर Toll.
पदग्रहण-काल Joining Time.
पदत्याग Resignation.
पदनाम Designation.
पदोन्मुक्त Discharged.
परन्तुक Proviso.
परिचारिका Nurse
परिनिरीक्षा करना Scrutinise.
परिवर्त्तन Alteration.
परिवर्त्तन Addittion.
परिवहन खर्च Cost of transporting.
परिसहाय Aide-de-camp.
पर्यटक पशु-चिकित्सक Touring Veterinary Surgeon.
पर्यवेक्षक Supervisor.
पशु-चिकित्सा-सेवा-निदेशक Director of Veterinary Services.
पर्षद Board.

पाबंदी Qualification
पुनरीक्षण या अपीलीय प्राधिकार Revising or Appellate authority.
पुनर्नियोजन Re-employment.
पुनर्नियोजित Re-employed.
पुरक अनुदेश Subsidiary instruction.
पुलिस–दरोगा Police Sub-Inspector.
पुलिस महानिरीक्षक Inspector-General of Police.
पूर्व अंकेक्षण Pre-audit.
पेंशनभोगी Pensioner.
प्रकरण Section.
प्रचालन Propulsion.
प्रचालन–व्यय Cost of propulsion.
प्रतिधृत Retained
प्रतिनियुक्ति Deputed
प्रतिपूर्त्ति Reimbursement
प्रतियोगिता परीक्षा Competitive Examination.
प्रातिहस्ताक्षरित Countersigned
प्रत्यायोजन, सौंपना Delegation.
प्रत्याशा–पेंशन Anticipatory Pension.
प्रभार Charge.
प्रभारी पदाधिकारी Charge Officer
प्रभार–भत्ता Charge Allowance.
प्रवर्तित Sponsored.
प्रवर्तन शाखा Enforsement Branch.
प्रविष्टि Entry.
प्रवीणता Proficiency.
प्रशासनिक नियन्त्रण Administrative Control.
पारिश्रम देना Remunerate.
प्राधिकरण Authorisation.
प्राधिकृत Authorised.
प्रापण–कोषागार Receiving
प्रारक्षण Reservation.
प्रासंगिक खर्च Incidental charges.
प्रासंगिक हानि Incidental losses

फ

फीसे पाने वाले Fee-paid

ब

बक्सबन्दी Crating.
बख्शिश Presents.
बदली Transfer.
बदली–यात्रा Journey on transfer.
बन्दोवस्ती पदाधिकारी Settlement Officer
बर्खास्तगी dismissal
बाधक Interruption
बाध्यकर परीक्षा Obligatory Examination
बालिका–शिक्षा की उप–निदेशिका Deputy Directress of Girls Education.
बाहरी अधिष्ठान Out-station.
बुनाई–प्रदर्शक Weaving Demonstrator.

भ

भाड़े पर लिये गये Chartered
भारतीय सहायक सेना Indian Auxilliary Force.
भू–राजस्व Land Revenue
भूतपूर्व भारत–सचिव–सेना Ex-Secretary of state Service.
भोजन खर्च Messing charges.

म

महसूल Charge.
महाचारिका Nursing sister.
महामहिम His Excellency
मान Scale
मानक Standard
मान्यक दण्डाधिकारी Honorary Magistrate.
माल–गोदाम Ware-house.
मील–भत्ता Mileage Allowance.
मुख्य अभियन्ता Chief Engineer.
मुख्य लेखापाल Chief Accountant
मुख्य लोक कार्यालय Chief Public Office .
मुख्यालय Headquarters
मुख्यालय अधिष्ठान Head quarters station.
मूल नियमावली Fundamental Rules
मौलिक रूप से In substantive capacity Substantively.
मौलिक वेतन Substantive Pay.

य

यात्रा–भत्ता Travelling allowence.

र

रंगाई मिस्त्री Dyeing Mistry.
राज–अतिथि State Guest
राज–आतिथ्य State hospitality.
राज–सभा Levee
राजस्व–बोर्ड Board of Revenue
राज्य–क्षेत्र Territories.
रात्रि–बास Nights' Halt
राष्ट्रीय छात्र–सैनिक गुलाम National Cadet Corps.
रियायत Concession
रेल से ले जाने का कल्पित खर्च Assumed cost of railing.

(ल)

लगातार विराम Continuous Halt
लिपिक कर्मचारी Ministerial Staff
लेखा पदाधिकारी Audit Officer
लोक अभियोजक Public Prosecutor
लोक-कार्य Public duties.
लोक-शिक्षा-निदेशक Director of Public Instruction.
लोक-स्वास्थ्य-निदेशक Director of Public Health.

(व)

वन-राजिक Forest Ranger
वनपाल Forester,
वन-रक्षी Forest Guard
वन-संरक्षक Conservator of Forests.
वाणिज्य-कर-आयुक्त Commissioner of Commercial Taxes.
वातानुकूलित स्थान Air conditioned accommodation.
वापसी टिकट Return Ticket
वापसी यात्रा Return Journey
वास्तविक यात्रा खर्च Actual travelling expenses.
विखण्डन Cancellation.
विच्युत Reduced
विदेशी वेतन Overseas pay.
विदेशी निवेश Foreign Settlement.
विदेशी बस्ती Foreign Settlement.
विद्यालय-अवर-निरीक्षक Sub-Inspector of Schools.
विनियमित करना Regulate
विभागाध्यक्ष Head of Department.
विभागीय परीक्षा Departmental Examination.
विराम Halt
विराम-भत्ता Halting Allowance.
विराम-स्थान Halting place
विशेषज्ञ Specialist.
विशेष गारद Special Guard
विशेषाधिकार Privilege.
विशोधित Rectified
विश्रांति छुट्टी Recess leave
विश्रामावकाश Vacation
विधान-मंडल सदस्य Member of Legislature
विधि-परामर्शी Legal remembrancer.
विमान-चालक Pilot.
विप्रेषण Remittance'
विस्तार Scope
वृद्धिशील वेतन Progressive pay.
वैयक्तिक वेतन Personal pay.
व्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित otherwise expressly provided.

(श)

शर्त्त Term
शिक्षक-महाचारिका Sister tutor
शिविर उपकरण Camp equipage.
शिविर कार्यालय Camp Office
शिविर सामग्री Camp equipment

(स)

संकलन Compilation
संपुष्ट करना Confirm
सम्मति Consent
समिति Committee
संविदा Contract
सक्षम प्राधिकारी Competent authority.
सड़क-मील-भत्ता Road Mileage Allowance.
समंजन Adjustment
सम्मानोपाधि Degree of honour.
सरकारी खर्च Public expense
सर्वेक्षक Surveyor,
सलाह Consultation.
सवारी-भत्ता Conveyance allowance.
सत्यापन Verification
सत्यापित करना Verify.
साधवि Apparatus.
सामग्री Stores
सामान्य नियमावली General Rules,
सामान्य शर्त General condition
सार्वजनिक सवारी Public Conveyance
सुव्यक्त अनुमति Express permission
सेवा-निवृत्ति Retirement
सेवा संहिता नियम Service Code Rule.
सेवा-लग्न In Service.
सेक्शन Section
सैनिक अभ्यास शिविर Military camp of exercise.
सैनिक न्यायालय Court martial
सैनिक पंक्ति Military rank.
सैन्य-सचिव Military Secretary.
स्वतः पूर्ण Sel-contained.
स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र Medical certificate.
स्थान Accommodation
स्थान व्यवस्था Accommodation
स्थानापन्न Officiating
स्पष्टीकरण Explanation

(ह)

हवाई स्टेशन Air Station.

बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2005

बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 3/आर० 1-46/2000-2492, दिनांक 30-11-2005—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, वाहन चालक के पदों पर भर्त्ती और प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया के निर्धारण हेतु, निम्नांकित नियमावली बनाते हैं—

अध्याय 1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—(1) यह नियमावली बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2005 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभाग, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ—इस नियमावली में, जबतक कोई बात, विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो—

(क) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(ग) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है नियम 7 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकार;

(घ) **"कोटि"** से अभिप्रेत है नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित कोटि;

(ङ) **"मेधा सूची"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची।

अध्याय 2 : पद/कोटि

3. वाहन चालक के पद/कोटि—(1) विभिन्न वेतनमानों में वाहन चालक के पदों का नामकरण निम्नानुसार होगा—

(i) रु० 3,050-4,590—वाहन चालक (साधारण कोटि)

(ii) रु० 4,000-6,000—वाहन चालक (कोटि II)

(iii) रु० 4,500-7,000—वाहन चालक (कोटि I)।

(2) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखा जायेगा—

(i) साधारण कोटि (3,050-4,590)	—	55 प्रतिशत
(ii) कोटि II (4,000-6,000)	—	25 प्रतिशत
(iii) कोटि I (4,500-7,000)	—	20 प्रतिशत।

(3) उपर्युक्त रूप में अनुपात निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, वाहन चालकों के पदों की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागों/संलग्न कार्यालयों को आवश्यकतानुसार समूहों में बाँट कर प्रत्येक समूह के लिए एक नोडल विभाग घोषित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रमण्डल के मुफस्सिल कार्यालयों के लिए नोडल पदाधिकारी सम्बन्धित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त रहेंगे।

(4) विभागों/संलग्न कार्यालयों के वाहन चालकों की प्रोन्नति उप-नियम (3) में अंकित प्रत्येक विभागों के समूह के लिए निर्धारित वरीयतानुसार नोडल विभाग द्वारा ही विचारित होगी। मुफस्सिल वाहन चालकों की प्रोन्नति प्रत्येक प्रमंडलवार निर्धारित वरीयतानुसार नोडल पदाधिकारी द्वारा विचारित होगी।

(5) भर्त्ती/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

(6) वाहन चालकों के पद समूह 'ग' के पद माने जायेंगे।

अध्याय 3 : भर्त्ती

4. भर्त्ती—(1) साधारण कोटि (3,050-4,590) के पदों को सीधी भर्त्ती द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

(2) (i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् उत्तीर्ण होगी।

(ii) वाहन चालन का उन्हें वैध लाइसेन्स प्राप्त रहना आवश्यक है।

(iii) यातायात विनियमन की उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा।

(iv) वाहन की उन्हें सामान्य जानकारी का रहना आवश्यक होगा।

(v) उनका स्वस्थ रहना आवश्यक होगा।

(3) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु-सीमा वही होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(4) अर्हता के परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को उप-नियम (2) पर आधारित वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जाँच में सम्मिलित होना पड़ेगा जिसके लिए कुल प्राप्तांक 100 होगा। जाँच परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा-सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर आयोग सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को अनुशंसा कर सकेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।

(5) दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत वाहन चालक को, उप-नियम (2) में निर्धारित अर्हताओं के पूरा करने पर और उनके द्वारा आवेदन करने एवं जाँच में सम्मिलित होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रियानुसार अधिमानता दी जायेगी।

5. आरक्षण—रिक्तियों के आकलन प्रत्येक वर्ष करने के पश्चात् ही वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग का सम्बन्धित नोडल विभाग/नोडल पदाधिकारी द्वारा भेजी जायेगी।

6. मेधासूची की वैधता—आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची की वैधता एक वर्ष तक ही रहेगी। आयोग द्वारा उतने ही उम्मीदवारों की अनुशंसा की जायेगी जितने के लिए अधियाचना प्राप्त हुई हो। प्रतीक्षा पैनेल नहीं रहेगा। मेधासूची की वैधता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

7. नियुक्ति प्राधिकार—अभियन्त्रण/कार्य विभागों के लिए सम्बन्धित अभियन्ता-प्रमुख नियुक्ति प्राधिकार होंगे। उनकी यह शक्ति किसी भी हालत में प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी। अन्य विभागों में विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव के अनुमोदन से उप-सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। मुफस्सिल कार्यालयों के सन्दर्भ में नियुक्ति प्राधिकार वही पदाधिकारी रहेंगे जो पूर्व से नियुक्ति प्राधिकार घोषित हैं।

8. परीक्ष्यमान अवधि/सम्पुष्टि—(1) नियुक्ति के बाद दो वर्षों तक परीक्ष्यमान अवधि रहेगी। परीक्ष्यमान अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने तथा सम्पुष्टि के लिए निर्धारित जाँच में उत्तीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

(2) जाँच की व्यवस्था नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। नियुक्ति के समय के लिए जो अर्हताएँ निर्धारित हैं उन्हीं बिन्दुओं पर सक्षमता की जाँच होगी।

अध्याय 4 : प्रोन्नति

9. प्रोन्नति—(1) साधारण कोटि (3,050-4,590) से उच्चतर कोटियों में निम्नांकित रूप में प्रोन्नतियाँ की जा सकेंगी—

(क) साधारण कोटि (3,050-4,590) से कोटि II (4,000-6,000) में।

(ख) कोटि II (4,000-6,000) से कोटि I (4,500-7,000) में।

(2) **कालावधि**—प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या 280, दिनांक 5-7-2002 द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित कालावधि के प्रावधान लागू होंगे।

(3) **विभागीय प्रोन्नति समिति**—सचिवालय स्तर पर विभाग समूहवार तथा मुफस्सिल स्तर पर प्रमंडलवार विभागीय प्रोन्नति समिति गठित होगी। सम्बन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी।

(4) सचिवालय स्तर पर विभाग-समूहवार विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष विभागीय समूह के नोडल विभाग के विशेष सचिव अथवा वेतनमान रु० 14,300-18,300 से अन्यून वेतनमान वाला पदाधिकारी होगा। समिति में दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक सम्बन्धित विभागीय समूह के प्रतिनिधि तथा दूसरा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि होगा।

(5) मुफस्सिल स्तर पर प्रमंडलवार विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष उस जिला का जिला पदाधिकारी होगा जिस जिला में प्रमंडलीय कार्यालय अवस्थित है। समिति के दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक प्रमंडलीय आयुक्त का प्रतिनिधि और दूसरा अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि होगा।

(6) एक कोटि से दूसरी कोटि में प्रोन्नति पर विचार के लिए वाहन चालन की व्यावसायिक जाँच (प्रायोगिक जाँच सहित) की व्यवस्था की जायेगी। प्रोन्नति हेतु अर्हता के लिए ऐसी जाँच में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष ऐसी जाँच का परिणाम रखा जायेगा।

अध्याय 5 : प्रकीर्ण

10. अनुशासनिक कार्रवाई—इस संवर्ग में अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के समूह 'ग' (ग्रुप 'सी') कर्मियों के लिए तत्सम लागू नियम/अनुदेश प्रभावी होंगे।

11. विविध—(1) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।

(2) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सक्षम विभाग होगा।

(3) यदि इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण बिहार राजपत्र में अधिसूचित करते हुए कर सकेगी।

12. निरसन—वाहन चालकों की नियुक्ति/प्रोन्नति सम्बन्धी निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संचिका सं० आ०-3-भत्ता-02/2006/5819 वि० (2), दिनांक 5-9-2006 की प्रतिलिपि।]

संकल्प

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4131, दिनांक 8-8-1990 द्वारा राज्य के पुलिस कर्मियों के साथ आरक्षी उपाधीक्षकों को 200 रु० प्रतिमाह वाहन भत्ता 30 रु० प्रतिमाह धुलाई भत्ता तथा 75 रु० प्रतिमाह विशेष कर्त्तव्य भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी। वित्त विभाग के संकल्प सं० 4411, दिनांक 2-8-1997 द्वारा आरक्षी उपाधीक्षकों को 800 रु० प्रतिमाह वाहन भत्ता की संशोधित स्वीकृति दी गयी थी। दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उपरोक्त भत्तों का भुगतान बन्द कर दिया गया था। बाद में राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस कर्मियों (आरक्षी से लेकर आरक्षी निरीक्षक) को विभिन्न भत्तों की संशोधित स्वीकृति दी गयी। किन्तु बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को उपर्युक्त भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में स्वीकृति दी गयी। किन्तु बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को उपर्युक्त भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

2. बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को उपर्युक्त भत्तों की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को निम्नांकित भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है—

(क) वाहन रखरखाव भत्ता 800 (आठ सौ) रु० प्रतिमाह—स्वयं का कार या जीप रखने पर।

(ख) विशेष कर्त्तव्य भत्ता 300 (तीन सौ) रु० प्रतिमाह।

(ग) धुलाई भत्ता 120 (एक सौ बीस) रु० प्रतिमाह।

वाहन रखरखाव भत्ता प्राप्त करने वाले बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत भ्रमण करने के लिए अलग से यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

4. 30 दिनों से अधिक अवधि तक लगातार कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने पर उपर्युक्त भत्तों का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

5. यह आदेश दिनांक 1-9-2006 से प्रभावी होगा।

●

टैक्सी/ऑटो रिक्शा/निजी कार से की गई यात्रा हेतु यात्रा भत्ता दर में संशोधन

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या-3एम-2-5-भत्ता- 12/99खंड-9/987 वि० (2) दिनांक-04-02-2008 की प्रतिलिपि ।]

विषय : टैक्सी/ऑटो रिक्शा/निजी कार से की गई सरकारी यात्रा हेतु यात्रा भत्ता दर में संशोधन।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर यात्रा भत्ता नियमावली के संगत प्रावधानों को संशोधित करते समय यह निर्णय लिया गया था कि निजी कार एवं टैक्सी से यात्रा करने पर अनुमान्य भत्ता का निर्धारण परिवहन विभाग के परामर्श से किया जाएगा। तद्नुसार गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2859, दिनांक 05-04-2002 द्वारा टैक्सी /ऑटो रिक्शा तथा निजी कार से यात्रा का दर एवं शर्तो का निर्धारण किया गया था।

2. ऑटो रिक्शा/टैक्सी के मूल्य, ईधन के मूल्य एवं परिचालन व्यय में वृद्धि के कारण पूर्व निर्धारित दर में संशोधन हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों को राज्य के अंदर या बाहर स्थानीय परिवहन के लिए अथवा बाधयकारी परिस्थिति में में टैक्सी/ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से या वास्तविक भाडा जो कम हो का भुगतान अनुमान्य होगा :-

(क) दूरी पर टैक्सी/ऑटो रिक्शा का दर :-

वाहन	दर
1	2
टैक्सी	**10 (दस) रू० प्रति किलोमीटर**
ए०सी० टैक्सी	**12 (बारह) रू० प्रति किलोमीटर**
ऑटो रिक्शा	**05 (पाँच) रू० प्रति किलोमीटर**

(ख) घंटे पर टैक्सी का दर :-

वाहन	घंटा/कि०मी०	दर
1	2	3
ए०सी० टैक्सी	**8 घंटे के लिए/80 कि०मी०**	**700 (सात सौ) रूपया**
नन ए०सी० टैक्सी	**8 घंटे के लिए/80 कि०मी०**	**600 (छः सौ) रूपया**
ए०सी० टैक्सी	**4 घंटे के लिए/40 कि०मी०**	**400 (चार सौ) रूपया**
नन ए०सी टैक्सी	**4 घंटे के लिए/40 कि०मी०**	**300 (तीन सौ) रूपया**

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2859 दिनांक 05-04-02 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

●

टैक्सी/ऑटो रिक्शा/निजी कार से की गई यात्रा हेतु यात्रा भत्ता दर में संशोधन

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या-3एम-2-5-भत्ता- 12/99खंड-9/987 वि० (2) दिनांक-04-02-2008 की प्रतिलिपि ।]

विषय : टैक्सी/ऑटो रिक्शा/निजी कार से की गई सरकारी यात्रा हेतु यात्रा भत्ता दर में संशोधन।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर यात्रा भत्ता नियमावली के संगत प्रावधानों को संशोधित करते समय यह निर्णय लिया गया था कि निजी कार एवं टैक्सी से यात्रा करने पर अनुमान्य भत्ता का निर्धारण परिवहन विभाग के परामर्श से किया जाएगा। तद्नुसार गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2859, दिनांक 05-04-2002 द्वारा टैक्सी /ऑटो रिक्शा तथा निजी कार से यात्रा का दर एवं शर्तो का निर्धारण किया गया था।

2. ऑटो रिक्शा/टैक्सी के मूल्य, ईधन के मूल्य एवं परिचालन व्यय में वृद्धि के कारण पूर्व निर्धारित दर में संशोधन हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों को राज्य के अंदर या बाहर स्थानीय परिवहन के लिए अथवा बाधयकारी परिस्थिति में में टैक्सी/ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से या वास्तविक भाडा जो कम हो का भुगतान अनुमान्य होगा :-

(क) दूरी पर टैक्सी/ऑटो रिक्शा का दर :-

वाहन	दर
1	2
टैक्सी	10 (दस) रू० प्रति किलोमीटर
ए०सी० टैक्सी	12 (बारह) रू० प्रति किलोमीटर
ऑटो रिक्शा	05 (पॉच) रू० प्रति किलोमीटर

(ख) घंटे पर टैक्सी का दर :-

वाहन	घंटा/कि०मी०	दर
1	2	3
ए०सी० टैक्सी	8 घंटे के लिए/80 कि०मी०	700 (सात सौ) रूपया
नन ए०सी० टैक्सी	8 घंटे के लिए/80 कि०मी०	600 (छ: सौ) रूपया
ए०सी० टैक्सी	4 घंटे के लिए/40 कि०मी०	400 (चार सौ) रूपया
नन ए०सी टैक्सी	4 घंटे के लिए/40 कि०मी०	300 (तीन सौ) रूपया

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2859 दिनांक 05-04-02 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

●